राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४३वां दिवस [संख्या ३२

बुधवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६५.

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, सार्वजनिक निर्माण, वन, विद्युत विकास, सहकारी यातायात, पंचायत, राजकीय उद्योग, आबकारी, आयुर्वेद, वित्त, कारावास एवं विधि विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री तेजाराम गहलोत!

जोधपुर जयपुर रूट की बसें

७६४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर से जयपुर तक के रूट पर वर्ष १९६४ में कौन कौन सी गाड़ी तेल की कमी की वजह से कहां कहां रुकी ? उक्त गाड़ियां कहां से कहां को जा रही थीं व कितने मील दूर जाने पर तेल समाप्त हुआ और विभाग ने उन मामलों में किनको दोषी ठहराया व उनको क्या सजा दी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) जी नहीं। गाड़ियां सफाई व पूरी देखभाल के बाद ही मार्ग पर भेजी जाती हैं। कभी कभी आकस्मिक यांत्रिक खामियां हो जाने पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, पर साधारणतया तेल की कमी के कारण नहीं।

(२) केवल तीन गाड़ियों को वर्ष १९६४ में तेल की वजह से रास्ते में रुकना पड़ा उनकी सूची, गाड़ी नं०, दिनांक, खड़ी होने की जगह व उन पर की गई कार्यवाही संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) जी नहीं। विभाग की तरफ से ऐसे आदेश हैं कि ड्राइवर जब भी गाड़ी को मार्ग पर ले जावे उससे पहले यह देख लें कि गाड़ी के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं हैं या नहीं तथा गाड़ी साफ है, डीज़ल गाड़ी में पूरा है या नहीं; अगर इसमें खामी हुई तो इसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी। गाड़ी के मार्ग से जाने के बाद उसी दिन ड्राइवर गाड़ी की खामियों को खामी रजिस्टर में दर्ज कराता है तथा मैकेनिक उस खामी को ठीक करने का प्रमाण-पत्र देकर हस्ताक्षर करते हैं। मार्ग से आने के बाद ड्राइवर द्वारा गाड़ी में डीज़ल उसी दिन भराया जाता है तथा सफाई भी उसी दिन की जाती है।

(४) ऐसी व्यवस्था पहले से ही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यह सही है कि करीब दो माह पूर्व एक गाड़ी जोधपुर ३ बजे जाने वाली थी वह ५ बजे गई और किशनगढ़ में जाकर खराब हो गई। फोरमेन ने सर्टिफिकेट दिया था कि गाड़ी ठीक है, पर गाड़ी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, किशनगढ़ में ही खराब हो गई और रात भर किशनगढ़ में पेसेन्जर पड़े रहे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपने तो अचानक कौनसा प्रश्न पूछ लिया है ? जो जवाब दिया है उससे सम्बन्धित नहीं पूछा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उसी से सम्बन्धित पूछा है। टूल बक्स गाड़ी के साथ नहीं रहता है, थोड़ी सी भी खराबी हो जाती है तो गाड़ी को रास्ते में पड़ा रहना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं पर प्रश्न यह था कि तेल की कमी की वजह से गाड़ियां रुकीं, उस सम्बन्ध में प्रश्न था और उसका उत्तर मैंने दिया कि तीन मामलों में तेल की कमी से गाड़ियां रुकी हैं।

श्री तेजाराम गहलोत: आपने उत्तर दिया उसमें तो बताया कि तेल की कमी से तीन गाड़ियां रुकी पर जो सूची आपने दी है उसमें यह दिया है कि ६ गाड़ियां रुकी हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तेल की कमी के कारण रुकने की एक बात है और डीज़ल पाइप फटने की वजह से रुकना दूसरी बात है। तेल की कमी की वजह से ३ गाड़ियां रुकीं और डीज़ल पाइप फट जाने की वजह से तीन गाड़ियां रुकीं।

श्री तेजाराम गहलोत: प्रश्न तीन के उत्तर में आपने बताया कि जब गाड़ी रवाना होती है तो ड्राइवर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेता है। फिर ये गाड़ियां किसकी गलती से डिपो से बिना तेल के रवाना हुई ? पेसेन्जर्स को हैरेसमेंट हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसी रोज तेल भरना चाहिये था ? पर चूंकि उस रोज बिजली बन्द थी इसलिये तेल भरा नहीं जा सका। दूसरे रोज ड्राइवर बिना तेल भरे

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ही रवाना हो गया और गाड़ी तेल की कमी की वजह से ८० मील से ज्यादा फासले पर रुक गई, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया व लिया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : तेल की कमी होना जघन्य अपराध है। बिजली बन्द हो जाना असम्भव बात नहीं पर बिजली बन्द हो जाने के बावजूद भी हैंड पम्प से तेल भरा जा सकता था, तेल नहीं होना यह तो सरकार पर सीधा आक्षेप है। मैं एक बार स्वयं इस बस सर्विस को देखने के लिये कि क्या व्यवस्था है, बैठ कर गया. मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कहूंगा कि व्यवस्था भी ठीक नहीं है और व्यवहार भी अभद्र है। सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में ध्यान दे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या यह आवश्यक नहीं है कि गाड़ी रवाना हो तो फोरमैन सर्टिफिकेट दे कि गाड़ी फिट है, ऑइल वगैरह सब ठीक है ? क्या यह आवश्यक नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जिस रोज गाड़ी में तेल भरना चाहिये था और कोई डिफेक्ट हो उसको नोट कराया जाय तो उसी रोज उसकी पूर्ति करना आवश्यक है ; पर उन तारीखों को और कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया, तेल की कमी से गाड़ियों को रुकना पड़ा। तेल उसी रोज भरा जाना चाहिये था पर बिजली नहीं आने से नहीं भरा जा सका। ड्राइवर को चाहिये था कि गाड़ी रवाना होने से पहले तेल भर कर जाता पर तीन मामलों में ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बिना तेल भराये रवाना हो गये। तेल तो था पर उतना नहीं था कि उससे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते, इसलिये उन तीनों ड्राइवरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और लिया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि कहीं तो लीड निकल गया इस वजह से गाड़ी को रुकना पड़ा, कहीं बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर डालने की बजाय और वाटर डाल दिया गया, इस वजह से बेटरी खराब हो गई और गाड़ी रुक गई, कहीं कट आउट वर्क नहीं कर रहा है तो गाड़ी रुकी पड़ी है, इस प्रकार के कई प्रश्न सदन के सामने ला चुका हूं। गाड़ियां बिल्कुल छोटे से कारण से, नेग्लिजिबल रीजन्स से तीन तीन दिन तक पड़ी रहती हैं, जोधपुर डिपो में चेम्बर बर्स्ट हो गया, जिस डिग्री का ऑइल देखना चाहता था नहीं देखा गया, आपके फोरमैन फिट्नेस सर्टिफिकेट नहीं देते, जिससे चेम्बर तक फटने की नौबत आ जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फोरमैन ने इन केसेज में सर्टिफिकेट इश्यू किया था ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तीन कारण दिये जिनसे बसें रुकती हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि रुकने का प्रश्न महत्वपूर्ण है या जनता को जो परेशानियां होती हैं, वह महत्वपूर्ण है ?

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि अलग अलग ड्राइवर को

(श्रीगोविन्दसिंह)

अलग अलग बस अलॉट नहीं हो रखी हैं जिससे ड्राइवर को यह नहीं मालूम होता है कि कल कौन सी बस वह ले जाने वाला है; इस कारण उसको यह मालूम नहीं हो पाता है कि उस बस में कौनसा डिफेक्ट है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन तीन मामलों में जो ड्राइवर जिनके समय में पेट्रोल भरा जाना चाहिये था वह ही गाड़ियां लेकर दूसरे दिन गये थे इसी कारण उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जो ड्राइवर जाने वाला है उसको यह मालूम ही नहीं है कि उसको कौनसी गाड़ी पर जाना है, उसमें क्या डिफेक्ट है तब तक यह कैसे सम्भव हो सकता है। इसलिये कोई ड्राइवर को गाड़ी अलॉट हो तो वह मालूम कर सकता है कि उसमें कौनसा डिफेक्ट है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ड्राइवर को परमानेन्ट सर्टिफिकेट दिया जाय ताकि मालूम रहे। ड्राइवर को बस अलॉट हो तो पता भी रह सकता है नहीं तो फोरमैन या और किसी से उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ड्राइवरों के अलावा सुपरवाइज़री स्टाफ की भी कोई गलती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दिक्कत इसलिए भी आ रही है कि जैसा वर्क शाप होना चाहिये वैसा वर्क शाप इक्विप नहीं कर सके हैं, क्वालिफाइड ऑफिसर्स की भी कमी है जिनको प्राप्त करने के लिये कोशिश कर रहे हैं। ज्योंहि यह व्यवस्था ठीक हो जायगी प्रोपर सुपरविजन से ये तकलीफें भी दूर हो जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जा रहा है। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि सरकार यह अनुभव करती है कि अपराध तो ड्राइवरों से हुआ है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है या ले लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मामले में तो चेतावनी दे दी गई है और दो में जवाब तलब किया है उनके जवाब के बाद क्या डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जावे उस पर निर्णय लिया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर सरकार इस मामले को टालना चाहती है और कोई सरकार एक्शन न लेना चाहे तो यह उनकी इच्छा है। इस प्रकार की लेतलाली कत्तई उपयुक्त नहीं है। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूं। अगर एक ड्राइवर मोटर में पेट्रोल या डीज़ल भर कर न ले जाये तो आप कहते हैं उसकी गलती है। हो सकता है फिर आप जबाव दें कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है; इसका मतलब यह हुआ कि कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विरोधी दल के नेता से मैं सहमत नहीं हूं। ड्राइवर की और कण्डक्टर की कोई गलती नहीं है। उनका व्यवहार भी अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री रावतराम ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विक्टिमाइज किया जाता है। फोरमैन की गलती है।

श्री अध्यक्ष : कोई विक्टिमाइजेशन का सवाल नहीं है। फोरमैन की गलती होगी तो उस पर एक्शन लिया जावेगा।

श्री रावतराम ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इनकी सब गाड़ियां लेकर इनको भी दूर करते समय इन्हीं बसेज में बिठाया जाय तो मालूम होगा।

सरदारशहर से पूलासर सड़क निर्माण की स्वीकृति

७६५. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चूरू से सरदारशहर वाया जसरासर, नाकरासर व पूलासर सड़क निर्माण की स्वीकृति तीसरी पंचवर्षीय योजना में दे दी जायेगी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि जिला विकास समिति ने सरदार शहर से पूलासर तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी थी परन्तु उसे रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावतराम : तहसील हैड क्वार्टर को जिला हैड क्वार्टर से जोड़ने जा रहे हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलेक्टर ने भी इसके लिए प्रयत्न किया कि इस रोड को महत्वपूर्ण समझ कर इसको प्लान में शामिल किया जाय। मेरा निवेदन है कि इसको प्लान में शामिल करिये और धीरे धीरे बनाइये।

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क तो इम्पोर्टेंट है लेकिन प्लान सीलिंग कम हो गया है इसलिए यह सवाल नहीं ले पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

जोधपुर शहर के समीप की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण

७६६. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जोधपुर शहर के समीप की पहाड़ियों को वृक्ष लगा कर हरा भरा बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब शुरू हो रही है ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कोई पत्र लिखा था ?

(विराम)

इस समय हनुमान चालीसा थोड़े ही हो रही है।

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : वे भी मंत्री हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में आपको कोई पत्र लिखा था ?

श्री भीखाभाई : जी हां, लिखा था।

श्री भैरोंसिंह : उस सम्बन्ध में आपने उसमें जवाब दिया था कि इस प्रकार की योजना विचाराधीन है।

श्री भीखाभाई : ठीक है, मैंने कहा कि चतुर्थ योजना बन रही है उसमें धन राशि मिलेगी उस पर विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह योजना विचाराधीन है यह कहा या नहीं ?

श्री भीखाभाई : एग्जक्टली पत्र में मैंने क्या लिखा था मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास इस समय उस पत्र की प्रतिलिपि भी नहीं है। माननीय सदस्य को जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने यह लिखा था कि मेरे ध्यान में है। योजना पर विचार किया जावेगा। अभी धनराशि नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में सर्वे तो करवा लिया है कि आवश्यकता है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : सारे राज्य मे सर्वे का प्रश्न नहीं उठता है। लोगों की ओर से प्लान्टेशन होते है तो ऑपोजिशन होता है कि अफोरेस्टेशन यहां मत करो। मैंने उनको पत्र लिखा था चतुर्थ योजना की धन-राशि को देखते हुए विचार करेंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू) : प्लान्टेशन के बारे में कोई स्कीम नहीं है जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जी नहीं ? किस स्टेज पर है ?

श्री दिनेशराय डांगी : भारतीय मरु-भूमि अनुसंधान शाला का ६०० एकड़ का क्षेत्र प्रयोग के लिए लिया गया था लेकिन बाद में यह पाया गया कि पत्थर बहुत हैं, घास नहीं है। संतोषजनक नहीं पाया गया इसलिए 'जी नहीं' कहा।

श्री दलपतसिंह : जोधपुर के पास जमीन ऐसी पहाड़ियों की उन्नति करने के लिए दी है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पहाड़ी को हरा भरा बनाने के लिए क्या सरकार विचार रखती है ? पहाड़ी और जमीन में बहुत फर्क है।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य ने पहाड़ियों पर वृक्ष लगाने के लिए ही प्रश्न पूछा है।

Page No 7

श्री भीखाभाई : आपने पूछा था कि कितनी धन-राशि है और योजना के अन्तर्गत आता है या नहीं, इसका मैंने पत्र में जवाब दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस बात की जानकारी कर ली है कि जोधपुर में ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री दलपतसिंह : पांच-छः मील की जमीन है, पहाड़ियां नहीं हैं। पहाड़ियां तो हरी भरी बनी हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि पहाड़ियों पर ही वृक्ष लगाने थे और जिनके लिए प्लान बना लिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इससे ही पता नहीं लगेगा तो नोटिस से क्या फायदा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ये तो पहाड़ को ही उठाने वाले बजरंग बली हैं।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): जोधपुर के आस पास पहाड़ियां हैं वहां पर वृक्ष लगाये जा सकते हैं और लगा रहे है।

श्री भैरोंसिंह : यहां वृक्ष लगा रहे हैं तो सरकार योजना बद्ध कार्यवाही से लगा रही है या भगवान् लगा रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों ही बातें ठीक हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह माना जाय कि सरकार की ओर से योजना-बद्ध वृक्ष लगाये गये जब कि इस विभाग के मंत्री महोदय कह गये हैं कि नहीं लगाये गये और कोई योजना नहीं है। किसको सही माने ?

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार की यह बड़ी योजना में है। अफोरेस्ट्रेशन ऑफिसर लगे हुए हैं। घास और ट्रीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर जमीन के तार बन्दी करके प्लान के आधार पर काम शुरू किया है। बाकी जिन जगहों पर योजना-बद्ध कार्य नहीं हो रहा है वहां पुराने दरख्त भी हैं और नये भी लगाये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से पेड़ लगाने की कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 'ना' स्पष्ट आया है।

श्री भैरोंसिंह : दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य कन्फ्युज़न में डाल रहे हैं। प्लान्टेशन की सरकार की योजना है। रिक्लेमेशेन की भूमि में भी लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पूछा और क्या जवाब दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई : अनुसन्धान केन्द्र की ओर से भी दरख्त लगाये जा रहे हैं। माननीय सदस्य के दिमाग में यह है कि सरकार वृक्ष नहीं लगाना चाहती ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कस्बा सीकरी को बिजली

७६७. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी, जिला भरतपुर की जनसंख्या ५ हजार से अधिक होते हुए भी उक्त कस्बे को अभी तक बिजली नहीं दी गई है जब कि राज्य सरकार ने ५ हजार तक की जन संख्या के कस्बात को बिजली सप्लाई कर दी है ?

(२) यदि हां, तो इस कस्बे को कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ५,००० की जन संख्या वाला सीकरी नाम का कोई कस्बा भरतपुर जिले में नहीं है ।

(२) सीकरी पट्टी को १९६५-६६ के देहाती विद्युत करण योजना में विद्युती-करण करने की योजना विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

नाले से आवागमन में दिक्कत

७६८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गांव गुडा तथा झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा के बीच एक नाला पड़ता है जिसमें वर्षा में काफी पानी आता है ।

(२) क्या यह सही है कि मदार गांव के विद्यार्थी मिडल स्कूल में पढ़ने इस नाले में होकर गांव गुड़ा आते हैं तथा वर्षा के दिनों में इस नाले को पार करने में विद्यार्थियों को कठिनाई रहती है ?

(३) क्या यह सही है कि मदार की न्याय पंचायत गांव गुडा में लगती है ? दोनों गांवों के बीच दूरी कितनी है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो इस नाले पर पुल या अन्य रास्ता बनाने के बारे में सरकार क्या सोचती है और इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

(५) क्या इस कार्य के लिए पंचायत समिति से कोई राशि स्वीकार हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । दूरी लगभग ६ फर्लांग है ।

(४) जी हां । इस मामले पर से कॉज वे कम एनीकट बनाने के लिए पंचायत समिति द्वारा मन्जूरी दे दी गई है । अनुमानित व्यय १८,०५० रु० का होगा ।

Page No 9

(श्री दिनेशराय डांगी)

(५) जी हां। १३,५३७ के अनुदान की स्वीकृति दी गई है।

श्री विजयसिंह भाला : यह स्वीकृति कब दी थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : संशोधित नवम्बर सन् ६४ में दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ सड़क की मरम्मत

७६६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से जो बिजली की लाइन उदयपुर गई है उसका एक्सीडेन्ट्स के समय निरीक्षण एवं उसकी मरम्मत किये जाने के लिये केवल निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ सड़क ही है और उसकी हालत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, ग्रेवल रोड के भाग की हालत साधारण है मरम्मत होती रहती है।

श्री अब्दुलजब्बार : अगर बिजली खराब हो जाय तो जाने के लिये सुविधा क्या है ? क्या आप यह महसूस करते हैं कि बिजली लाइन को ठीक करने के लिये मंगलवाड़ा तक जा सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली खराब हो जाय तो ग्रेवल रोड से जा सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : वह ग्रेवल रोड है या धूल की रोड है। अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि वह सड़क इतनी खराब है कि उसमें असेम्बली हाल की छत से बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपने अपनी किताबों में उसको डामर रोड लिख रखा है उसको पुतवाईये। उस रोड पर रोजाना आदमियों के हाथ पैर टूटते हैं। यह सड़क मंगलवाड़ के लिये मेन रोड है बिजनेस का सेन्टर है, प्रोड्यूसर को बड़ी तकलीफ होती है अपना माल लाने के लिये, अगर बिजली की लाइन खराब हो जाय तो मन्त्री महोदय ने देखा है वह उस सड़क से जा सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली की लाइन बराबर सड़क के साथ साथ जा रही है, अतः खराब हो जाय तो दुरुस्त हो सकती है उस सड़क से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ग्रेवल रोड है अथवा कच्ची रोड है यह तो मैं नहीं कहता, रोड जरूर है और बिजली की लाइन उसके पेरलल है क्या उस सड़क को निकट भविष्य में पक्की डामर की करने का विचार रखती है, बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उसमें गड्ढे कितने कितने बड़े है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दो फुट के भी हैं और छः इंच के भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय मंत्री महोदय उसमें समा जाय इतने बड़े गड्डे हैं क्या ?

श्री अब्दुलजब्बार : पर्टीक्यूलरली निगुमा के पास इतने बड़े खड्डे हैं कि इस असेम्बली की छत जितने बड़े हैं। एस० डी० ओ० चित्तौड़ आदि कभी उधर से आते हैं उदयपुर निम्बाहेड़ा और चित्तौड़ होकर आते हैं जब कि उनको नीमच जाना होता है तो ?

श्री भैरोंसिंह : उस गड्ढे में माननीय सदस्य और माननीय मंत्री दोनों को उतार दिया जाय ताकि पता चल सके कि कितने गहरे हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई कुआ होगा जिसको आप गड्ढा कह रहे है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

पेट्रोल पर खर्चा

७७०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल के रतनगढ़ डिवीजन में एक श्री आर० के० नायर नामक असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने वर्ष १९६२ में सिर्फ एक महीने में ६००) रु० का पैट्रोल जीप में खर्च किया ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं अगली टर्न पर दूंगा। जो जवाब आया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

प्रश्न संख्या ७७१

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७७२

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रानीवाड़ा मंडार की बसें

७७३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि रानी वाड़ा मंडार यात्री गाड़ी मार्ग टेमल सड़क शुमार किया गया है लेकिन बहुत सी नदियां नाले होने के कारण द्वितीय श्रेणी सड़क शुमार करने योग्य है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सब रास्ते को द्वितीय श्रेणी सड़क करने के बारे में आम जनता की ओर से सरकार के समक्ष कई प्रार्थना-पत्र काफी असें पहले आये थे। अगर हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त सड़क पर आने वाली नदियां व नाले पक्के न बंधने के कारण प्रथम श्रेणी मार्ग की यात्री गाड़ियां चलना सम्भव नहीं है ? अगर हां, तो इस विषय में अब तक द्वितीय श्रेणी रास्ता घोषित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई थी और अब वह कठिनाई कब तक दूर कर दी जावेगी ?

(४) क्या यह सच है कि रानीवाड़ा मंडार बस रास्ता के 'ए' श्रेणी एवं 'बी' श्रेणी के झगड़े में अब तक सिर्फ एक बस "बी" श्रेणी की चल रही है और दूसरी गाड़ी चलाने के लिए 'ए' श्रेणी रास्ता के रूप में बस ऑपरेटर्स कोई बस लगाने के लिये तैयार नहीं है ? अगर हां, तो इस विषय का मामला आर० टी० ए० जोधपुर में कब से जेर तजवीज है और 'बी' श्रेणी रास्ता की गाड़ी उपरोक्त रास्ता पर लगाने की इजाजत कब तक दे दी जावेगी ?

(५) क्या यह सच है कि उपरोक्त रास्ते पर एक गाड़ी और लगवाने की यात्रियों की मांग है ? अगर हां, तो अब तक दूसरी गाड़ी क्यों नहीं चालू करवाई गई है ? क्या यह सच है कि अगर उपरोक्त रास्ता (बी) श्रेणी मान लिया जाय तो और गाड़ियां शीघ्र ही इस रास्ते पर चालू हो सकती हैं और आम जनता को यातायात की सुविधा मिल सकती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। इस मार्ग को द्वितीय श्रेणी में शुमार करने के लिये दो प्रार्थना पत्र श्री रघुनाथ विश्नोई एम० एल० ए० व दूसरा श्री दलपतसिंह एम० एल० ए० की ओर से प्राप्त हुये थे। परन्तु एस० टी० ए० की चालू हिदायतों की स्थिति में यह रूट 'बी' क्लास अभी तक घोषित नहीं किया जा सकता अन्तिम निर्णय विचाराधीन है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। रानीवाड़ा मंडार रूट पर अभी तक एक ही बस चल रही है। यह बस 'बी' श्रेणी की है। इस रूट पर चार और गाड़ियां लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जो कि आर० टी० ए० जोधपुर के विचाराधीन है।

(५) जी हां। यह मार्ग प्रथम श्रेणी में शुमार होने के कारण इस रूट पर एस० टी० ए० ने अधिक परमिट बढ़ाने के बारे में बैन लगा रखा था अब एस० टी० ए० ने खास तौर से इस मार्ग पर परमिट बढ़ाने की मन्जूरी दे दी है और अर्जियें प्राप्त हुई हैं वे सब आर० टी० ए० जोधपुर के विचाराधीन है, उचित कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : दो साल से विचाराधीन है। दो साल से एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था सड़क को 'बी' रूट में डाल दिया जाय। इस सड़क में १५-२० नाले आते हैं यह दो साल से विचाराधीन है, विचाराधीन कब कार्य रूप में परिणत हो जायगा ?

श्री भीमसिंह : यह एस० टी० ए० के पास मूव किया हुआ है। वहां से 'ए' से 'बी' में कनवर्ट होने की मन्जूरी हो जाय तब यह हो जायगा।

श्री दलपतसिंह : मन्डार से रानी वाड़ा यह जो सड़क है जहां पर 'ए' श्रेणी और 'बी' श्रेणी के झगड़े में एक बस 'बी' श्रेणी की चल रही है। आप किसी भी रूट को 'ए' श्रेणी में ले लेते हैं तो जब तक उस रोड को आप डामर आदि से ठीक नहीं रखते तो उससे पब्लिक को दिक्कत होती है। यह मामला आपके दो साल विचाराधीन चल रहा है क्या बात है इतना क्या टैक्निकल मामला उलझा हुआ है ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : न तो रोड में गड्ढे हैं और न वह रोड ग्रेवल और मेटल्ड रोड है। कुछ पर कोलतार हो चुका है। इस सड़क के बीच में तीन चार नदी नाले आते हैं। माननीय सदस्य कहते हैं दो साल से यह पेन्डिंग है मैं उनसे निवेदन करूं मेरे पास आपका रिप्रेजेन्टेशन आये सिर्फ दो माह भी नहीं हुए हैं उस पर कार्यवाही चल रही है। एस० टी० ए० के अधिकार की बात है उनके यहां कागज सरकुलेशन में है। स्टेच्युटरी बोडी है वही इसका फैसला करती है। 'ए' से 'बी' में कनवर्ट हो जाने की सूचना आने वाली है और कार्यवाही चल रही है। यह तय एस० टी० ए० करता है।

श्री दलपतसिंह : Now we are happy.

श्री मथुरादास माथुर : O. K. Now I am also happy.

प्रश्न संख्या ७७४

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

छापर नोखा सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

७७५. श्री मोहरसिंह राठोड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) छापर से नोखा तक सड़क का निर्माण कब किया गया और उस पर कितना व्यय किया गया ?

(२) क्या इस सड़क निर्माण के लिये ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी धन-राशि दी गई है ?

(३) यदि अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है तो अब कब तक दिया जायेगा और कितना दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) (१) यह सड़क भूतपूर्व बीकानेर रियासत के वक्त में बनी थी और लगभग ५,१३,०००) रुपया व्यय हुआ है।

(२) इस विभाग के पास ऐसे कोई कागजात नहीं हैं जिससे कि यह मालूम हो कि मुआवजा पेन्डिंग है।

प्रश्न संख्या ७७६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन ।

अन्ता पंचायत समिति के उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा सामान की खरीद

७७७. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) अन्ता पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने सन् ६२ में उद्योग प्रसार अधिकारी को कब, कितना रुपया, किस किस सामान की खरीद करने के लिये दिया और वह सामान कब खरीद कर स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि उद्योग प्रसार अधिकारी चमड़ा आदि जो खरीद कर जिस समय लाये उसके पहले चमड़ा स्कीम समाप्त हो चुकी थी ?

(३) यदि हां, तो फिर विकास अधिकारी ने यह सामान क्यों खरीद कर मंगवाया ?

(४) क्या विकास अधिकारी ने जो रकम एक मुश्त खरीद करने के लिये उद्योग प्रसार अधिकारी को दी उतनी रकम बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के विकास अधिकारी को देने का अधिकार था ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाचन्द सोन : सूची में एक ६–१२–६२ को रकम दी गई और स्टॉक रजिस्टर में एन्ट्री हुई २२–१०–६३ को, इतनी देर क्यों हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : खरीद तो चुके थे पर स्टॉक रजिस्टर में २२–१०–६३ को लिखा है। बाकी एडजस्टमेन्ट ६२ में ही हो गये हैं।

श्री दयाचन्द सोन : साल भर बाद रजिस्टर में एन्ट्री होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : परिवार नियोजन का सामान है शायद इस्तेमाल हो गया हो।

श्री दयाचन्द सोन : सामान के लिये टेन्डर इस्तेमाल किया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट पहले पैसा एडवान्स कर चुकी है। यह तो....

श्री दयाचन्द सोन : प्रश्न यह है कि इतनी देर के बाद स्टॉक रजिस्टर में क्यों इन्ट्री हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : जांच करा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह नियमानुसार है इस तरह एडवान्स करना और बाद में देर से स्टॉक रजिस्टर में एन्ट्री करना ?

श्री दिनेशराय डांगी : एडवान्स पंचायत समिति की स्वीकृति से किया गया था।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों का सवाल है, जितना जल्दी हो सके स्टॉक रजिस्टर में एन्ट्री करनी चाहिये थी। मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करें। अगर इसे नार्मल प्रेक्टिस मानते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जानकारी का अभाव है।

मोकलसर से सिवाना तथा सिवाना से बालोतरा सड़क पर डामर कार्य

७७८. श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मोकलसर से सिवाना और सिवाना से बालोत्तरा तक की सड़क कच्ची है और उसके बार बार खराब हो जाने के कारण बस यात्रियों को काफी परेशानी रहती है।

(२) क्या सरकार इसे शीघ्र ही डामर रोड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह ग्रेविल रोड है और सड़क की हालत साधारण है।

(२) यह कार्य अर्थाभाव के कारण योजना में स्वीकृत नहीं हो सका है।

श्री हरिराम घारू : अब लेने की इच्छा है ?

धौलपुर हाई टैंक फैक्टरी के भवन निर्माण पर व्यय

७७६. श्री हरिशंकर (धौलपुर) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

धौलपुर में बन रही हाई टैंक फैक्टरी के भवन निर्माण में राज्य सरकार का कितना रुपया अब तक व्यय हुआ है ?

उप-मंत्री, राजकीय उद्योग (श्री रामप्रसाद लड्ढा): २०-३-६५ तक २,२२,६६२) रुपया खर्च हो चुका है।

श्री हरिशंकर : पानी पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग अलग किस मद पर खर्च हुआ है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। टोटल एक्सपेन्डीचर सो फार इन्कर्ड।

श्री हरिशंकर : मूल प्रश्न तो वही था।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न में वही पूछ लेते। माननीय सदस्य को आपत्ति क्या है ? बता दें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल पानी पानी का जो खर्चा हुआ है वह ६५ हजार के करीब बताया गया है। अब इसके लिये वहां कोई न कुआ खोदा गया न पम्प लगाया गया या लाया गया। पानी पास में उपलब्ध था। केवल निकालने लाने में इतना पैसा खर्च बताया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही प्रश्न पूछ लेते तो मैं इसकी जानकारी करवा लेता।

श्री अध्यक्ष : अब जांच करा लें।

राजकीय उद्योग मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : ६५ हजार का फिगर आपके पास कहां से आया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारे सोर्स ऑफ इन्फोर्मेशन अधिकृत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ६५ हजार का पानी का खर्चा तो समझ में नहीं आता मेरे भी इसलिये जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह इर्रेगुलेरिटी मालूम पड़ती है कि २ लाख २२ हजार के निर्माण में ६५ हजार पानी के मद में खर्च हो जाय इसमें स्पष्टतया गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है। आप इसकी इन्क्वायरी करालें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसकी जांच कराके एक हफ्ता भर में लिख कर इसका उत्तर भेज दूंगा कि सच स्थिति क्या है।

खनिज ठेकेदारों से बिक्री कर की वसूली

७८०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में खनिज ठेकेदारों से बिक्री कर कब से तथा किस दर से वसूल किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील अटरू के ग्राम बदोरा के श्री किशोर से गत आठ वर्षों के बिक्री कर की मांग की गई है जब कि उनको बिक्री कर की अदायगी की सूचना (नोटिस) केवल लगभग ६ मास पूर्व दी गई थी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगली टर्न पर दे सकूंगा। एक और आगे का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ये दोनों प्रश्न अगली टर्न पर आवेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह।

जुझारसिंहजी का और आपका दोनों प्रश्न मिलाकर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक यह और एक आगे है।

पिड़ावा सुनेल मार्ग पर पुलियाओं का निर्माण

७८१. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिड़ावा से सुनेल (जिला झालावाड़) तक पक्की सड़क बन जाने पर भी बरसात में पिड़ावा से सुनेल का बस मार्ग सड़क पर पुलिया न होने के कारण बन्द हो जाता है जिसकी वजह से सुनेल के नागरिक को पिड़ावा (तहसील हैडक्वार्टर्स) जाने के लिये सूलिया झालरापाटन सोयत होकर जाना पड़ता है। जो करीब ७० मील दूर का सफर होता है ?

(२) उपरोक्त मार्ग पर कितनी पुलियाएं कितनी लागत की बन जाने पर यह मार्ग बरसात में बस चलाये जाने योग्य हो जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि बरसात में उपरोक्त मार्ग (पिड़ावा सुनेल) बन्द हो जाने पर तहसील पिड़ावा की जनता को झालावाड़ आने के लिये मध्यप्रदेश में होकर आना पड़ता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो राज्य सरकार उपरोक्त मार्ग की पुलियाएं कब तक बना देना का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। अधिक वर्षा होने पर सड़क बन्द हो जाती है तथा नागरिकों को आवागमन में ६६ मील का सफर करना पड़ता है।

(२) १४ पुल व पुलियों पर लगभग (१७४२००) खर्च लगेगा।

(३) जी हां।

(४) चतुर्थ योजना तक सारी पुलियाएं बनने की सम्भावना है।

प्रवीण वैद्य उपाधि को मान्यता

७८२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रवीण वैद्य उपाधि को आयुर्वेद विभाग ने मान्यता प्रदान की है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का (इण्डियन मैडिसिन्स बोर्ड) इन परीक्षाओं को मान्यता प्रदान नहीं करता ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेद विभाग ने इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। प्रवीण वैद्य परीक्षा आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में सन् १९५७ से चलती है।

Page No 17

(श्री दौलतराम सारण)

(२) इस परीक्षा में रजिस्टर्ड वैद्य या वे व्यक्ति जो आयुर्वेद विशारद या तत्तुल्य परीक्षा पास हो उनको प्रवेश दिया जाता है ऐसी दशा में इण्डियन मेडिसिन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप जिसको मान्यता देते हैं इण्डियन मेडिसन बोर्ड मान्य नहीं करता इसलिये दूसरे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता ।

श्री दौलतराम सारण : इसका सवाल नहीं है । यह रिफ्रेशर कोर्स है एक साल का और इसमें रजिस्टर्ड वैद्य ही प्रवेश पाते हैं इसलिये इसको अलग से मान्यता का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि आपकी इस परीक्षा को इण्डियन मेडिसिन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं होने से दूसरी जगह से लोग हटाये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वैद्यों के लिए रिफ्रेशर्स कोर्स क्या होता है ? वह तो प्रेक्टिस करते हैं उनका अनुभव बढ़ता जाता है उनके लिए रफ्रेशर कोर्स की क्या व्यवस्था रहती है ?

श्री दौलतराम सारण : उनको भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल शायद इसलिए कि एक स्थान विशेष है कि जिस पर राज्य सरकार की विशेष कृपा है ।

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं । राज्य सरकार कृपा से काम नहीं करती नियमों और आवश्यकता की दृष्टि से काम करती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इण्डियन मेडीसन्स बोर्ड को क्यों नहीं लिखते कि जिसको हम मान्य करते हैं उसको आप भी मान्य करो । यह कार्यवाही क्यों नहीं करते आप ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि यह रिफ्रेशर्स कोर्स है और विभाग की स्वीकृति से चलता है । अलग से मान्यता की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

देलवाड़ा-बिलोता सड़क पर आवागमन में दिक्कत

७८३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील नाथद्वारा के गांव देलवाड़ा व बिलोता के बीच नाले के कारण वर्षा के दिनों में आस-पास के गांवों के लोगों का देलवाड़ा पहुंचना मुश्किल हो जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि देलवाड़ा हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस कारण परेशानी रहती है ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने इस पर कोई रास्ता या पुल बनाने के लिये कोई रकम स्वीकृत की थी और सर्वे करवाया था ?

(४) इसके बनने में कितना व्यय होगा ?

उप-मन्त्री विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : अधिक वर्षा होने के कारण दो तीन घन्टे के लिए कभी कभी आवागमन रुक जाता है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) लगभग ४०,०००) रु० का अनुमान है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

ग्राम सेवा सहकारी समिति बल्लूपुरा

७८४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री, सहकारिता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) ग्राम सेवा सहकारी समिति बल्लूपुरा का पंजीयन कब हुआ ?

(२) उक्त समिति में कब व किस व्यक्ति को अवैतनिक मंत्री नियुक्त किया गया तथा उसको वेतन के नाते कितनी धनराशि दी गई ?

(३) क्या उस व्यक्ति की रसीद समिति के कार्यालय के रेकॉर्ड पर है ?

(४) क्या यह सही है कि समिति के खजांची ने यह बयान दिया है कि उपरोक्त नाम का कोई भी व्यक्ति समिति में कभी भी कार्य करने नहीं आया तथा उसके वेतन का भुगतान उसको न करके विभाग के अधिकारियों को ही किया गया है ?

(५) क्या इस गबन के सम्बन्ध में विभाग ने आगे कोई जांच करवाई है ?

उप-मन्त्री सहकारिता (श्री भीमसिंह): (१) बल्लूपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० का पंजियन दिनांक २३-३-६१ को हुआ तथा इसको व्यवस्थापक व्यय हेतु १९६०-६१ में २००) रु०, ६१-६२ में २००) रु० ६२-६३ में १००) रु० व १९६३-६४ में १००) रु० अनुदान मिला।

(२) अवैतनिक मन्त्री चुनाव से आता है और उसको वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां, यह सही है कि समिति के खजांची ने निरीक्षक (आडिट) को आडिट के दौरान में बयान दिये कि श्री गिरधारीलाल नामक व्यक्ति ने समिति में कार्य नहीं किया और वेतन श्री हीरासिंह ग्राम सेवक मुदोली को देना बताया। विभागीय अधिकारी को रकम देना नहीं बताया। बयान की प्रतिलिपि परिशिष्ट '२' पर संलग्न है।

(श्री भीमसिंह)

(५) जी हां, जांच सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सीकर द्वारा की गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह रकम विभाग के इन्सपेक्टर ने अपनी मौजूदगी में उस ग्रामसेवक को दिखाई थी ?

श्री भीमसिंह : ऐसा खजांची ने बयान दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपकी जानकारी में कब आया ?

श्री भीमसिंह : जब ऑडिट ने कम्प-लेन्ट किया उसके बाद में।

श्री भैरोंसिंह : कौन से साल की आडिट की बात है ?

श्री भीमसिंह : यह तहकीकी नहीं कह सकता, लेकिन ६२–६३ में।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १९६२-६३ के आडिटर ने अपनी रिपोर्ट में यह शिकायत की थी कि यह रकम गलत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई है और सरकार के पास ६२–६३ का जो अनुदान आपने दिया है उसका यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट इस सोसाइटी की तरफ से नहीं दिया गया।

श्री भीमसिंह : क्या पूछा आपने ?

श्री भैरोंसिंह : ६२–६३ में जो आपने अनुदान दिया है जिसमें से यह वेतन चुकाया गया इसके बारे में यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट जो दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया गया आज तक ?

श्री भीमसिंह : यूटीलाइज़ेशन सर्टी-फिकेट दिया गया या नहीं, इसका तो मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री भीमसिंह : यह निरीक्षक ने ३-१२–६३ को अपने स्टेटमेंट में दिया था और ज्योंही ३–१२–६३ के स्टेटमेंट में चीज सामने आई उसके बाद में इन्क्वायरी शुरू कर दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : दो वर्ष में यह क्यों नहीं हो पाई ?

श्री भीमसिंह : इन्क्वायरी से मालूम हुआ कि गलत रुपया दिया गया तो १०० रुपया जो गिरधारीलाल को दिया गया था उससे वापिस वसूल कर लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो गलत परसोनी-फिकेशन का सवाल है। एक आदमी का वेतन दूसरे आदमी को चुका दिया जाये और आप रुपया जमा कर लेते हैं क्या यह क्रिमि-नल ऑफेन्स नहीं है और/ जिनकी उपस्थिति में यह रुपया दे दिया गया उनकी ड्यूटी नहीं थी कि उसके बारे में वे कार्यवाही करते। यह डेलीब्रेटली दिलाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री भीमसिंह : इसमें ऐसा निवेदन है कि इस सारी चीज से मामले में कुछ गोल-माल नजर आता है। इसकी और जांच करके वाजिब कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट आज तक इस गोलमाल को दबा कर क्यों बैठा रहा ?

श्री अध्यक्ष : अब जांच कर लेंगे।

श्री भीमसिंह : कोई कोशिश नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : दो वर्षों से मामला दबा पड़ा है ?

सहकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): मैं इसके लिए निवेदन कर दूं कि ऑडिट द्वारा एतराज करने पर श्री गिरधारीलाल से १००) रु० वापिस लेकर दिनांक १२-१-६४ की प्रबंधकारिणी के प्रस्तावानुसार दिनांक ३०-१-६४ को जमा करा दी। अब इन सोसाइटीज के अन्दर हमेशा के लिए आपसे भी चाहता हूं कि सोसाइटी की जो बॉडी होती है, उसका रुपया होता है, वह काम करती है, उनके एम्प्लॉई हैं और ऑडिट हम करते हैं और यह रुपया नहीं पहुंचा तो उसका रुपया वापिस दे दिया है और सोसाइटी की जनरल बॉडी रुपया वापिस दे देती है इसमें राज्य सरकार क्या करे ?

श्री अध्यक्ष : इसमें जो रसीद थी वह किस नाम पर थी और वह किस व्यक्ति को दी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : रुपया गिरधारीलाल को नहीं दिया गया था। इसके बारे में गिरधारीलाल को रुपया दिलाया गया। अगर जनरल बॉडी कम्पलेन्ट ही नहीं करे तो स्टेचुटरी बॉडी के अन्दर राज्य सरकार का जो रोल है वह कोऑपरेटिव एक्ट के जो पॉवर्स हैं उनके अनुसार कर सकती है। हम क्रिमिनल एक्शन कैसे लें वह सोसाइटी को रुपया वापिस देकर प्रस्ताव पास कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्रिमिनल एक्शन तो दूर रहा जिस व्यक्ति ने तनख्वाह ली वह ग्राम-सेवक था और इन्सपेक्टर ने वह तनख्वाह दिलाई उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन जो प्रस्ताव किया वहां की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसके प्रस्ताव के हिसाब से यह कार्यवाही कर दी।

श्री भैरोंसिंह : आप यह समझते हैं कि कोई समिति किसी सरकारी अधिकारी के एक्शन को जो कि ड्यूटीज में शामिल नहीं है उस प्रकार के एक्शन को यदि सहकारी समिति माफ करना चाहे तो कर सकती है और डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं हो सकती ?

श्री मथुरादास माथुर : कर्मचारी गिरधारीलाल है वह सरकार का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी को तनख्वाह दिलाई है वह ग्रामसेवक है।

श्री अध्यक्ष : इससे और गंभीर स्थिति हो जाती है कि पहले यह प्रस्ताव

Page No 21

(श्री अध्यक्ष)

पास करा लें और जब पकड़े गये तो दूसरा प्रस्ताव पास करा लें। आप इसको थोड़ा देखें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वरूपसिंह।

मन्डोर कस्बे की विद्युत योजना

७८५. श्री स्वरूपसिंह (लूनी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जोधपुर के पास मंडोर कस्बे को बिजली देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मंडोर कस्बे का विद्युतीकरण सन् १९५८ में हो गया है।

श्री स्वरूपसिंह : बाकी एरिया का कब तक हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : बाकी एरिया का क्या मतलब ?

श्री स्वरूपसिंह : मंडोर कस्बे का बाकी एरिया।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा है कि हो चुका है।

श्री स्वरूपसिंह : बाकी एरिया जो कस्बे का है उसमें कब तक हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर वहां पर लोड अवेलेबल है तो जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर तथा इन्सपेक्टर ऑडिट को ट्रेनिंग की अवधि में वजीफे

७८६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सहकारी विभाग में इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर ऑडिट को सिलेक्शन के बाद नियुक्ति आदेश देकर कुछ समय पोस्टिंग करके ट्रेनिंग में भेजा जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि ट्रेनिंग अवधि में उपरोक्त व्यक्तियों को वजीफे के अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है ?

(३) अगर हां, तो कितना कितना व क्यों ?

उप-मन्त्री, सहकार (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) ट्रेनिंग में भेजने से पूर्व जो वेतन उनको मिलता रहता है वही प्रशिक्षण अवधि में भी दिया जाता है। चूंकि उनका प्रशिक्षण काल ड्यूटी माना जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो ट्रेनिंग में जाते हैं उनको स्टाइपेन्ड कितना देते हैं ? इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर और ऑडिट इन्सपेक्टर को कितना देते हैं ?

श्री भीमसिंह : ४० और ५० रुपया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार के अन्य विभागों के अन्दर जब कर्मचारियों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है तो उनको केवल स्टाइपेन्ड दिया जाता है और वेतन नहीं दिया जाता है ?

श्री भीमसिंह : यह जो इनको भत्ता दिया जाता है यह अपनी सरकार से नहीं दिया जाता है। बल्कि केन्द्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाकर कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इन्डिया द्वारा वहन किया जाना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब कि विभाग दूसरे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो सेलेरी नहीं देते हैं। दूसरे विभाग केवल स्टाइपेन्ड देते हैं सेलेरी नहीं देते। केन्द्रीय सरकार कोई राजस्थान सरकार से अलग तो नहीं है वह करती है हम करते हैं बात एक ही आती है। आपका विभाग स्टाइपेन्ड देता है और सेलेरी देता है जब कि दूसरे विभाग केवल स्टाइपेन्ड देते हैं क्या यह सही है !

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जांच करा लें कि यह नियमानुसार है या नहीं। कोआपरेटिव ट्रेनिंग में ऐसे लोग जाते हैं जो कि कहीं एम्पलाई नहीं है। सोसाइटी में एम्पलॉय भी हो सकते हैं इसलिए उन्होंने स्टाइपेन्ड के बारे में रखा है। क्या उनके विचार में यह स्थिति सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होती है इसके बारे में और देख लें कि वह किस प्रकार से हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बात और है। क्या यह सही है कि जयपुर ट्रेनिंग सेंटर और कोटा ट्रेनिंग सेन्टर इन दोनों के अन्दर सेलेरी और स्टाइपेन्ड दिये जाने के सम्बन्ध में भेदभाव है। आपके जयपुर ट्रेनिंग सेन्टर पर तो चाहे टेम्पोरेरी एम्लाई हो या पर्मानेन्ट एम्प्लॉई हो उसको स्टाइपेन्ड और सेलेरी मिलेगी जब कि कोटा ट्रेनिंग सेन्टर पर अगर कोई टेम्पोरेरी हो तो केवल स्टाइपेन्ड दिया जाता है और सेलेरी नहीं दी जाती है ?

श्री भीमसिंह : आपने सूचना दी इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् १६५६ के अन्दर आपके विभाग में जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स थे उनकी ५-५ साल की सर्विस थी उनको आपने केवल स्टाइपेन्ड दिया जब कि आपके इन्सपेक्टर जिनका केवल १ महीने का अपोइन्टमेंट था उनको आपने सेलेरी दी और स्टाइपेन्ड दिया। एक ही ट्रेनिंग के लिए दो व्यक्ति जाते हैं एक को तो आप केवल स्टाइपेन्ड देते हैं और दूसरों को स्टाइपेन्ड और सेलेरी दोनों देते हैं। क्या १६५६ के अन्दर सरकार के सामने ऐसी शिकायतें आई हैं ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कोटा और यहां पर डिफरेन्स है

Page No 23

(श्री मथुरादास माथुर)

क्योंकि कोटा का जो सेन्टर है वह तो सेन्ट्रल कोआपरेटिव यूनियन चलाती है और बाकी के जो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चलते हैं वह हमारी राज्य सरकार चलाती है। हम इस बात को सोच रहे हैं कि ये इन्स्टीट्यूशन्स भी कोआॅपरेटिव यूनियन को ट्रान्सफर कर दिये जायं। इसलिए उनके और हमारे बीच कम्पेरीज़न नहीं है।

जब यहां तक स्टाइपेंड और सैलरी दोनों ही इनको दी जाय या सिर्फ स्टाइपेंड ही दिया जाय तो वह जो राज्य सरकार की नीति है और वह उनको ट्रेनिंग में भेजती है उसके अन्दर किसी को तो उनकी फेमिलीज को मेंन्टैन करना पड़ता है तो तनख्वाह तो इधर चलती है और जब ट्रेनिंग में चलते हैं तो वे स्टाइपेंड से गुजारा कर लेते हैं ताकि उनके बाल-बच्चे भूखे न मरें। उस फिलासाफी से दोनों चीजें की जा रही है। यह बिल्कुल कानून के मातहत की जाती है और बहुत अर्से से की जा रही है और इसमें मैं गलती नहीं पाता। अब रह गया सवाल कि कोई ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन ट्रेन ही करती है और सर्विस गारन्टी नहीं करती है तो स्टाइपेंड नहीं देते हैं। जो अन्तर की बात आपने कही कि कुछ को नहीं मिला। यह व्यक्तिश: इस जवाब में नहीं है। अगर कोई आपके पास फेक्ट्स हों तो आप मुझे दे दें उसकी जांच करके कोई इर्रेग्युलेरिटी हुई हो या कोई वजह हो तो उसको सैटिस्फाई कर देंगे। वजह नहीं है या कोई वजह हो तो ठीक कर दूंगा। वैसे जनरली नहीं लिया गया जो आपने कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार की स्वयं की नीति क्या है? जहां तक सरकारी विभाग का सवाल है दूसरे डिपार्टमेंट का जब कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उनको केवल स्टाइपेंड दिया जाता है और इसहकारी विभाग में स्टाइपेंड और सेलेरी दोनों ही दिये जाते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार की नीति अलग अलग विभाग की अलग है। एज्युकेशन डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉई है और वह कोई ट्रेनिंग में भेजते हैं तो उसको भी तनख्वाह मिलती है और कहीं पर स्टाइपेंड ही मिलता है तो वह अलग अलग विभाग विभाग की पॉलिसीज के मातहत जो प्रोग्राम चलते हैं उसके अनुसार वह मिलता है। एक ट्रेनिंग इम्पोर्टेन्स की है और सरकार को उसकी जरूरत है तो जिनको ट्रेनिंग पर भेजते हैं उनको तनख्वाह भी देगी और स्टाइपेंड भी देगी और खर्चा भी देगी। जिसमें सरकार इन्ट्रेस्टेड नहीं है और वह इन्ट्रेस्टेड है तो कुछ नहीं देती है। कई ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वह अपॉइंटमेंट के प्रोग्राम के ऊपर है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह माना जाय कि सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर्स और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को ट्रेनिंग में भेजते हैं खर्चा देकर क्योंकि सरकार को ये व्यक्ति ट्रेन्ड उपलब्ध नहीं होते हैं और उनकी कमी के कारण सरकार यह सुविधा देती है।

श्री मथुरादास माथुर : छोटी छोटी श्रेणियों के कार्यकर्ता हैं वह सिलेक्शन में होकर एम्प्लायमेंट में चले जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं इन्स्टीट्यूशन के अन्दर टर्न बाई टर्न तो

(श्री मथुरादास माथुर)

तनख्वाह होती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में है तो ट्रेनिंग में चला जाता है तो उसके बाल-बच्चे क्या खायें ? मान लो कि कोटा या भरतपुर या जोधपुर में ट्रेनिंग में चला गया और रहने वाला कहीं का हो तो तनख्वाह तो घर भेजता है और स्टाइपेंड में गुजारा करके वहां रह जाता है तो यह तो बहुत ही इक्वीटेबल बात सरकार कर रही है इसके लिए राज्य सरकार की तारीफ करना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तारीफ तो तब की जाय जब कि सारे डिपार्टमेंट्स इस प्रकार का व्यवहार करें। सारे डिपार्टमेंट्स में इस प्रकार नहीं होता है और केवल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में होता है चाहे उस व्यक्ति ने एम्लॉय होकर दो दिन ही काम किया हो और दो दिन के बाद उसको ट्रेनिंग में भेज दिया हो। वह टेम्पोरेरी होता है उसने सर्विस दो दिन की लेकिन उसको वहां पर स्टाइपेंड भी दिया गया और सेलेरी भी दी गई। लेकिन सरकार के दूसरे विभागों में जिनके अन्दर शिक्षण दिया जाता है उनमें, एक नीति और एक पालिसी नहीं है। उनके भी बाल-बच्चे भूखे मरते हैं। तो सरकार की इस नीति को कम से कम सब के लिए एक सी बनानी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : विचार करेंगे जो आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

बसों पर टैक्स की बकाया

७८७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या वित्त मंत्री (आबकारी तथा कर) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जब से पैसेन्जर्स गुड्स टैक्स चालू हुआ है तब से उदयपुर में बस नं० आर० जे० वाई० १७३६ और बस नं० आर० जे० वाई० १०६६ का टैक्स बाकी है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) क्या टैक्स देरी से जमा कराने या नहीं कराने से अभी तक उन पर कोई पैनेल्टी लगी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उदयपुर में ऐसी रकमें किन किन में कितकी बाकी है और क्यों ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : अध्यक्ष महोदय, ७८७ का उत्तर तो आने दें।

श्री अध्यक्ष : इसको अगली टर्न पर लिया है।

श्री गोविन्दसिंह।

हाथी दांत का कोटा

७८८. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्दसिंह)

क्या यह सही है कि ग्राम डग तहसील गंगधार में हाथी दांत के कारीगरों को विदेशी नकली हाथी दांत का कोटा बहुत कम दिया जाता है? यदि हां, तो सरकार इसे बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ग्राम डग तहसील गंगधार में हाथी दांत के कारीगरों को उद्योग विकास से कोटा नहीं दिया जाता। उन्हें केवल नकली हाथी दांत बाहर से आयात करने के लिए एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट दिये जाते हैं।

डग के हाथी दांत के कारीगरों की एसोसियशन को नकली हाथी दांत बाहर से आयात करने के लिए अप्रेल, ६४ – मार्च ६५ पीरियड में ३०,०००) रुपये के मूल्य के एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश दिये थे, परन्तु एसोसियेशन से निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका है।

श्री गोविन्दसिंह : इनको जो कोटा दिया है वहां एसोसियेशन नहीं बन पाया है- इस कारण नहीं मिला; इस कारण से वहां की जो स्त्रियां हाथी दांत का चूड़ा पहिनती हैं उनको वह नहीं मिल सकता है। क्या इसके लिए आप विशेष ध्यान देंगे?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जवाब दिया वह स्पष्ट है, शायद आप समझ नहीं पाये हैं। मैंने यह कहा है कि बाहर से मगाने के लिए जो नकली हाथी दांत का एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट कर दिया इश्यू ३०,०००) रु० का लेकिन चूंकि उनके एसोसियेशन ने प्रेस्काइब्ड फार्म पर डिमाण्ड नहीं की इसलिये वह जारी नहीं हो सका। आपने जब प्रश्न पूछा है तो वह सवाल नहीं उठता है।

We have recognised the trade and we have issued......

उनकी डिमान्ड ५०,००० रु० की थी तो उनको ३०,०००) रु० का इश्यू कर दिया। वे प्रेस्काइब्ड फार्म पर एप्लीकेशन दें।

श्री गोविन्दसिंह : उनसे इसमें गलती हो गई तो आप विशेष अधिकारी को भेज कर उसको ठीक नहीं करा सकते हैं फार्म बजाय उसके कि वे यहां पर आयें। वे देहात के लोग हैं और जानते नहीं कि फार्म किस तरह से भरते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : They can approach the B. D. O. and the form filled in.

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

राजगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

७८६. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) गांवों की दूरी व जनसंख्या तथा अधिक मुकदमों को ध्यान में रखते हुए

(श्री रावतराम)

क्या सरकार राजगढ़ सब डीवीज़नल हैड क्वार्टर, जिला चूरू में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो जायगी ?

(२) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किन आधारों पर होती है ?

विधि मत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) इस विषय पर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(२) अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति निम्नलिखित आधारों पर अवलम्बित है —

(क) अदालत के निर्माण के लिए साधारणतया वार्षिक दावे कम से कम ४००–५०० की तादाद में दायिर होना जरूरी है तथा सुदूरवर्ती स्थानों के कोर्ट के निर्माण के लिए कम से कम तादाद के दावे दायरों की गणना हो सकती है।

(ख) अदालत के लिए उपयुक्त भवन तथा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के निवास स्थान की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

श्री रावत राम : क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कि दो दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बैठे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, हो सकते हैं जहां कि वर्कलोड ज्यादा है।

श्री रावतराम : वर्कलोड नहीं है। क्या आपने जांच की है इसकी ? वर्कलोड नहीं होते हुए भी दो दो लगा रखे हैं। मैं आपको बताऊं कि यह इलाका पंजाब से चिपता हुआ है और इसकी दो लाख की पोपुलेशन है और वहां पर ७०० केसेज़ पेंडिंग हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप पहले तो यह बता रहे थे कि वर्क लोड कम है। आप ऐसी मिसाल देवें तो मैं वहां से मुन्सिफ को तोड़ दूंगा।

दूसरी बात यह है कि जहां तक इस स्थान का सम्बन्ध है तो उसका वर्कलोड है वह वहां रतनगढ़ के नीचे में आता है। उसके वर्कलोड के फीगर्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके अन्दर आप कहते हैं कि ७०० के फीगर हैं वहां पर कुल मिलाकर दुनियाभर के आंकड़ों को मिलाकर ५००–५४० के के लगभग आता है इसलिए वह काम वहां का मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कर लेता है। उनकी दर्ख्वास्त है नहीं, कोई डिमाण्ड है नहीं जो विचाराधीन हो।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सेशन में माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसी एप्लीकेशन दो और अब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ५००–५५० का लोड है।

श्री मथुरादास माथुर : रतनगढ़ के अन्दर जो एडीशनल सिविल जज है, जिसके नीचे यह राजगढ़ आता है वहां पर सब मिलाकर जो केसेज हैं एक कोर्ट के वर्कलौड के बराबर है।

(१२. मध्याह्न)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ का प्रश्न नहीं है, दो तहसील हैड क्वार्टर्स-चूरू और तारानगर- पड़ते है।

श्री मथुरादास माथुर : रतनगढ़ में एडीशनल सिविल जज का कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में राजगढ़ सब डिविजन आता है और रतनगढ़ का इलाका मिला कर वर्क लोड एक आदमी का ही है। दूसरा कैसे कर दें ?

श्री रावतराम : वहां के गांवों की हालत को देखिये, आवागमन के साधन देखिये, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाने के पूरे साधन नहीं हैं; लोगों को इतना दूर जाने में तकलीफ होती है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जुडिशियरी के सेपरेशन की कार्यवाही चूरू जिले में कब तक कर दी जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : जब साधन सरकार के पास उपलब्ध होंगे और उचित समझेंगी तब कर देंगे।

श्री फूलचन्द जैन : कब तक कर देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : हमने यह काम शुरू किया था और काफी जिलों में कर दिया है। सब डिविजन्स के आधार पर २०-२२ सब डिविजन बाकी हैं। बीच में इमरजेन्सी हो गई, धन-राशि की कमी हो गई। एमर्जेन्सी खत्म होने पर विचार करके करेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट्स में एमर्जेन्सी के होते हुए भी इस काम को पूरा कर दिया एमर्जेन्सी के दौरान में ही और आप कहते है कि एमर्जेन्सी है ?....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम घारू।

मोकलसर पॉवर हाउस के आसपास के क्षेत्र में कृषि प्रयोजन हेतु बिजली

७६०. श्री हरिराम घारू (सिवाना सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिवाना क्षेत्र में मोकलसर में पॉवर हाउस होते हुए भी वहां खम्भे और मीटरों के अभाव में वहां के आस पास के क्षेत्र के किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली नहीं मिल रही है ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मोकलसर से लाइन खींच कर मिला दिया गया है। मीटर का इस समय अभाव नहीं है, प्राप्त होने वाले हैं। आवश्यक कार्यवाही के बाद कनेक्शन कर दिया जायगा।

श्री हरिराम घारू : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया वह सही है, सिवाना से मोकलसर ७ मील लाइन चली गई है, तीन-चार

(श्री हरिराम चारू)

मील देवारी चली गई है। मोकलसर शहर में २ मील चली गई है, महलाबास से २ मील चली गई है अब ७ मील पर समदड़ी आता है बीच में करमावास है, समदड़ी कस्बा बड़ा है, बीच में किसानों को भी बिजली मिलनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आप इसके लिए पूछते तो इसके बारे में स्पेसिफिक जवाब दे देता।

श्री अध्यक्ष : जवाब भले ही नहीं दें पर इस पर विचार कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बाद ही बिजली पर बहस होगी, उस पर आप बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

सुजानगढ़ सालासर सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

७६१. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) सुजानगढ़ के सालासर तक सड़क का निर्माण कब किया गया और इस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना दिया गया ?

(३) यदि अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है तो अब कब तक दिया जायेगा ? ऐसी धनराशि कितनी होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) वर्ष १९४० में तथा १९६२ में मरम्मत व डामर कार्य कराया गया है। इस पर १,१२,०२४, रु० व्यय हुआ है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहरसिंह : इस सड़क के लिए मुआवजे के बारे में आपके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हमने तो दिया नहीं, आप चाहें तो जानकारी कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र : यदि आप जानकारी देंगे कि मुआवजा नहीं मिला है तो उस पर जरूर कार्यवाही की जायगी। आपने पहले प्रश्न पूछा था वे मिले जरूर हैं। सन् १९४० में सड़क बनी थी, भूतपूर्व रियासत के समय बनी थी। मेरे पास ऐसा मेटीरियल नहीं है जिससे कह सकूं कि उनको मुआवजा मिला या नहीं। आपके पास ऐसी एग्जाम्पल हो तो We will certainly consider.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

मांगरोल-बमोरी सुरथाग सड़क तथा पुलियाओं का निर्माण

७६२. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दयाचन्द सोन)

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में मांगरोल से बमोरी-सुरथाग तक कच्ची सड़क है ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क को क्रोस करने वाली नदी व नालों पर कोई पुल नहीं है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

श्री दयाचन्द सोन : अब आप फरमा रहे है कि यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है तीन चार महीनों पहले आप बमोरी गये थे तब आपने वहां कहा था कि योजना है या नहीं है तो आप अपनी जेब से बनवा देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य जिम्मेदारी से बात करें । मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था ।

श्री दयाचन्द सोन : मैं कह रहा हूं कि आप वहां गये थे और आपने वहां ऐसा फर्माया था ।

श्री हरिश्चन्द : आप मुझे गलत बता रहे है और मैं आपको गलत बता रहा हूं ।

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर क्या कहा गया था क्या नहीं, यहां ये गलत कह रहे हैं । ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : गलत नहीं कह रहे हैं चुनाव का समय था उस समय गलत आश्वासन दे दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को जानकारी है क्या ? क्या नाथद्वारा में सुना था ? बिना जानकारी के ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जेब से बनवाने का झगड़ा छोड़ कर सरकारी साधनों से बनवा देंगे यह तो कह दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : एक बात तो आप वापिस ले रहे है ।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप कह दें कि सरकारी साधनों से बनवा देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसे प्रेशर टेक्टिक्स के हम आदी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

सतर्कता आयोग द्वारा बिश्नोई रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

७७१. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रय विक्रय संघ द्वारा गुड़ के आयात के संबंध में विश्नोई रिपोर्ट को सतर्कता आयोग को सुपुर्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या सतर्कता आयोग ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रय विक्रय संघ के असिस्टेन्ट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है ? क्या उसकी गिरफ्तारी सतर्कता आयोग की कार्यवाही के आधार पर की गई है ?

(४) क्या सतर्कता आयोग ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ के चेयरमैन के संबंध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री सहकार (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, ता. १६ नवम्बर, १९६४ को सुपुर्द किया गया था।

(२) सतर्कता आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है और उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में धाराए ताजीरात हिन्द १२० बी., १५५ ए. आदि में मुकदमे दर्ज भी कराये हैं।

(३) जी हां। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मुकदमें दायर करके लालाराम की गिरफ्तारी भी तफतीश व जांच के बाद की गई।

(४) मुकदमा अभी जेर तफतीश है. अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानंद अग्रवाल : (४) का क्या जवाब दिया ?

श्री भीमसिंह : मुकदमा अभी जेर तफतीश है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रेल्वे क्रोसिंग पर सड़क का निर्माण

७७२. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि उदयपुर से कपासन रोड वाया मावली जाती है ?

(२) क्या यह सच है कि मावली स्टेशन के पहले यह रोड रेलवे लाइन को क्रोस करती है ?

Page No 31

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

(३) क्या यह सच है कि इस क्रोसिंग पर अभी तक सड़क नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक बन जायगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह सही है। रेल्वे विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

अजमेर सागर तालाब की मरम्मत

७७४. श्री रघुवीरसिंह (वाड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर सागर तालाब, पंचायत गौलारी (पंचायत समिति बसेड़ी) की पाल कितने समय से एक ओर से टूटी पड़ी है ?

इसकी मरम्मत का प्रबन्ध इतने समय से क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

पाल काफी समय से टूटी हुई है। मरम्मत के पूर्व में दी गई धनराशि सरपंच द्वारा वापिस जमा करा दी गई व उसके बाद से पंचायत की ओर से कोई मांग नहीं की गई है।

लोरवाड़ा—कांवट सड़क निर्माण कार्य

७७६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कांवट-लोरवाड़ा सड़क, जिला सीकर, शाहपुरा-कांवट सड़क के कौन से मील पर मिलती है ?

(२) कांवट से लोरवाड़ा की क्या दूरी है तथा उस स्थान से जहां कांवट-लोरवाड़ा सड़क प्रारम्भ होती है वहां से कांवट की क्या दूरी है ?

(३) क्या लोरवाड़ा से कांवट के लिये कोई नयी एप्रोच रोड बनाने का प्रस्ताव है ? अगर हां, तो विभाग के किस अधिकारी के सुझाव पर ?

(४) लोरवाड़ा-कांवट के लिये औसतन कितना ट्रैफिक है और लोरवाड़ा कितनी बड़ी बस्ती है ? यह नई एप्रोच रोड बनने से कितने फासले की बचत होगी और इस पर कितना व्यय होगा ?

(५) क्या लोरवाड़ा-कांवट की सड़क को अपव्यय मानकर इसका निर्माण न करने की कोई दर्ख्वास्त आई है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इसमें जांच करवाई है ?

(६) क्या लोरवाड़ा-कांवट की नई एप्रोच रोड हेतु जमीन एक्वायर करने के लिये कोई कार्यवाही आज तक हुई है ? अगर नहीं, तो उनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किस कानून व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश करने की चेष्टा की ?

उत्तर

(१) शाहपुरा कांवट सड़क के मील २४।४ पर मिलती है।

Page No 32

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) २ मील २० चैन की दूरी है।

(३) जी हां, जनता तथा विधायकों के सुझाव पर।

(४) औसतन ट्रैफिक क्या होगा नहीं कहा जा सकता। लोरवाड़ा ग्राम की जनसंख्या के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। दूरी में कोई बचत नहीं होगी लगभग निर्माण पर ५२,७००) रु० व्यय होने का अनुमान है।

(५) जी हां। विचाराधीन है।

(६) जी नहीं। भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही तक के लिए फिलहाल काम रोक दिया गया हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर जेल से कैदियों का स्थानान्तरण

७८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जेल से गत दो वर्षों में कुल कितने कितने कैदियों को वहां से बाहर दूसरे जेल में भेजा गया तथा ऐसा करने का क्या कारण था ? किस २ कैदी को किन कारणों से बदला गया ? विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

उत्तर

स्टेटमेन्ट संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डग व गंगधार क्षेत्र के किसानों द्वारा बिजली की मांग

७६. श्री जयलाल (डग) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ के डग व गंगधार क्षेत्र के किसान बिजली की मांग कर रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो वहां कब तक बिजली चली जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इसी वित्तीय वर्ष में चौमेला, और गंगधार में बिजली पहुंचने की संभावना है।

सिरोही जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेट

८०. श्री धर्माराम आर्य (सिरोही-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिरोही जिले में एक भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्तिम साल तक इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

जी हां। सरकार अपनी ओर से सिरोही जिले मे इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का विचार नहीं रखती है।

चूरू से रतन नगर तथा रतन नगर से देवलासर सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

८१. मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू से रतननगर तथा रतननगर से देवलासर सड़क का निर्माण कब किया गया ? इन पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(२) क्या इन सड़कों के लिये ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) चूरू से रतन नगर का तथा रतन नगर से देवलासर सड़क का निर्माण कार्यक्रम से वर्ष १९६०-६१, तथा ५५-५६ में १,२६,४७३. : ६३,४७५ रु० की लागत पर हुआ है।

(२) जी नहीं। खसरा व प्लान तैयार किये जा रहे हैं। राजस्व विभाग से अवार्ड आने पर।

वन श्रमिक सहकारी समितियों से बकाया की वसूली

८२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मन्त्री यह उत्तर देने का कष्ट करेंगे :-

(१) राजस्थान में सन् ५७-५८ से अब तक कुल कितनी व कौन कौनसी वन श्रमिक सहकारी समितियां बनी हैं ?

(२) उपरोक्त समितियों को कब कब कितना कितना ऋण दिया गया है तथा कितना कितना किस किस में बकाया है ?

(३) उपरोक्त समितियों में से किस किस में कब से कितनी कितनी ठेके की रकम बकाया है ?

(४) उपरोक्त समितियों में से किस किस को कब कब ब्लैक लिस्टेड किया व क्यों ?

उत्तर

(१) वर्ष ५७-५८ से अब तक ६७ समितियां बनी हैं। नामावली संलग्न है।

(२) सारिणी संलग्न है।

(३) सारिणी सलग्न है।

(४) समितियों में से किसी को अभी तक ब्लेक लिस्ट नहीं दिया गया ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्ट्रॉ—बोर्ड फैक्टरी, कोटा

८३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No 34

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(१) स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी, कोटा व सरकार के मध्य घास के सम्बन्ध में क्या कोई इकरारनामा हुआ है ? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) उक्त इकरारनामे की किन २ शर्तों की पालना व उल्लंघन कब २ हुआ ?

उत्तर

(१) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) इकरारनामे की धारा नं० ७ का पालन फैक्टरी की ओर से निम्न प्रकार नहीं हुआ है : ता. १-२-६४ व १-४-६४ को जमा होने वाली किश्तें फैक्टरी में जमा नहीं कराई। १-२-६४ को जमा होने वाली किश्त भी अभी बकाया है। इन किश्तों का सूद भी बकाया है। इस त्रुटि (default) के लिए फैक्टरी को घास बाहर भेजने से मना कर दिया गया है।

बाकी सब धाराओं का पालन हुआ है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति हिन्डोन द्वारा कराये गये छपाई-कार्य पर ऑडिट द्वारा एतराज

८४. श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति हिन्डोन की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ में समिति द्वारा कराये गये छपाई-कार्य के सम्बन्ध में इसलिये एतराज किया गया है कि वह कार्य समिति के प्रधान की प्रेस में कराया गया है और बिना टेन्डर के भी।

(२) यदि हां, तो इस एतराज का निराकरण किस रूप में किया गया है ?

उत्तर

(१) छपाई का कार्य टेन्डर द्वारा कराया गया। ऑडिट में कोई आक्षेप प्रधान के प्रेस का नहीं किया है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील सिकराय में सड़क निर्माण कार्य

८५. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक तहसील सिकराय में सड़क-निर्माण कार्यों के अधीन क्या २ कार्य किये गये हैं ?

उत्तर

तहसीलवार योजना नहीं बनाई गई है। निम्न सड़कों का कार्य इस तहसील में कराया गया है :

(१) सिकन्दरा से गुढ़ा वाया गीजगढ़।

(२) भांडारेज से लालसर वाया रानोली।

तहसील सिकराय में विद्युत् कार्य

८६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक तहसील सिकराय में विद्युत कार्यों के अधीन क्या क्या कार्य किये गये हैं ?

उत्तर

तहसील सिकराय में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है।

(१२.७ म. प.)

जन-लेखा समिति (१९६५-६६) के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति १९६५-६६ के चुनाव के सम्बन्ध में नामजद उम्मीदवारों के नाम सदन में ६-४-६५ को सूचित किये थे उनमें से ३ सदस्यों ने अपने नाम वापिस ले लिये हैं। अब जो संख्या रहती है वह समिति के सदस्यों के बराबर है अतः जनलेखा समिति १९६५-६६ के लिये निम्न सदस्य चुने हुए घोषित किये जाते हैं :

(१) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(२) श्री रघुनाथ बिश्नोई।

(३) श्री हरिदेव जोशी।

(४) श्री फूलचन्द जैन।

(५) श्री गोकुलचन्द।

(६) श्री मानिकचन्द सुराणा।

(७) श्री गोविन्दसिंह।

(८) श्री कृष्णकुमार गोयल।

(९) श्री मानधातासिंह।

(१०) श्री डूंगाराम राजोरिया।

प्रक्रिया व कार्य-संचालन के नियम १४३ (१) के अन्तर्गत मैं श्री हरिदेव जोशी को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

(१२. ९ म. प.)

बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के गांव गुढा में डाकुओं के आतंक विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेन्ट मोशन के सिलसिले में मैंने कल लिख कर दिया था। मगरा कोलायत तहसील के गांव गुढा के सरपंच को एक पत्र विजयसिंह और दो डाकुओं ने लिख कर दिया उसमें इस बात का खुला हवाला दिया कि आप ५०,०००) रुपये दीजिये वर्ना १० आदमियों के नाम दिये जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पंच हैं उन आदमियों के लिये इस प्रकार की

(श्री मुरलीधर व्यास)

कार्यवाही की और रुपये नहीं दिये तो तुम को कत्ल कर दिया जायगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जायगा। इस प्रकार के पत्र की सूचना मुख्य मंत्रीजी को दी और एस० पी० को भी सूचित कर दिया, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार का पत्र फलौदी के पास किसी को दिया गया था, उसके बाद इस प्रकार की बुरी घटना घटी थी जैसी हिन्दुस्तान के इतिहास में देखने में नहीं आई। कई लोगों के वहां पर नाक-कान काट लिये थे, उसके बारे में सरकार ने अपने आपको बड़ा दोषी समझा।

अब प्रश्न यह है कि यहां की स्थिति है, उसके अंदर के भीतरी कारणों का मैंने पता लगाया है; इन्द्रसिह और दो डाकुओं के नाम हैं. पत्र में इसका उल्लेख है, समय दिया गया है, ऐसी सूचना है कि इस संबंध में सरकार ने जल्दी कार्यवाही नहीं की तो उस गांव के आसपास मुसलमान, हरिजन, राजपूत हैं उन सबके नाम है। कोई व्यक्तिगत पुराने झगड़े से भी यह पत्र दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये इस प्रकार के दूषित वातावरण को रोकने के लिये फौरन कार्यवाही करे। इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या स्टेप्स लिये है, गांव के लोगों को आश्वासन दिया है या नहीं ? यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो सरकार की उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इसको बहुत महत्व का प्रश्न समझे। कल कोलायत के क्षेत्र में रहने वाले रूपाराम, जो इस सिलसिले में यहां आये थे, यह कह कर चले गये हैं कि वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है और इस सम्बन्ध में आप जरूर सरकार का ध्यान खींचिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की है और लॉ एण्ड आर्डर को बनाये रखने के सिलसिले में क्या कदम उठाये हैं, ताकि वहां के लोगों को शांति मिल सके। और अगर अब तक इस प्रकार के कदम नहीं उठाये हैं तो सरकार क्या कदम उठाने के विषय में सोचती है। इस सिलसिले को लेकर वहां पर बहुत अशांति है. वहां के लोगों के अन्दर बहुत डर है और वहां से लोग भाग रहे हैं। इस पत्र में लिखा है कि लोग पानी लेने तक के लिए नहीं जाते हैं, बाजार से सौदा लेने तक नहीं जाते हैं। यह परिस्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस सिलसिले में सदन को जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष जो तथ्य रखे उनसे सम्बन्धित ही एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। सरकार को इसकी जानकारी करने के लिए लिख दिया गया है। इसलिए स्थगन-प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि सरकार के सामने माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं उन पर पूर्ण गम्भीरता के साथ विचार करेगी और उचित कार्यवाही करेगी और सरकार उचित समझे तो सदन को अवगत करा दे।

(१२. १२. म. प.)

नसीराबाद में खाद्यान्न की स्थिति विषयक ध्यान आकर्षित करना

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप तो हमेशा ध्यान आकर्षिक करते रहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक विशेष परिस्थिति की बात की ओर मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया था....

श्री अध्यक्ष : कहिये !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि यहां पर स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि बहुत सा अनाज पैदा हो गया है और कोई चिन्ता की बात नहीं है भाव गिर रहे हैं। इसकी पृष्ठ भूमि में मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास में तार और चिट्ठियां नसीराबाद से आ रही हैं। इस सिलसिले में मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस के सेक्रेटरी ने लिखा है कि यहां पर फरवरी माह से न तो राशन से गेहूं दिया जा रहा है और यहां की मंडी में जो मोटा अनाज आता था वह अप्रैल से मोटा अनाज भी आना बन्द हो गया है। इसलिए यहां की स्थिति गम्भीर है। इसलिए यहां की जनता की स्थिति के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने यह स्थिति सरकार के ध्यान में डाली है लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं करीब डेढ़ सप्ताह से परेशान हूं इस स्थिति से। और वहां चारे की स्थिति को मंत्री महोदय देख कर आये हैं, चारों तरफ स्केर्यासिटी एरिया है। इसलिए लोगों के खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यह स्थिति नसीराबाद की ही नहीं है, मुझे एक सम्माननीया मंत्री, प्रभा मिश्रा से मालूम हुआ है कि पुष्कर की हालत भी खराब है। ऐसी हालत में जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो वह कह देते हैं कि अनाज एलॉट कर दिया है। जब अनाज एलॉट कर दिया जाता है तो भी अनाज वहां नहीं पहुंचता है। इस प्रकार की अव्यवस्था सरकार की ओर से चल रही है। यह खाने का मामला है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि अजमेर में पिछले रेन्स अच्छे न होने की वजह से और दूसरी वजह से अनाज पैदा नहीं हुआ है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था करे जिससे कम से कम लोगों को खाने को अनाज तो मिल सके। मोटा अनाज भी बाजार से गायब हो गया है, इधर सारे राजस्थान में भाव बढ़ रहे हैं। यह स्थिति आप सम्भालें या नहीं सम्भालें, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कई ऐसी बातें इन पत्रों में लिखी हुई हैं कि वहां पर अव्यवस्था है और लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने वाली है। इस तरह के तार लगातार छः सात दिन से मेरे पास आ रहे हैं। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो प्राइमरी जरूरत है अनाज की, वह जरूरत पूरे अजमेर की है और अजमेर के अन्दर नसीराबाद, जहां से मुझे आने का मौका मिला है, की है और इसकी व्यवस्था होनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिए । इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यही दुर्भाग्य रहा है !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह दुर्भाग्य आपका है । आप जयपुर में मद-मस्त हैं और कैपिटल से चुन कर आ जाते हैं । ये कैपीटल में पहले इन्तजाम करते हैं और दूसरी जगह की इनको परवाह नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप जैसे कमजोर लोगों की वजह से यह होता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके तो नीचे से जोर लग रहा है ।

(१२.१५ म. प.)

पानरवा जंगल विषयक आधे घंटे का वाद-विवाद संबंधी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : पानरवा जंगल के संबंध में माननीय सदस्य श्री उमरावसिंह ढाबरिया को आधे घंटे की चर्चा उठाने की अनुमति प्रदान की गई थी । लेकिन मंत्री महोदय, जो तथ्य माननीय सदस्य ने सूचित किये हैं और जिन पर विशेष रूप से उत्तर चाहते हैं, की उनकी जानकारी नहीं मिली है इसलिए चाहते हैं कि उनको और समय दिया जाय इसलिए अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो अगले सप्ताह मंत्री महोदय के टर्न पर रखा जाय ताकि उनको विस्तृत जानकारी हो जाय और माननीय सदस्य को भी पूरा संतोष हो जाय ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : Yes.

(१२.१७ म. प.)

धौलपुर ग्लास फैक्टरी के मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यान आकर्षित करना

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण आपत्ति !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों के द्वारा हड़ताल करने के नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० अन्तर्गत माननीय श्रम मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं । अध्यक्ष महोदय, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों के साथ जिस प्रकार के जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उसकी जानकारी समय पर सरकार को करवा दी गई थी । वहां के मजदूरों को पांच रुपया मंहगाई बढ़ाने की बात थी लेकिन वह आज तक नहीं मिले हैं । इसके अलावा धौलपुर की ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया है । अध्यक्ष महोदय वहां के जिन कार्यकर्त्ताओं ने यह मांग की थीं उन कार्यकर्त्ताओं को डिसमिस कर दिया गया है । इस बात को लेकर ११ मार्च को मजदूरों ने नोटिस दिया है कि यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो २६ मार्च से हड़ताल कर देंगे । उसके बाद श्रम मंत्रालय के कन्सीलियेशन आफिसर ने कार्यकर्त्ताओं को बुलवाया और उनको यह आश्वासन दिया कि २ अप्रेल को वह वहां पहुंचेंगे और सारी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

स्थिति का अध्ययन करेंगे, तब तक वह हड़ताल नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह २ अप्रैल को वहां नहीं पहुंचे और इस कारण मजदूरों के ऊपर मैनेजमेंट का जुल्म बढ़ रहा है। सात कार्य-कर्त्ताओं को डिस्मिस कर दिया गया है और इस कारण स्थिति भयंकर हो गई है। अध्यक्ष महोदय, तीन अप्रैल से दुर्गाप्रसाद ने भूख हड़ताल कर दी है और उस फैक्ट्री में चार घंटे तक हड़ताल रही और रोजाना वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और निकट भविष्य में हड़ताल लम्बी चलने वाली है। राजस्थान के जो श्रमिक हैं उनकी दुर्दशा हो रही है और भयंकर स्थिति है। कई बार श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है कि आप मजदूरों के हितों की रक्षा करें और कम से कम जो उचित मांगे हैं वह मांगे उनको दिलाई जाय। देश में इस समय संकट का समय है और जब आप अधिक उत्पादन करने का नारा देते हैं तो ऐसे समय में मजदूरों के हितों की रक्षा करने का काम श्रम मंत्रालय का है तो जो स्थिति पैदा हो गई है और जो मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कि माननीय सदस्य ने पहले नोटिस दिया था और उस नोटिस के सिलसिले में उन्होंने यह कहा था कि वहां के मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है और कुछ मांगों को लेकर वहां पर हड़ताल का नोटिस दिया गया है, उसके पश्चात् वहां पर जो श्रम अधिकारी हैं वहां पर कंसीलियेशन के लिए गये थे और वहां कंसीलियेशन के दर्म्यान में दो दिन तक वार्ता चलती रही और उस वार्ता के बाद २ अप्रैल की तारीख निश्चित की गई कि उस दिन वह उन बातों का फैसला करेंगे। मालिकों की तरफ से भी कुछ प्रश्न उपस्थित करने की बात हुई। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मांगों को लेकर हड़ताल का नोटिस दिया गया था और उनके सम्बन्ध में जो हड़ताल हुई २ तारीख को....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २ को या ३ को ?

श्री भीखाभाई : जैसी माननीय सदस्य की जानकारी है तीन तारीख को एक मजदूर भूख हड़ताल पर बैठा और पांच तारीख को दस मजदूर और भूख हड़ताल पर बैठ गये लेकिन अधिकारियों के प्रयत्न से ५ अप्रैल को शाम को सात बजे मालिक और मजदूरों के अन्दर समझौता सम्पन्न हो गया जिसके अनुसार मालिक कारखाना ने मजदूरों को दो रुपया प्रति मास महंगाई के रूप के अन्दर देना स्वीकार किया क्योंकि तीन रुपये महंगाई के रूप में पहले ही दे चुके थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि जो मजदूर यूनियन है उसका जन्म ३१–३–६५ को हुआ है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन सही मायने में ३१-३-६५ को हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब समस्या का कोई प्रश्न नहीं रहा है, जिस समस्या पर कोई विचार करने की आवश्यकता हो। अब सब काम शांतिपूर्वक चल रहा है, सब वर्कर्स अपने अपने काम पर चले गये हैं और वहां पर अब कोई किसी

(श्री भीखाभाई)

प्रकार का विवाद नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि उनको किसी प्रकार की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है और उचित भी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कंसीलियेशन ऑफिसर कितनी तारीख को गया और अध्यक्ष महोदय पांच रुपया मंहगाई बढ़ाने की बात पर मुख्य मंत्रीजी ने सारे उद्योगों से निवेदन किया था तो दो रुपये वह स्वीकार कैसे कर सकते हैं। आप मान कर चल सकते हैं कि मंहगाई के युग में दो रुपये से उनकी कमी पूर्ति हो सकती है? जो बोनस का मामला है वह भी विचाराधीन है। इसके अलावा आपने नहीं बताया कि कितने कार्यकर्त्ताओं को डिसमिस किया गया और क्या कंसीलियेशन ऑफिसर ने कार्यवाही की उनको नौकरी पर वापिस रखवाने के लिए।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि कंसीलियेशन ऑफिसर पांच तारीख को गये और उस दिन शाम के सात बजे उनमें आपस में एक समझौता हो गया। जहां तक ५ रुपये बढ़ाने का प्रश्न है, ३ रुपये पहले दिये जा चुके हैं १-४-६५ को और २ रुपये १-५-६५ को दिये गये हैं। इन आदमियों को निकालने का विवाद वापिस ले लिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जिन मजदूरों को डिसमिस किया गया उनके बारे में जानकारी नहीं दी!

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री।

श्री भीखाभाई : जो पूरी जानकारी है वह मैंने दे दी है।

(१२.२०. म. प.)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के २२ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के २२ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य-सलाहकार समिति के २२ वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१२:२१. म. प.)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक १९६५-६६ पर वाद-विवाद

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्यय), १९६५-६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष, महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। यहां पर कल ७ तारीख को कमेटियों का चुनाव होने वाला है और सरकार की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर भी कल तारीख ८ को इलेक्शन कराने के लिये तारीख मुकर्रर की गई है। मैं यह जानकारी चाहूंगा कि कुछ जगह इलेक्शन किये हैं जब कि आपने आदेश डिपार्टमेंट को दिये कि विधान सभा चलती है तो इस तरह के चुनाव नहीं कराये जावें। खास कर कल भरतपुर और कोटा ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर चुनाव होंगे। कल यहां पर भी इलेक्शन है और सदस्यों का यहां रहना जरूरी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां पर भी इस तरह के स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव हो उनको स्थगित कर दिये जावें।

श्री अध्यक्ष : मुझे कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बताया। इस प्रकार के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं और उनको इत्तला भी भेज दी है। फिर भी चुनाव किये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : तारीख २८ को ही आदेश भेज दिये गये।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मारवाड़ जंक्शन में कल चुनाव हो गये जब कि हमारे पास इत्तला भेजी कि वहां पर चुनाव नहीं होंगे क्योंकि विधान सभा चल रही है। जब हमको इत्तला दी और वहां पर चुनाव हो गये, हम वहां नहीं जा सके। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टरों को इत्तला दी या नहीं और बी० डी० ओ० को यह इत्तला पहुँची या नहीं? अगर किसी जगह इस प्रकार के आपकी इत्तला के बावजूद भी इलेक्शन करा देते हैं तो उनको वेलिड नहीं माना जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २८ तारीख को ही हुक्म जारी कर दिया कि जब तक विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है तब तक पंचायत समिति में सब कमेटियों के चुनाव नहीं होंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : कामा, मगोर और बारां जिनके चुनाव होने वाले हैं उनके लिये आदेश दे दिये जावें।

एक माननीय सदस्य : जो चुनाव हो चुके हैं उनके लिये क्या किया जाए?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो हो चुके वे तो हो चुके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से आश्वासन दिया गया था और उसी आधार पर माननीय सदस्य वहां पर नहीं गये। आप कहते हैं कि हो गये सो हो गये। आपके आदेशों के बावजूद भी हो गये तो इसके बारे में तो गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : खारची और मारवाड़ जंक्शन।....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कल कामा और बारां में होने वाले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : २८ तारीख को टेलीग्राम से आदेश दिये गये और उनको हिदायत की गई कि जब तक विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है तब तक चुनाव नहीं कराये जावें। अभी तक उसके बाद में सिर्फ एक केस मेरे सामने आया है और वह खारची का है। यहां पर कलेक्टर के पास तार पहुंचा और कलेक्टर ने बी. डी. ओ. को सूचना दी। मगर बी. डी. ओ. ने कहा कि राज्य सरकार को क्या अधिकार है, मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूं। तारीख मुकर्रर की है और अब कोई राज्य सरकार किसी रूल्स से इस चीज को नहीं रोक सकती है और जो तारीख मैंने मुकर्रर की है उसके अनुसार चुनाव होगा। राज्य सरकार का यह इन्टरफियरेन्स ठीक नहीं है। यह उसने लिख कर भेजा है और उसको हम लॉ डिपार्टमेंट में एग्जामिन करवा रहे हैं कि आया जो उसने लिखा है वह उचित है या नहीं। अगर पंचायतों के चुनाव बी. डी. ओ. यह ष्लो लेकर करवा ले और अगर हमारे कानून में प्रावधान नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कानून के खिलाफ है और हम कह दें कि मत कराना और वे करवा दें तो हम क्या कर सकते हैं। रूल्स के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम इसको एग्जामिन करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरासर हमारे साथ फरेब सा हुआ है। पहले राज्य सरकार ने जानकारी दे दी और २८ तारीख को आपने आदेश दे दिया और सदस्यों को भी उसकी सूचना भेज दी। सदन के सदस्य उस आदेश के धोके में रहे और वे उन चुनावों में भाग लेने के लिये नहीं गये। अब आप इस बात को कहते हैं कि बी. डी. ओ. ने इस बात की चुनौती दे दी है कि लीगल पोजिशन ठीक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सक्यूंलर इश्यू किया है।

श्री मथुरादास माथुर : हमको माननीय सदन के सदस्यों ने कहा और हमने टेलीग्राम दे दिया। एक केस हमारे सामने आया है। अगर एक आदमी नहीं मानता है और हमारी लीगल पोजिशन क्या है इसको भी एग्जामिन करने के लिए जैसा मैंने कहा भेज दिया है, अगर हमें लीगल राइट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको पहले इस बात को देखना चाहिये था कि आपको लीगल राइट है या नहीं। आपने मर्जी आवे जैसे ही लिख दिया।

श्री मथुरादास माथुर : हमने कलेक्टर को लिख दिया था। लीगल पोजिशन क्या है उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। माननीय सदस्य जिम्मेदार होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इससे अच्छा तो यह होता कि आप कोई ऑर्डर नहीं निकालते और अब आप यह कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा चुनावों को करवाने के लिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने ऑर्डर इश्यू किया तो पहले आपको लॉ डिपार्टमेंट से सलाह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकर ही ऑर्डर जारी करना चाहिए था। जैसा केस खारची बी. डी. ओ. का आपके सामने आया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह जवाब कल शाम को पहुंचा है और हमने लिखा है कि अवहेलना की है उसके खिलाफ कार्य-वाही की जावे। मगर फिर भी एक्ट और रूल्स बनाये गये है उससे हमें चलना होगा हमने उसको टेलीग्राम दे दिया है और फिर भी जिन लोगों ने तारीख मुकर्रर कर ली है और अगर वे नहीं माने तो हम जिम्मेवार नहीं हो सकते। इसलिए एश्योरेन्स नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : जो स्थिति पैदा हुई है उस पर निर्णय करके भविष्य में कोई इनके लिए आश्वासन नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : आपने आश्वासन दिया था।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आश्वासन नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : आपने आश्वासन दिया था।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के बाहर बात हुई थी। मैंने सदन में कभी आश्वासन नहीं दिया यह कह सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि मेरा कोई आश्वासन नहीं है। बी. डी. ओ. कानून के अनुसार कार्य करेंगे और मुझे भी कानून के अनुसार चलना पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जहां तक कानून का प्रश्न है और उसके बारे में प्रकाश डाला और पार्टी का प्रश्न है, उसके साथ तो मेरी सहानभूति है क्योंकि यह नीति का प्रश्न है। लेकिन जब माननीय मंत्री ने आश्वासन दे दिया था कि कमेटियों के चुनाव धारा सभा का अधिवेशन चल रहा है तब तक नहीं होंगे...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने धारा सभा में कभी आश्वासन नहीं दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ठीक है आपने सदन में आश्वासन नहीं दिया मगर ऐसा समझौता भी हो गया हो और निर्णय हुआ हो तो कम से कम मंत्री महोदय को यह करना चाहिये कि अगर खरची जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो दूसरी जगह पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो इसके लिए तो आश्वासन दिया जाए। बाहर के सदस्य हैं वे वहां पर नहीं जा सके। हम कम से कम अब आपसे इतना आश्वासन तो चाहते हैं और आपको देना चाहिये कि इस बारे में भरसक प्रयत्न करूंगा कि चुनाव नहीं हो।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पहले से ही तार दे दिया था। सब जगह कैन्सिल हुए हैं एक खारची के बी. डी. ओ. ने प्ली ली है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी जगह पर है।

श्री मथुरादास माथुर : मारवाड़ जंक्शन खारची।

उसका बी० डी० ओ० ने राईटिंग में जवाब दिया है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस बी० डो० ओ० को इमर्जेन्सी में यहां बुला लिया जाय, क्या सरकार के पास ताकत ही नहीं है। अगर सरकार महसूस करती है कि वह ताकतहीन हो गई है तो हमें कुछ नहीं कहना है, आपके पास सब तरह के पॉवर्स हैं आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं...

श्री अध्यक्ष : एक वैधानिक स्थिति पैदा हुई है, उसको वैधानिक तरीके से ही सोचें। सरकार से पास जो अधिकार है, उनका उपयोग करते हुए निराकरण करेगी, मन्त्री महोदय ने कहा है कि जो स्थिति पैदा हुई है, उसका उनको ध्यान नहीं था. भविष्य में जो होगा उसके लिये जो कानूनी कार्यवाही कर सकेंगे वह करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सर्व सामान्य नियम है, मुझे निश्चित तारीख तो याद नहीं पर ५२ से ५७ के बीच में सरकार ने सर्कूलर निकाला था कि विधान सभा की कार्यवाही चलती हो उस समय में ऐसी समितियों की बैठके नहीं रखी जायं, जिनमें विधान सभा के सदस्यों का जाना जरूरी हो, सरकार ने इस प्रकार के कई बार आदेश दिये हैं। अब मंत्री महोदय कहते है कि हमने टेलीग्राम दिये, सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय, यह आम धारणा हो गई है कि विधान सभा के सत्र के दिनों में ऐसे चुनाव नहीं होंगे। मैं ऐसा तो मान कर नहीं चलता कि मथुरादासजी एक आदेश निकाल दें और बी० डी० ओ० उस आदेश की तामील नहीं करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह से इसे लेने की कोशिश न करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह मान कर चलता हूं कि भीखाभाई कोई आर्डर दें, उसको वह नहीं मानें, यह हो सकता है पर मथुरादासजी आर्डर दे दें और बी० डी० ओ० लीगल पोइन्ट के नीचे उनके आदेश को मानने से बचने की कोशिश करे, यह नहीं हो सकता। कल पंचायत समितियों की सब-कमेटीज के चुनाव होने वाले हैं और कल यहां एस्टीमेट्स कमेटी के चुनाव भी होने वाले है, अब मेम्बर्स के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है, वहां पहुंचें तो एस्टीमेट्स कमेटी में उनकी पार्टी को वोट नहीं दे सकते और यहां रह कर पंचायत समिति के इलेक्शन्स में वोट नहीं देते हैं तो वहां उनकी पार्टी नहीं जीत सकेगी। तो या तो एस्टीमेट्स कमेटी के चुनाव पोस्ट पोन कराने जायं या विधान सभा को आदेश देने चाहिये सरकार को कि सरकार इन दिनों में इस प्रकार के इलेक्शन्स नहीं करवाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराती है, बल्कि हमारा कानून है उसके अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर चुनाव कराते हैं। ऐसे नियम रखना आवश्यक समझा गया कि रिटर्निंग आफिसर्स को स्वतन्त्रता से कार्य करने का अधिकार हो, उसके अनुसार कार्य किया। एड्मिनिस्ट्रेटिव तरीके से मन्त्री महोदय क्या करवा सकते थे, इस सम्बन्ध में वे बता चुके हैं कि वे आदेश दे चुके हैं, पर प्रश्न यह है कि जो कानूनी अधिकार व वैधानिक तरीकों से कार्यवाही की एड्मिनिस्ट्रेटिव तरीके से सरकार ने आदेश दिये, उनका पालन नहीं किया पर जो स्थिति बन गई उसका निराकरण तो एक कानूनी तरीके से होगा, जहां

(श्री अध्यक्ष)

तक हमारी समितियों के चुनाव को आगे रखने का सवाल है उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री मथुरादास माथुर : कल जो सदन की एस्टीमेट्स कमेटी के चुनाव हैं, उसके बारे में अभी विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार कर के तय कर लिया जायगा। कल चुनाव नहीं होंगे, यह तो माननीय सदस्यों ने कहा उसके अनुसार तय हो गया, कब होंगे इस पर विचार करके तय कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विद्युत बोर्ड के सम्बन्ध में जो लेखा-जोखा सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में कहने से पहले में राज्य सरकार को विद्युत् के सम्बन्ध में जो आज तक सफलताएं प्राप्त हुई हैं, उसके सम्बन्ध में विस्तार से तो नहीं कहना चाहूंगा और इसलिये नहीं कहना चाहूंगा कि मैंने वे आंकड़े सदन में पहले भी प्रस्तुत किये हैं। सरकार ने भी इसे दबे रूप से स्वीकार किया है कि राजस्थान में बाकी अन्य स्टेट्स के मुकाबले में पर-केपिटा जेनरेशन बहुत कम है, पर-केपिटा कन्जम्प्शन बहुत कम है और जो कुछ पॉवर जनरेटर की है, उसके यूटिलाइजेशन के सम्बन्ध में राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है जिसने पॉवर जेनरेट की पर पॉवर जेनरेट करने के बाद में उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकी।

यह मैं मानता हूं कि राजस्थान विद्युत् की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त था। ऐसे प्रान्त के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार का बजट एलोकेशन, जिस प्रकार का प्लान एलोकेशन किया जाता है, उन सबके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान इस प्रकार के बजट एलोकेशन्स से उन दूसरी स्टेट्स के एट पार जाने में सफल हो सकेगा। दूसरे प्रदेश विद्युत् की दृष्टि से राजस्थान से आगे बढ़े हुए प्रदेश थे और वहां राजस्थान के बजट एलोकेशन से कहीं अधिक खर्चा विद्युत् पर आज होता है जहां पहले से बिजली थी, वहां आज खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और जिस राज्य में बिजली पहले कम थी वहां दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में विद्युत् के मद में कम खर्च होना यह बात बताता है कि बिजली के उत्पादन में और बिजली की उपयोगिता में हम दूसरी स्टेट्स का मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

जहां तक हमारी स्टेट का सवाल आता है मैं अहम् मुद्दा रखना चाहता हूं, इस वर्ष के बजट एलोकेशन में लगभग १११५ लाख रुपये का प्लान एलोकेशन है, इस प्लान एलोकेशन के अगेन्स्ट, में १३१८ लाख रु० बजट एस्टीमेट में प्रोवाइड किया है इस वर्ष का। दुर्भाग्य यह है कि १३१८ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, राजस्थान के मत्थे यह खर्चा आने वाला है पर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस १३१८ लाख रुपये की

(श्री भैरोंसिंह)

रकम में से केवल ५२२ लाख रुपया ही खर्च कर पायेगा अपनी ओर से । तात्पर्य यह है कि ७६५ लाख रुपया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकार के बाहर खर्च होगा, इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी, पर मध्य प्रदेश और पंजाब यह खर्चा करेंगे, राणा प्रताप सागर ऑथोरिटी के अन्तर्गत भी खर्चा होगा । अब प्रश्न आता है कि १३१८ लाख का खर्चा होगा उसमें से ७६५ लाख रुपया दूसरी एजेन्सीज़ के मार्फत खर्च होगा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ५२२ लाख ही खर्च कर पाता है तो १३१८ लाख रुपयों के खर्च में से केवल ५२२ लाख के मसले पर ही राजस्थान विधान सभा अपने विचार व्यक्त कर सकती है, राजस्थान विधान सभा अपनी टिप्पणियां कर सकती है और राजस्थान सरकार भी उसी तरह हस्तक्षेप कर सकती है ।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपना अकाउन्ट ऑडिट कराना पड़ता है, हर वर्ष ऑडिट होता है, हमारे ऑडीटर जनरल ऑडिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं पर हमारे ऑडिटर जनरल १३१८ लाख के खर्चे में से केवल ५२२ लाख का ही ऑडिट करेंगे, बाकी के हमारे रुपये के खर्चे का ७६५ लाख रुपये के खर्चे का ऑडिट पंजाब और मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल करेंगे । यह ७६५ लाख रुपये का खर्चा राजस्थान की स्कोप के बाहर जाता है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का प्रश्न आता है, पंजाब की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी एग्ज़ामिन करती होगी अपनी टिप्पणियां लिखती होगी, मध्य प्रदेश की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी एग्ज़ामिन करती होगी और अपनी टिप्पणियां लिखती होगी पर ७६५ लाख का यह खर्चा राजस्थान सरकार के परव्यू में राजस्थान विधान सभा की परव्यू में नहीं आता । राजस्थान सरकार राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जा देती है, उसकी लाएबिलिटीज़, एसेट्स हैं उस सीमा में नहीं पहुंच पाये हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान सरकार को लाभ दे । राजस्थान सरकार राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जा देती जा रही है, इस कर्जे का ब्याज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चुकाना चाहे तो नहीं चुका पाता, लोन चुकाने का तो सवाल ही नहीं है । वह लोन भी एक समस्या बन गई है । हम आशा नहीं कर सकते कि जो लोन्स एडवांस किये हैं इस बोर्ड को वे लोन्स पूरी मात्रा में चुका दिये जायेंगे और ब्याज की रकम चुका दी जायगी ।

तो यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह फर्ज है कि पंजाब के द्वारा किया गया ऑडिट, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया ऑडिट, केनाल बोर्ड के सम्बन्ध में किया गया ऑडिट, ये सब ऑडिट्स राजस्थान के विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये थे । जहां तक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के एग्ज़ामिनेशन का सवाल आता है मैं तो स्वीकार नहीं करता, यह सदन भी इस बात को मैं समझता हूं स्वीकार नहीं करेगा, मध्य प्रदेश और पंजाब द्वारा जो इस सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं वे उचित माने जा सकते हैं जब

(श्री भैरोंसिंह)

कि जो पैसा टैक्स-पेयर देते हैं, जिसका वजन हमारे ऊपर आता है, विधान सभा में ऑडिट रिपोर्ट पेश हो तो उन पर यह सदन निर्णय करे न कि इस विधान सभा को अलग रख कर उन पर निर्णय कर लिये जायं। जो इस मद में ऑडिट ऑब्जेक्शन्स किये गये हैं वे सारे के सारे विधान सभा की मेज पर रखाये जायं और हम उन पर विचार कर सकें। यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। यही कारण है कि, अध्यक्ष महोदय, पंजाब की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, लेकिन मुझे पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य की हैसियत से चण्डीगढ़ जाने का मौका मिला था, मैंने वहां ऑडिट रिपोर्ट देखी तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि वहां पर काम कर रहे हैं, राजस्थान का काम कर रहे हैं कितने गलत तरीके से खर्चा होता है उसका कई बार उल्लेख आता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि पंजाब और मध्य प्रदेश की ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई हैं, हमारा खर्चा उनमें किस प्रकार किया जा रहा है, किस प्रकार का कन्ट्रोल है, क्या अनियमिततायें और किस प्रकार फालतू खर्चा किया जा रहा है उसमें उन्होंने कोई एक्शन लिया हो या पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच में कोई निर्णय हुआ हो या पंजाब या मध्यप्रदेश की जो रिपोर्ट है या राणा प्रताप सागर की ऑडिट रिपोर्ट में जितनी भी अनियमिततायें हमारे सामने आयीं, हमने उन पर आज तक क्या एक्शन लिया, हमारी सरकार को किस सीमा तक सेटिस्फेक्शन हुआ और हमारी सरकार ने किस सीमा तक एक्शन लिया। जो ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हुए हैं उनके बारे में आपने आज तक किस प्रकार क्या एक्शन लिया है ? जो ज्यादा खर्चा दूसरी मदों में होता है उन पर आपका डाइरेक्ट कन्ट्रोल होना चाहिये। नहीं हुआ तो क्या उसकी जिम्मेदारी पंजाब की न होकर राजस्थान की होगी ? नहीं। क्या पंजाब के टैक्स-पेयर की यह जिम्मेदारी है ? पंजाब के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। यह पैसा तो राजस्थान के टैक्स-पेयर को अदा करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के ऑफिसर्स और राजस्थान की इस सरकार पर है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस संबंध में तुरन्त एक्शन ले और ऑडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताये गये मुद्दों पर सबसीक्वेन्ट एक्शन तुरन्त लेकर विधान सभा को सूचना दे और विधान सभा उस पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय से यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है उस समय से निरन्तर घाटे में चल रहा है। पिछले आंकड़े दिये हुए हैं उनको कहना नहीं चाहता, लेकिन सन् १६६१–६२ के बाद क्या स्थिति रही है, यह बताना चाहता हूं।

१६६१–६२ : १७ लाख का घाटा

१६६२–६३ : ८० लाख का घाटा

१६६३–६४ : ११ लाख का घाटा

१६६४–६५ : ३८ लाख का घाटा

१६६५–६६ : ४६ लाख का घाटा

(अनुमानित)

(श्री भैरोसिंह)

इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निरन्तर घाटे की व्यवस्था में चल रहा है। अब वह घाटे की व्यवस्था किस हालत में है ! क्या यह घाटा है ! रीजन्स सरकार कई बार देती है। जो पॉवर इन्स्टाल किया है, जनरेट करने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट्स तैयार किये हैं उनका पूरा युटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो सरकार के द्वारा वितरित की गई है, इसमें यह उल्लेख है कि जितना पॉवर जनरेटर करते हैं वह फुल केपेसिटी में युटिलाइज किया जा रहा है। फुल केपेसिटी में युटिलाइज करने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में है और लाभ नहीं है। जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से आमदनी होनी चाहिये वह सारी आमदनी टेरिफ के अनुसार होती होगी और टेरिफ के अनुसार होने के कारण जो पॉवर जनरेट किया और कन्ज़म्प्शन के लिये लोगों को दिया उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और बाकी के चार्जेज़ वह सब मिलाकर; उनकी आमदनी मिलाकर इस वर्ष भी घाटे की व्यवस्था होती है तो एक बात दिमाग में रख कर चलना पड़ेगा कि जितना पॉवर हम जेनरेट करते है, उसको लोगों में तकसीम करते हैं, उससे रेवेन्यू रिसीट होती है और होने वाली है उससे हमारा घाटा किसी हालत में पूरा नहीं होगा। घाटा पूरा होता तो जो युटिलाइजेशन करते हैं उसी से होता। घाटा पूरा नहीं होगा।

दूसरे कारण भी हैं। कई माननीय सदस्यों ने कोटा में एक इन्डस्ट्री को तीन पैसे युनिट पर बिजली देने की बात कही थी। उस समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इस सारे को बिजली देने में राज्य सरकार को काफी मुनाफा हो रहा है। मुनाफा किस बात का हो रहा है ? उस समय बताया कि राज्य सरकार को एक्साइज में इतना हिस्सा मिलने वाला है, सेल्स टैक्स में आमदनी होने वाली है। इस सारे का अनुमान लगा कर यह बताने की कोशिश की कि इससे एक इन्डस्ट्रियल बैकग्राउन्ड बनाने के लिए, अधिक से अधिक इन्डस्ट्रीज हमारे राजस्थान में बने, और इस ओर अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो, सस्ती बिजली की दर रख कर एक इन्डस्ट्री को इस प्रकार की रियायत दी जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान ने इन्डस्ट्री यहां चलवायी, उसको कन्सेशन दिया बिजली की दर में, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खाते में किस प्रकार जमा हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन राज्य सरकार ने तीन पैसे युनिट में बिजली देकर, जनरेटिंग केपेसिटी कुल आती है ५.३ पैसे उसमें भी घाटा है और इस एक साल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को १९६३–६४ में, सदन को सुन कर यह ताज्जुब होगा कि एक वर्ष में लाखों रुपये की एक्साइज़ ड्युटी की आमदनी की बात कह कर तीन पैसे पर-युनिट पर डी० सी० एम० को बिजली दी, इस रियायत के कारण एक साल में १८ लाख का घाटा हुआ। आपने कमिटमेन्ट किया। १९७० तक आप रेट्स रिवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि १९६५ से १९७० तक ६ वर्ष में, जहां एक वर्ष में १८ लाख का घाटा होता

(श्री भैरोंसिंह)

है, जितना पॉवर कन्ज्यूम होगा उस हिसाब से वह घाटा बढ़ता जावेगा और इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को केवल एक डी० सी० एम० को बिजली इस बिना पर देने के कि हमें राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाना है और अन्य कारणों से देने की कृपा की, डिटेल्स में मैं यहां नहीं जाना चाहता, १८ लाख का प्रति वर्ष घाटा उनके कारण से हो रहा है वह भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बर्दाश्त करते का कारण बना हुआ है, आगे भी इस प्रकार का घाटा बढ़ता ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चले, यह स्थिति किसी प्रकार उचित नहीं है। राज्य सरकार से कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहा है इस को लेकर कि जो पॉवर का प्रश्न आता है कि आपने २.०६ पैसे कम लेकर जो इन्डस्ट्री को लगाने के लिए पॉवर दी और उस कारण से आपने एक घाटे की सारी व्यवस्था की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह सारा घाटा आप बर्दाश्त करें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको क्यों बर्दाश्त करे ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटा होता है तो राज्य सरकार उसकी पूर्ति करे। मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के एग्रीमेन्ट्स किये हैं। क्यों किये हैं ? उस पर विचार करने की बात होती है ! १८ लाख का घाटा और २१ लाख की एक्साइज़ की ड्युटी की आमदनी देने का जैसा मंत्रीजी कहते हैं उस हिसाब से तीन लाख की ही सरकार को आमदनी हुई। १८ लाख का यों ही इन्वेस्टमेन्ट होता तो लेबर पोटेन्शियेलिटी बढ़ती, इन्कम होती और टैक्स की इन्कम के अन्दर न बन्व कर चलते तो राजस्थान में दूसरी छोटी इन्डस्ट्रीज़ भी बढ़तीं। न जाने क्यों कृपा हुई डी० सी० एम० पर इस प्रकार का १८ लाख का सालाना घाटा खा कर भी आपने उसको बिजली रियायती दरों पर दी।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहां गठित है, इसमें हमारा कितना दखल है ? या कानून के दायरे में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत हम कितना दखल कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं इसकी एक सीमा है। इसके साथ यह भी विचार करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इसके मेम्बर पर नहीं अन्ततोगत्वा जो इसकी लाएबिलिटी आने वाली है वह सरकार पर है। आप इसको कानून माने या न मानें। असेट्स और लाएबिलिटीज़ की चाहे आप चिन्ता करें या न करें वे तो आपके चले गये लेकिन जो कुछ अमाउन्ट आप दे रहे हैं उस घाटे को किस प्रकार रोक सकेंगे इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार के कॉर्पोरेशन्स से और बोर्ड्स से बहुत बड़ा फ्रॉड राजस्थान के एक्सचेकर पर होने वाला है। हम ओटोनोमस बोर्ड्स बनाते हैं उसके खर्चे पर कन्ट्रोल हमारा नहीं। डे-टू-डे वर्किंग पर चेक आप न रखें यह समझ में आ सकता है लेकिन जहां मेजर डिफेक्ट्स पाये जाते है वहां निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन बोर्ड्स में इतना भी दखल नहीं कर सकी है कि रेगुलर अकाउन्ट्स उससे मेन्टेन कराया जाय। ऑडिट ने जो ऑडिट किया

(श्री भैरोंसिंह)

है उसने हर रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है कि बोर्ड में रेगुलर अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं किये जाते हैं। आप कम से कम अकाउन्ट्स रखवाने की तो व्यवस्था करा सकते थे। आपका इतना बड़ा बोर्ड है और उसमें भी अकाउन्ट्स समय पर नहीं बन पाते तो इससे बोर्ड की व्यवस्था का अन्दाज लगता है कि जो बोर्ड अपने अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं कर सकता वह बाकी के रुपयों की कैसे व्यवस्था कर पायेगा ? इसी का यह परिणाम है कि इस बोर्ड के अन्दर लगभग चार लाख का गबन है, स्टॉक्स की कमी है। यह इस कारण है कि अकाउन्ट्स आप मेन्टेन नहीं कर पाते। चार लाख का गबन एक विभाग में हो जिसके अन्दर अकाउन्ट्स ऑफिसर हैं, बोर्ड के मेम्बर हैं; जिसमें अधिकांश अधिकारी सरकार के हैं उस विभाग के अन्दर चार लाख का गबन होता है इसका यह मतलब है कि बोर्ड की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खर्चे के बारे में नियम पहले से बने हुए हैं जो नाम मात्र के हैं। बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का सामान खरीदा जाता है उसके लिये एक प्रक्रिया जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अन्दर है। वहां बोर्ड ने भी अपने सर्क्यूलर द्वारा व्यवस्था कर रखी है। यह सर्व मान्य चीज़ है कि बोर्ड के द्वारा जो भी चीजें खरीदी जांय टेन्डर इन्वाइट करके खरीदी जांय, इसका प्रबन्ध होता है। जो सामान कोट किया है, जिसको खरीदना चाहते हैं अमुक मियाद में टेन्डर के अनुसार वह माल देने की लायबिलिटी आती है। बदकिस्मती है कि यह विभाग टेन्डर की मयाद खत्म होने के पश्चात् पर्चेज़ के ऑर्डर मन्जूर करे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका काम बिजली सप्लाई का है, इसमें बिजली का शायद ऐसा चुम्बक लगा हुआ है कि जिस समय टेन्डर की मयाद खत्म होती है लायबिलिटी नहीं रहती उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सामान खरीदता है, ऑर्डर्स प्लेस करता है। सामान आता है वह सामान बढ़ी हुई कीमतों पर, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सामान न होकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सामान सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार का ५ लाख ५६ हजार की लाईबिलिटी बोर्ड ने वर्दाश्त की हैं एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर इनकर कर के। यह छोटी सी मिसाल है। दूसरे विभागों में भी टेन्डर की मियाद में ही सामान खरीदते हैं लेकिन हमारे इस विभाग में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

हमने कुछ गेल्वेनाइज्ड ६ एस० डब्ल्यू० जी० वायर खरीदा। यह खरीद कर स्पेसिफिकेशन के रूप में रखना पड़ता है। लिखित रूप में रखना पड़ता है ! सामान खरीद लिया। वह किस हालत में है ? हमारे यहां पर जिसको युटिलाइज़ करने की केपेसिटी नहीं थी इस प्रकार का भी सामान खरीदा गया। हमारी स्थिति युटिलाइज़ करने की नहीं होते हुए भी सामान खरीद लिया गया। उसके साथ-साथ आवश्यकता इस बात की थी टेस्ट सर्टिफिकेट भी लेते लेकिन वह नहीं लिया गया। उसके बाद में गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन में उसको टेस्ट के लिये भेजा। उन्होंने कहा कि यह स्टेन्डर्ड के मुताबिक नहीं है। इस तरह से ५७ हजार का वायर

(श्री भैरोंसिंह)

खरीद लिया जो बेकार पड़ा है। जिस समय आवश्यकता नहीं थी उस समय खरीद लिया। एक इन्जीनियर साहब की इच्छा थी खरीद लिया। टेस्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी खरीद फरोख्त के मामले हैं, साफ हों, सब जगह गड़बड़ी चली आ रही है। राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसमें जो भी परचेज की गई हैं अधिकांश डिफेक्टिव एवं अनावश्यक हैं। खुद के पास जो स्टोर्स हैं, जो इनहेरीटेन्स में मिला है उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। दो-तीन वर्ष तक पड़े रहते हैं उनका उपयोग भी नहीं कर पाते। उसका जितना लाभ उठाया जाना चाहिये वह भी उठा नहीं पाते। स्टेन्डर्ड चीजें खरीद नहीं सकते। इस सबका परिणाम यह हो रहा है की खरीद के मसले पर काफी घाटा हो रहा है।

जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सर्विसेज का सवाल है, जहां गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट में इस बारे में असन्तोष है, वहां के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सर्विसेज में काफी असन्तोष है। १९६२ में २५ टेक्निकल और ८५ नॉन टेक्निकल लोगों को सरप्लस डिक्लेअर किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ दिनों के बाद आॅर्डर्स इश्यू कर दिये कि इनको एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है। इस तरह से पच्चीस टेक्निकल और ३३ नॉन टेक्निकल आदमियों को एब्जॉर्ब कर लिया और ५३ नॉन टेक्निकल आदमियों को एब्जॉर्ब नहीं कर सके। सर्विसेज उनकी कन्टीन्यू करती रही। अन्ततोगत्वा उसका परिणाम यह निकला कि विद्युत् मण्डल को २ लाख रुपये इन निकम्मे बैठे हुए लोगों के लिये खर्च करना पड़ा. इनके लिये अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? इस प्रकार जहां तक पॉवर को जेनरेट करने का सवाल आता है उसमें विद्युत् मण्डल में काफी इस प्रकार के घोटाले है जिनकी इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता है। हमारी सरकार यहां डायरेक्टली डील नहीं कर सकती, दखल नहीं कर सकती; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी इसके बारे में कमेन्ट कर सकती है, विधान सभा में जिसके लिये चर्चा कर सकते हैं तो फिर राजस्थान सरकार अपना हाथ सख्त करके जो इर्रेगुलेरिटीज़ लगातार होती जा रही हैं उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करे ? इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं। शुरू से लेकर अब तक की ऑडिट रिपोर्ट को आप देखें। लाखों रुपयों के घोटाले का उल्लेख इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हुआ है। इसका उल्लेख उनमें भी किया गया है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं जिन लोगों ने अनियमिततायें की हैं क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ एक्जेम्प्लरी पनिशमेंन्ट देने का काम किया है। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिली। लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो गया, लाखों रुपयों का फायदा उठाया राजस्थान सरकार ने विशेष तौर से कम से कम इन मसलों पर विचार करते वक्त बोर्ड की व्यवस्था का ठीक प्रकार से इन्तजाम करें।

अध्यक्ष महोदय, कई बार इस बात की चर्चा आयी-इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सर्विसेज,

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान रोडवेज; की सर्विसेज़ ये जो ऑटोनॉमस बोर्ड् स हैं, इनमें इन्जीनियर्स और दूसरा जो सबोडिनेट स्टाफ है, उनका ट्रान्सफर किया गया, केजुअल लेबर था, वहां जिस प्रकार का काम हो रहा है आज तक उन पर कौनसी सर्विस के नियम लागू हैं यह अभी तक आप तय नहीं कर पाये हैं? यह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यू में नहीं आता। वर्क चार्ज में काम करने वाले बहुत पुराने १२ साल के नौकर हैं जो टेम्पोरेरी चले आ रहे हैं। यूनियन के कारण वहां अपनी मर्जी के आधार पर उनको नहीं निकाला जा सकता वर्ना तो मर्जी के आधार पर निकाला जा सकता था। विधान सभा में आश्वासन देने के बाद भी वर्क चार्ज कर्मचारियों को पर्मानेन्ट करने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है।

पिछले बजट सेशन के अन्दर यह जानकारी दी गई थी। इसके बारे में एक समिति का गठन किया गया। वह कुछ व्यवस्था कर पाई या नहीं ? समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन वर्क चार्ज के कर्मचारियों के फिक्सेशन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

(१. म. प.)

किन किन की टेम्परेरी सर्विसेज़ कन्फर्म कर दी जावेंगी, किन-किन की कन्फर्म करनी हैं, इसके सम्बन्ध में भी व्यवस्था नहीं।

बाकी जो ऊपर की सर्विसेज़ हैं उनका प्रमोशन तो राम भरोसे चलता है। उनके प्रमोशन में कोई नियम नहीं। पी. एस. सी. ने जो मान्यताए यहां रखी हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया।

जूनियर इन्जीनियर को असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाने का सवाल आया। जूनियरों का अपोइन्टमेंट किया गया। सिलेक्शन किया गया तब जो इन्टरव्यू में नहीं आ सके उनको जूनियर की पोस्ट पर तो रख दिया पर एक शर्त पर कि अगले छः महीनों में उनके काम का असेसमेंट किया जावेगा। इसके बाद अगर उनका काम ठीक पाया गया तो उनको जूनियर असिस्टेन्ट इन्जीनियर की पोस्ट पर या जूनियर इन्जीनियर की पोस्ट पर नियुक्त किया जावेगा।

पर दुर्भाग्य यह है कि एक का रिजेक्ट कर दिया सिलेक्ट कमेटी ने और उनको प्रमोशन देना उचित नहीं माना। उन्हीं का जब दुबारा असिस्टेन्ट इन्जीनियर के अपॉइंटमेंट्स का सवाल आया तो इस बोर्ड ने एडवर्टाइज़मेंट निकाला, फिर उन सबको भी इन्टरव्यू में बुला लिया और जिनको चार महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था और छः महीने तक काम देख कर प्रोमोशन की बात थी वे ही दूसरी कमेटी द्वारा सब के सब अपॉइन्ट कर लिये गये। छः महीने के बाद काम देखने की बात धरी रह गई। पहली वाली सिलेक्ट कमेटी को कोई महत्व नहीं दिया, दूसरी कमेटी अपॉइन्ट करके उनको ले लिया गया। आखिर यह सब है क्या ? इससे दूसरों को हार्ट-बर्निंग होता है।

पहले सिलेक्शन में पहली सिलेक्शन कमेटी द्वारा अनफिट पाये गये, छः महीने भी

(श्री भैरोंसिंह)

पूरे नहीं हुए कि दूसरी कमेटी बनवा कर विज्ञापन निकलवा कर सबको प्रमोशन दे देते हैं तो इसका मतलब, तो यह हुआ कि जिनको देना चाहें आप उनको तो दे देंगे और जिनको ड्रंग ग्राउट करना चाहें उनके लिये कई प्रकार के बहाने बना लिये जावेंगे।

यही हाल पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियरों के साथ हुआ। और उससे भी भयंकर बात इन प्रोमोशन के मामले में हुई है। समयाभाव के कारण मैं इन सब के सम्बन्धित कागज पेश नहीं करना चाहता। पर चार इन्जीनियरों के नाम बता सकता हूं। आपकी जानकारी हो तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं। मुझे यह भी जानकारी है कि यह कैसे क्यों हुआ? अगर माननीय मिनिस्टर सुनना चाहें और सदन सुनना चाहे तो बता सकता हूं कि किस तरह से नेपोटिज्म इस तरह से करके अपने आदमी ले लिये जाते हैं और अपने आदमियों को लेने के लिये किस तरह से तरकीबे निकाली जाती हैं। एक समय कह दिया जाता है कि आवश्यकता है। बाद में कह दिया जाता है, नहीं है। फिर एकाएक विज्ञापन निकाल देते हैं। जिनको पिछली बार रिजेक्ट कर दिया उनको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो किसी अधिकारी का या सिलेक्ट कमेटी के सदस्य के रिश्तेदारों का या जाति का होना यहां क्वालिफिकेशन है। और क्वालिफिकेशन चले या न चले, पर यह क्वालिफिकेशन चल जाती है। तो मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हिदायत दे दें कि और क्वालिफिकेशन के साथ यह क्वालिफिकेशन भी वे एडवर्टाइज़ करा दिया करें साथ में कि इन्जीनियरों के अपॉइन्टमेंन्ट में, जूनियर इन्जीनियरों के अपॉइन्टमेंट में या उनके प्रमोशन्स में यह क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है और साथ में सिलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों के नाम भी प्रकाशित कर दें, उनकी जाति भी प्रकाशित कर दें और यह भी लिख दें कि इनकी जातियों के व्यक्तियों को प्रमोशन में विशेष सहूलियत दी जावेगी, प्राथमिकता दी जावेगी, बाकी की दूसरी क्वालिफिकेशन कितनी भी हों उन सबको हम रिजेक्ट करने वाले हैं।

ऐसी स्थिति में निवेदन करता हूं कि असीम अधिकार न दें। इससे इन्जीनियरों के साथ इनजस्टिस होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने पिछले दिनों में काफी इस बात का प्रयत्न किया कि कुओं को बिजली दी जाय और इस अरसे में ३२०३ कुओं पर वह बिजली दे पाई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने कुए हैं...

(१.६ बजे. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनको देखते हुये लोगों को कितनी सहूलियत मिली है। इस बात को ध्यान में रख कर वास्तविक रूप से एक प्लान सरकार को बनानी चाहिये और कितनी सहूलियतें आगे देनी हैं इसकी भी एक प्लान बना कर ब्रॉड आइडिया देना था। मैं इस सिद्धान्त को भी

(श्री भैरोंसिंह)

गलत मानता हूं कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को पहले बिजली पहुंचानी है या शहरों में पहुंचानी है। इन शहरों और गांवों में बिजली देने का मतलब है आपका यह डैड इन्वेस्टमेंट है। मकानों में बिजली लग जावे, शहरों में गलियों में लग जावे लट्टू जल जावें यह हमारी प्रगति का चिन्ह नहीं हो सकता। इन्डस्ट्री इससे हमारी नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन इससे हमारा नहीं बढ़ सकता। हां गांवों में भी अगर कॉटेज, मीडियम और स्मॉल इन्डस्ट्री चलती हों तो उनको आप बिजली दें वह आपका सही इन्वेस्टमेंट होगा और इनकी मार्फत इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम लें तो यह बात समझ में आ सकती है। गांवों में बिजली के चार बल्ब लगाकर आप कह दें कि हमने बहुत कर दिया तो इससे राजस्थान की बहबूदी नहीं होने वाली है। या तो इन्डस्ट्री को देने के लिये यह हो, या कुओं पर बिजली लगाना कारण हो तो समझ में आ सकता है कि हम बहबूदी की ओर बढ़ रहे हैं।

पर दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ इन्डस्ट्रियल कन्जम्पशन जिस सीमा तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल कन्जम्पशन छः पर्सेन्ट पर भी नहीं पहुंच पाया है। इन्डस्ट्री में हम टोटल प्रोडक्शन का छः पर्सेन्ट कन्ज्यूम कर पा रहे हैं और १-६ पर्सेन्ट से कम खर्चा हम कुओं पर कर पाते हैं। यह सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसी है। यह एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन है जो यह सरकार दे रही है। यह नमूना है। यह सरकार विकास के लिए-एग्रीकल्चरल विकास के लिए-काम कर रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यह ध्यान में रक्खे कि इस तरह से एक इम्बेलेन्स वह जाने अनजाने क्रिएट करने जा रही है और यह इम्बेलेन्स धीरे धीरे राजनैतिक रूप धारण करने वाला है। राजस्थान में बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टों द्वारा संचालित इन्डस्ट्रीज पनपती जावें उनको रियायत और कन्सेशन देते रहें। इन्डस्ट्रियलिस्ट पनपे, मोटा-ताजा बने, उसको आमदनी हो और उस बिजली के कारण हो जिसकी पैदावार में खेती करने वाले का भी कन्ट्रीब्यूशन है। वह बिजली उस खेती करने वाले को भले ही न मिले, भले ही उसको कोई कन्सेशन और रियायत न मिले, न कन्सेशनल और रियायती दर पर मिले पर उसका अधिकाश हिस्सा उन करोड़पतियों और पूंजीपतियों को जरूर मिले और न मिलता हो या कम मिलता हो तो बिजली में रियायत करके कन्सेशन देकर सरकार स्वय घाटा उठा कर भी उसको जरूर लाभ दे, उसकी जेबें जरूर गरम होने दे, उसकी पूंजी जरूर बढ़ावे जो हिन्दुस्तान की अधिकांश पूंजी को कब्जे में करके बैठा है। आप अन्दाज लगायें डी. सी. एम. को यह सरकार कन्सेशनल रेट पर घाटा उठाकर बिजली दे सकती है, नेशनल बाल बियरिंग कम्पनी को दे सकती है, जयपुर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स को दे सकती हैं, पर उन एग्रीकल्चरिस्टों को अन्न उत्पादन करने के निमित्त कुओं से पानी खींच कर अन्न उत्पादन कर सकें, इस निमित्त कन्सेशन और रियायती दर पर देना दर किनार, सामान्य रेट पर भी आसानी से उपलब्ध

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करा पाती, कराने का विचार तक नहीं करती। अगर राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट को सरकार ने कन्सेशनल रेट पर बिजली दी होती तो हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या को हल करने में राजस्थान सरकार भी एक इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले कर सकती थी। इससे उसकी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स की आमदनी भी बढ़ती। पर दुर्भाग्य है कि हम भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जिनमें इन्डस्ट्री बेसिक है, आधार इसे बना कर ही जो पनप रहे हैं, हम भी उनकी नकल करके उसी तरह पनपने के सपने लेते हैं। हम उनकी नकल करना चाहते हैं कि बम्बई में इन्डस्ट्री में इतनी रियायत दी जाती है, राजस्थान में मैं भी उस व्यापारी ग्रूप को उसी तरह से फेवर करना पड़ेगा। यह नीति अनुचित है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूंजीपतियों की इस वृत्ति को सामने रख कर उनकी तुष्टि की नीति अपना कर अगर सरकार ने कोशिश की और इससे राजस्थान के आर्थिक ढांचे में यदि एक प्रकार का इम्बेलेन्स क्रिएट हो गया तो राजस्थान का किसान तबाह हो जावेगा।

इन्डस्ट्री बढ़े, इससे मुझे कोई कतई ऐतराज नहीं, पर इस इम्बेलेन्स को मीट करने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट को सस्ती रेट पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जावे इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

इसके अलावा हमें बहुत सी बातों की तरफ सतर्कता से देखना होगा। गांवों में आज लूट मच रही है बिजली देने के नाम पर पंचायत समितियों की मार्फत। पम्पिग सैट मुहैया करने के नाम पर किसानों को अपने खेतों पर पानी देने के लिए कुओं पर पम्पिग सैट बिजली के साथ साथ इन्स्टाल करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों से बिजली का कनेक्शन चाहे किसी प्रकार से लो, चाहे हाथ जोड़ कर लो, या मुफ्त में लो या रिश्वतें देकर लो। किसान किसी तरह अपना कनेक्शन लेता है तो पहले तो वह खर्चा उसको भुगतना पड़ता है। फिर पम्पिग सैट के लिए जाता है तो उसके लिए राजस्थान में एजेन्सियां बनी हुई हैं। वे पचायत समितियों पर असर रखते हैं और पंचायत समितियों पर असर रख कर पर्टीकूलर एजेन्ट के मार्फत वह किसान पम्पिग सैट लगाने को तैयार नहीं होता, पंचायत समितियां उसको उस समय तक लोन्स एडवान्स नहीं करतीं। इसका नतीजा यह होता है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो पम्पिग सैट इन्स्टाल करने का एजेन्ट बन गया है पंचायत समिति में अपने प्रभाव द्वारा लोगों को किसानों को ठगने का प्रयत्न करता है। एक एक हजार में वह अपना सैट देता है उनको जो बाजार में सामान्यतया छः सौ सात सौ में मिल जाता है। वह ढाई तीन सौ रुपया अधिक लेता है और फिर ज्यों ही इन्स्टाल किया थोड़े दिनों चला कर बन्द हो जाता है, पम्पिग सैट खराब हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में मरम्मत में पैसा और उस किसान को लगाना पड़ता है। अब मरम्मत में पैसा लगे यह सवाल दूसरा है, पर उसके हर बार खराब होने से खेत में और अन्न के उत्पादन में कितना असर पड़ता है, उसका कितना नुकसान होता है उसका अन्दाज हमारी यह सरकार नहीं लगाना चाहती।

(श्री भैरोंसिंह)

तो इस तरह की एजेन्सियों को बन्द करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार जब बिजली दे तो कम से कम यह व्यवस्था भी करे कि अच्छी कीमत पर स्टेण्डर्ड टाइप का पम्पिंग सैट भी मिल जावे। यह भी सरकार प्रोवाइड कर दे। अगर सरकार फ्री नहीं दे सके, तो कीमत वसूल कर ले या सब्सीडाइज्ड रेट पर दे दे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई तो क्या होगा ? मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पम्पिंग सैट वह पंचायत समिति के एजेन्ट का कुए में लगा रहेगा, बिजली का कनेक्शन भी आ जावेगा पर इन दोनों के तालमेल से कुए से पानी खेत में नहीं पहुंच पावेगा। यह निश्चित है। और तब वह किसान त्राहि-त्राहि करके पम्पिंग सैट और बिजली के प्रति उदासीन होकर वह समझने लगेगा कि यह बिजली और पम्पिंग सैट उसके किसी काम के नहीं, उसको आवश्यकता नहीं।

इसलिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां बिजली देने की व्यवस्था करे, वहां एग्रीकल्चरिस्ट को सस्ती कीमत पर सब्सिडाइज्ड रेट पर पम्पिंग सैट देने की व्यवस्था भी करे और यह व्यवस्था होगी तब एग्रीकल्चरिस्ट को एट्रेक्शन होगा।

इसके साथ साथ इन्डस्ट्री और एग्रीकलचरल सैक्टर में एक तरह का एम्बेलेन्स क्रीएट हो रहा है उसको मीट आउट करने के लिए सरकार को सावधान होकर अपनी इस बारे में नीति निर्धारित करके चलना पड़ेगा। आपको तै करना होगा कि इन्डस्ट्रियल सैक्टर में हम इतनी छूट देंगे तो एग्रीकल्चरल सैक्टर में भी हम इतनी छूट देंगे। इन्डस्ट्रियल सैक्टर से आपकी कितनी राजस्व है, एग्रीकल्चरल सैक्टर से कितनी है, इसके बाद ही दोनों सेक्टरों में खर्च करने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि सरकार ने इस दिशा में विचार करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जो होने चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट के हित में होने चाहिए, वे परिणाम निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं नहीं समझता था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसकी भी चिंता होगी कि अमुक व्यक्ति विशेष चुनावों में जीतता है या नहीं, इसको जिताने के लिए बिजली लगानी चाहिये या नहीं, चुनाव में जिताने के लिए हमें ट्रान्सफोर्मर भेजना चाहिये या नहीं। माननीय मंत्री महोदय, चुनावों में आप दखल कर सकते हैं, समझ में आता है क्योंकि आप एक राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चुनावों के अन्दर दखल करें, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों हनुमानगढ़ में चुनाव हुए। वहां पर चुनाव में जीतने की चिन्ता या तो विरोधी दल को थी या कांग्रेस पार्टी को थी, लेकिन चुनाव के जिताने के चिंता हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हो जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता। हनुमानगढ़ में मांग होने लगी

(श्री भैरोंसिंह)

कि यहां बिजली आये, बिजली की कमी है और इसको पूरा करने की कोई व्यवस्था की जाये। वह व्यवस्था कैसे हो, तो सुजानगढ़ से एक ट्रान्सफोर्मर हनुमानगढ़ भेजा, इलेक्शन के एक दिन पहले भेजा, वहां पर उस समय वादे दिये जा रहे थे; हमने भी सुना था लेकिन हम समझते थे कि असम्भव है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक ओटोनोमस बोर्ड है. इसको इलेक्शन की क्या चिंता ? यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस बात की क्यों चिंता करने लगा और इसमें क्यों दखल देने लगा ऐसा हमको विश्वास था और इसकी चिंता हमने नहीं की। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग प्रचार करते रहे कि हम ट्रान्सफोर्मर जल्दी से जल्दी मंगा देंगे। लेकिन जब देखा कि सुजानगढ़ से हनुमानगढ़ ट्रान्सफोर्मर जा रहा है और इलेक्शन से पहले पहुंच गया और लोगों को दिखा दिया गया कि ट्रान्सफोर्मर पहुंच गया और लोगों को तसल्ली हो गई कि वाकई इस सरकार ने कल वादा किया था और आज मंगा दिया। कुछ दिनों के बाद २२ तारीख को चुनाव हुए और दो दिन बाद ही वह ट्रान्सफोर्मर जैसे आया था वैसे ही वापिस सुजानगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस ट्रान्सफोर्मर को क्यों तो सुजानगढ़ से भेजा गया और फिर वह क्यों वापिस चला गया ? जिस व्यक्ति ने इसको भेजा उसके खिलाफ क्या एक्सन लिया ? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इच्छा थी कि श्री कुम्भाराम जी को चुनाव जिताने के लिए ट्रान्सफार्मर भेजा जाये ? यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजनैतिक क्षेत्र में कब से हस्तक्षेप करने लगा ? इसकी मुझे चिंता होती है। ओटोनोमस बोर्ड के अन्दर बाकी के कामों के लिए सरकार कहती है कि हमारा दखल नहीं है तो इन कामो में सरकार का कैसे दखल हो जाता है ? सरकारी आदेश कैसे हो जाते हैं ? ट्रान्सफोर्मर को सुजानगढ़ से हनुमानगढ़ भी भेज दिया और फिर वापिस सुजानगढ़ मंगा लिया, इसलिए मंगा लिया कि चुनाव जीत गये। यह सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे सन्देह होता है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यह कार्यवाही चलती रही कि किस क्षेत्र में बिजली लगाने से काम चलेगा...

श्री दलपतसिंह (आबू) : वापिस क्यों मंगा लिया ?

श्री भैरोंसिंह : चुनाव जीतना था। चुनाव जीत गये, फिर वापिस मंगा लिया। इसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं।

श्री दलपतसिंह : बिजली खेतों में देकर बन्द कर दी ?

श्री भैरोंसिंह : उसको इसलिए मंगाया था कि ट्रान्सफोर्मर के वहां की जनता दर्शन कर ले और सरकार की वाहवाही हो जाये और चुनाव जीत जायें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इलेक्शन के दौरान में कोई काम नहीं होना चाहिए, सब बन्द हो जाने चाहिए. यह मतलब है आपका ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कलमें पढ़ने से काम थोड़े ही चलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जो कुछ भी हो वह जायज़ है। यह तो सब जगह ऐसा होता है। आम तौर से देखा गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सम्माननीय सदस्य ने स्वीपिंग रिमार्क लगा दिया...

श्री भैरोंसिंह : कोई स्वीपिंग नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे सर्टीफिकेट नहीं चाहता हूं। मैंने आपको इसकी अर्जी कब दी ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको सर्टीफिकेट देने वाला भी नहीं हूं। अर्जी दो तो भी फाड़ कर फेंक दूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि स्वीपिंग रिमार्क, हनुमानगढ़ को लेकर पहले भी बहुत सी चर्चा हुई और इनको और अहलाम हो गया है कोई इन्सीडेन्स को लेकर मैं नहीं जानता कि वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने आप काम करता है, कोई कमी का इन्डेन्ट होगा, पहुंच गया होगा, लौट गया होगा ऐसी हालत में उसको पार्टी से अटेच करना हमारी सर्विसेज़ पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। ऐसे इन्सीडेन्स का उल्लेख करके जिसकी जानकारी मुझ नहीं है आप उनको डीमोरेलाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात इस तरह से चले। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो स्वतंत्र है वह इन सब चीजों में हिस्सा नहीं लेता. इसका इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रिक से कोई वोट नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जहां नहीं है वहां भी हम जीतते हैं और वहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां भी जीतते हैं। यह आप अपनी शक्ल कांच में देख लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सर्विसज़ को आप डीमोरेलाइज़ कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं ? हमारी हाथ की बात हो तब करें ना।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को अपना भाषण भी याद हो तो मालूम हो जाये। लेकिन आज कल कुछ स्मरण शक्ति भी कम हो गई। उन्होंने सदन में कहा है कि चुनावों के लिए वे काम करा दिये गये वे करा दिये गये...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो मैंने सच कहा होगा। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नौकर के लिए नहीं कहा होगा। मैंने कहा होगा कुछ लोगों के लिए और उनके लिए आज भी कहता हूं और उसको रोकना चाहिए सरकार को।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्मरण शक्ति की क्या बात है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपको देख कर जो कुछ कहना चाहते हैं वह मुझे कह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए कह रहे हैं जैसे आप मुझ से कुछ कहला देते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी तरफ देख कर इनको मर्जी आती है वहीं कह देते हैं क्योंकि आप रोकते नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह इनका प्राइवेट मामला है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्राईवेट मामला नहीं है, ऑफिशियल मामला है। मैं यही कह रहा था कि इसको प्राइवेट मामला समझ कर चलते हैं यही गलती है। अब वह ट्रान्सफोर्मर क्यों तो आया और क्यों गया माननीय सदस्य ने कहा यह तो वेग तरीके से सारी बात कह दी गई। यदि माननीय सदस्य चाहें तो जिस लेटर से वह डिस्पेच किया गया, डिस्पेच करने के ऑर्डर्स प्लेस किये गये और जिससे वापिस मंगाया वे दोनों लैटर मैं मंत्री महोदय को देने के लिए तैयार हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसका है ?

श्री भैरोंसिंह : इन्जीनियर का।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्जीनियर दे सकता है जब जरूरत समझे। मैंने कब इन्कार किया : किसी कांग्रेसी ने लैटर लिखा हो, वह दिखायें तो समझ में भी आ सकती है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती यह है कि मुझे आज तक यही पता था कि इनकी स्मरणशक्ति कम हो गई लेकिन यह भी मालूम हो गया कि इनका लाजिक भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : इनका लोजिक मजबूत कब था ? पैदा हुआ नहीं है पैदा किया गया है। आपकी तरह खुदरा माल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि इन्जीनियर ने इलेक्शन के दृष्टिकोण से ट्रान्सफार्मर को भेजा तो उसको आदेश किस ने दिये थे ? मैं मान कर चलता हूं कि सुजानगढ़ में रहने वाले इन्जीनियर की हिम्मत नहीं हो सकती कि ट्रान्सफोर्मर दर्शन कराने के लिए हनुमानगढ़ भेज दे। उसके ऊपर खर्चा होगा. उसको लोग क्वेश्चन करेंगे। इतनी जिम्मेदारी कोई इन्जीनियर नहीं ले सकता। उसको कुछ बड़े लोगों ने कहा। इसके कारण से ट्रान्सफोर्मर वहां गया होगा और काम निकलने के बाद आया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय राजनैतिक दृष्टिकोण से कुछ काम करें समझ में आ सकता है। लेकिन इन्जीनियर्स इस तरह से काम करें यह समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ जैसा मैंने निवेदन किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्लान्स किस क्षेत्र में बिजली जानी चाहिए और किस में नहीं जानी चाहिए, यह बहुत डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव इस सेन्स में है कि जो सन् १९६२ के पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ कमिटमेन्ट्स किये, ६२ के पहले सरकार ने इस विधान सभा में कुछ कमिटमेन्ट्स किये, ६२ के पूर्व सरकार ने जनता में जाकर सरकार के प्रतिनिधियों ने कुछ आश्वासन दिये और कमिटमेन्ट्स दिये वे ६२ के चुनावों के पश्चात् बदल दिये गये। मैं उदाहरण के रूप में यह कहना चाहता हूं कि उदयपुर के पास मावली का क्षेत्र है। इस मावली के क्षेत्र में बिजली लाने का एक

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री ने नहीं बल्कि उदयपुर डिवीजन से आने वाले लगभग सभी मन्त्रियों ने चुनावों के दिनों में और चुनावों से पूर्व इस विधान सभा में इस बात का आश्वासन दिया था कि मावली में बिजली पहुँचाई जायेगी, लेकिन मावली से जनसंघ का सदस्य चुन कर आ गया तो मावली के आसपास बिजली जाती है, मावली जंक्शन है और उदयपुर के बहुत निकट है, उसके बाद मावली में बिजली के खम्भे डालने के बावजूद भी मावली में बिजली नहीं दी जाती है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जन-प्रतिनिधियों की आड़ के अन्दर आप जनता का शोषण करना चाहें तो उचित नहीं है। आप जो प्रायोरिटी तय करते हैं तो वह प्रायोरिटी तय करें, लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में लोकल एडवाइजरी कमेटी के बनाने का प्रावधान है। हमारी सरकार ने आज तक कोई लोकल एडवाइजरी कमेटी नहीं बनाई। उसमें कम से कम किसी क्षेत्र में हमको बिजली देना है, किस लाइन से कौन सा कनेक्शन करना है, किस क्षेत्र में विद्युत् के द्वारा उस क्षेत्र का विकास करना है, जो कुछ किया है वह कितना है, पर्याप्त है या नहीं, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इन सारे मसलों को लेकर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम लोकल एडवाइजरी कमेटी न बनायें और एडवाइजरी कमेटी बना कर उसके अन्दर पूरा रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक क्षेत्र का विकास हो जाता है और दूसरे का नहीं होता है। एक क्षेत्र के लोगों को बिजली मिल जाय और दूसरे क्षेत्र के लोगों को बिजली न मिले इन सब का निर्णय राजनैतिक आधार पर किया जाय, यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मसूदा में बिजली लग गई और माननीय गवर्नर महोदय ने उसका उद्घाटन किया तो उसकी आपको खुशी हुई हमें भी खुशी हुई। इस प्रकार से यदि सब क्षेत्रों में जहां कि बिजली की आवश्यकता है इस प्रकार से बिजली लगे, बिजली के कनेक्शन दिये जाय तो सभी लोगों को खुशी होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पॉवरफुल लोग अपने क्षेत्र में बिजली का विकास करा पाते हैं, बाकी के ऐसे भी सदस्य हैं जो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, वे कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली सदस्य नहीं हैं, या जिनके वोट की कीमत नहीं है, जो अपने आपको फोलोअर के नाते ही समझे हुए चलते हैं और अन्धविश्वास से चलते हैं। सुखाड़ियाजी ने कह दिया तो उनको वोट दे दिया, झालावाड़ एच. एच. ने कह दिया तो उनको वोट देंगे। उनके ब्लाइन्ड फोलोअर्स हैं, उनके क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह समझ कर न चलें कि हमारे क्षेत्र के अन्दर हमारी सरकार ने विकास किया है लेकिन जो ब्लाइण्ड फोलोअर्स हैं आपके उनके क्षेत्रों का हमारी सरकार किसी प्रकार से विकास नहीं करती है। केवल वोट लेने के समय मोटर में बिठा कर, नाश्ता कराकर, चाय पिला कर और मीठी मीठी बात करके वोट जरूर ले लेते हैं। आपको

(श्री भैरोंसिंह)

इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि जो क्षेत्र इस प्रकार के हैं....

श्री दलपतसिंह : ऐसे मेम्बर नहीं हैं हम कि जो चाय पीकर वोट दे दें।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं कहता कि चाय पीने के एवज में वोट देते हैं या नाश्ता करने के एवज में वोट देते हैं, लेकिन आपको खुश किया जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि इतने बड़े मन्त्री ने मकान पर बुला कर चाय पिला दी। इससे आप खुश हो गये और खुश हो गये तो बाकी के क्षेत्रों में अन्धेरा रहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमने आपको भी देखा है और आपका भी टेप डान्स देखा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं रोज आपके साथ में डान्स करता हूं; आप उस डान्स से दूर भागते हैं, इसकी चिन्ता होनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो दूर ही रहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप दूर मत रहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका कौल साहब के साथ टेप डान्स किया जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके काबिल तो आप हैं। उनके पास आप बठे हैं। दोनों आप एक ही केटेगरी के हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन क्षेत्रों में बिजली के विकास के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एडवाइज करने के लिए हमें एडवाइजरी कमेटीज नियुक्त करनी चाहिए और ढंग से रिप्रेजेन्टेशन के द्वारा जो अविकसित क्षेत्र हैं उनके अन्दर बिजली जा सके। मैं इतना ही निवेदन कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंहजी ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर वैसे काफी प्रकाश डाला है और उस पर मैं खास कर के इस बजट के बारे में कुछ सबसे प्रारम्भ में यह कहना चाहता हूं कि विद्युत् मंडल का बजट है जो कि व्यवसायिक कन्सर्न है और व्यवसायिक कन्सर्न का जिस तरीके से आपको बजट रखना चाहिए आपने रखा है, इस सदन में रखा है। व्यवसायिक कन्सर्न के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक तो यह कि एक व्यापारी जब कभी सेल्स टैक्स का हिसाब....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि २०-२५ मिनट अधिक से अधिक लें। इससे अधिक लेने पर बाद में कई माननीय सदस्य जो बोलनें वाले हैं उनको बोलने में दिक्कत पड़ेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : सो यह जो इसके अन्दर रखा गया है तो वह भी इस तरीके से जैसे कि कोई व्यापारी सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर के सामने जाता है या जबकि ऑडिट में जाता है तो वहां पर कुछ बातें तो छिपा देता है और कुछ बातें लाता है अपने मतलब की। ठीक उसी प्रकार से

(श्री मुरलीधर व्यास)

आपने बजट में जो बहुत सी बातें आपको सदन में खुली लानी चाहिए थीं वे इस प्रकार से नहीं लाई गई हैं ताकि सही बातों को समझ सकें। इसमें जो भी बजट में प्राप्तियां बताई गई हैं वे ६,५५,२६,५००) रु० की है और खर्च दिखाया गया है ४,०४,३७,-१७०) रु० का और उसके बाद में शुद्ध प्राप्तियां जो इसमें हैं वह बतलाई गई हैं २,५०,६२,३३०) रु० की। मतलब यह है कि बजट बड़े फायदे का है। दो करोड़ ५० लाख की बचत हो गई है शुद्ध प्राप्तियों के द्वारा और उसके बाद फिर उसके अन्दर डेप्रिसियेशन, ब्याज और दूसरे इस प्रकार का उसके अन्दर कुछ खर्चा जोड़ कर जो ३ करोड़ के करीब डेप्रिसियेशन और ब्याज के होते हैं वे इसमें डाल दिये गये हैं और उसको किस तरह से नीचे लाकर रख दिया है यानी ४६,३३,६७०) रु० से घाटे का बजट है। यानी इस ढंग से बनाया गया है कि अगर कोई मजदूर वह मांग करे कि इसके मुनाफे में कुछ पैसा हमको दे तो उनको बता दें कि यह घाटा है ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप दूसरे तरीके का एकाउन्ट का नमूना तो बना दें। कोई नया तरीका बैलेन्सशीट बनाने का ईजाद करते है तो वह बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : नया ईजाद तो आपकी सरकार करती है। पहले साल में तो डेप्रिसियेशन १६ लाख का बता दिया जाय। और दूसरे साल में १०० लाख का बता दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एकाउन्ट रखने का और बेलेन्सशीट बनाने का तरीका बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इसको समझे तो सही। आप समझ तो नहीं पाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी समझ के बाहर की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : और आपके तो बिल्कुल ही बाहर की बात है क्योंकि आपके दिमाग में मजदूरी की बात तो आ ही नहीं सकती है। आप और ढंग से सोचते हैं।

तो इस प्रकार तो डेप्रिसियेशन एक साल का तो बता दिया १६ लाख और दूसरे साल का बता दिया १०० लाख। तो इसका भी कोई तरीका होता है ताकि दूसरे कोई बतायें तो समझ सकें। बोर्ड ने कोई तरीका इसमें नहीं रखा है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : ओन ए पाईन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, यह जो आप देख रहे हैं इसके अन्दर तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो प्रोवीजन्स हैं उनके अनुसार बोर्ड को करना पड़ता है और इस वास्ते वह प्रोवीजन किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : करना पड़ता है तो यह आवश्यक नहीं है कि एक साल तो बता दे एक चीज और दूसरे साल चौगुना बता दें डेप्रिसियेशन का....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बता दें कि डेप्रिसियेशन क्या बता दिया जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप बजट तो देख कर आते नहीं हैं और यहां इस प्रकार की बहस करने लग जाते हैं । तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ कर आया कीजिये और फिर बहस करें तो बताने में जल्दी करूंगा । आपने टाइम बांध दिया और मेरा टाइम तो ये इस तरह से खर्च कर देते हैं । इस प्रकार का जो तरीका है वह ठीक नहीं है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो खर्च का इस प्रकार से ४,०४,३४,१७०) रु० बताया गया है उस खर्चे के ऊपर जब मैं जाता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे बोर्ड का खर्चा और ऊपर के कुछ बड़े अधिकारियों का खर्चा इन्जीनियर्स वगैरह का इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, चल रहा है कि इससे जो नीचे के लोग हैं फील्ड में काम करने वाले हैं, यानी इस प्रकार से यह खर्चा बढ़ता रहा तो उनको किसी प्रकार से आगे भविष्य में लाभ नहीं मिल सकता है और न तरक्की मिल सकती है ।

आज आपका डिपार्टमेंट खुद मानता है कि अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है । आपके डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो १५ साल की सर्विस के बाद भी अब तक वर्क चार्ज के तौर से काम करते हैं । एक ओर तो इस तरह की स्थिति आपके डिपार्टमेंट की है, दूसरी ओर स्थिति इस तरह की है, मैं कहना चाहता हूं कि आज के युग में इलेक्ट्रिसिटी ही एक प्रकार का माध्यम है जिसके जरिये राज्य की माली हालत को अच्छा कर सकते हैं और नाप देखने का तरीका यही है कि जिस राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली ज्यादा खर्च होगी वह राज्य उतना ही ज्यादा उन्नतिशील माना जायगा, वहां के लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा माना जायगा । आपने खुद ने माना है कि हमारा राज्य दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है जिसे फोर्थ प्लान में आपने खुद ने स्वीकार किया है :

"In Rajasthan, per capita consumption is the lowest in India leaving Assam and Jammu and Kashmir."

तो आप खुद मानते हैं कि यह बहुत कम है और दूसरी ओर...

श्री उपाध्यक्ष : कोरम नहीं है ।

(गण-पूरक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर फोर्थ प्लान में जैसा कि इसमें दिखाया है, हमारे राज्य में १९७०-७१ तक ५५४ मेघावाट बिजली की आवश्यकता होगी और हमको मिलेगी ३१८ मेघा वाट और शोर्टेज रहेगी २०५ मेघा वाट के करीब । और आगे जाकर ७६ से ८१ तक हम को १३४५ मेघावाट बिजली की आवश्यकता होगी । हम खुद यह मानते हैं कि राजस्थान के विकास की दृष्टिकोण से हमको बिजली की बहुत आवश्यकता है और यह भी मानते हैं कि शोर्टेज रहेगी और यह स्पष्ट मानते हैं कि बिजली की आवश्यकता बहुत है । अब आपके पास जो पर्मनिन्ट

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्ट्रेन्थ हैं या जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी छटनी करने की आपको आवश्यकता नहीं है बल्कि और ज्यादा आदमियों की आवश्यकता होगी. आगे ज्यादा बिजली की जरूरत होगी इसलिये भी आवश्यकता है। इस पर भी आप फिक्सेशन नहीं करें और टेम्पोरेरी वर्क चार्ज लोगों से काम लें। एक तरफ तो योजना से आप बताते हैं कि इतनी ज्यादा बिजली की आवश्यकता है, इतने खर्चे की आवश्वकता होगी उसके बावजूद भी फिक्सेशन न हो, वर्षों तक लोग वर्क चार्ज में बैठे रहें। आपके यहां के मीटर रीडर्स को मैंने देखा है जो १५ साल से टेम्पोरेरी वर्क चार्ज की तरह काम करते हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता, फिक्स्ड पर डे पर काम करते है तो इसमें भी परिवर्तन करना चाहिये। आप जब कहते है कि भविष्य में ज्यादा बिजली की आवश्यकता होगी तो स्पष्ट है कि आदमियों की स्ट्रेन्थ भी बढ़ेगी।

जहां तक इन्जीनियर्स का सवाल है, आपके डिपार्टमेंट के खर्चे के बारे में बताना चाहता हूं, ऊपर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। आपके यहां का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट दिया है उसको मैंने ध्यान से देखा है। चेयरमैन की सेलेरी २७००० रु० हैं उसके बाद अआउन्ट्स मेम्बर एंड फाइनेन्स मेम्बर के लिये भी आपने अलग प्रावधान रखा है, एक टेक्निकल मेम्बर रखा है और फिर गैर सरकारी सदस्यों का तो सवाल नहीं है। उसके बाद इंजीनियर्स का सवाल है। इससे पहले एक ही चीफ इंजीनियर काम करता था उसके बाद आपने एक और पोस्ट क्रियेट कर दी टेक्निकल मेम्बर की। टेक्निकल मेम्बर की पोस्ट किस प्रकार पास होती है, आपके डिपार्टमेंट में आपस में झगड़ा चलता है और झगड़े के अन्तर्गत यह बात सामने आती है ऊंचे के इंजीनियर्स में से किसको चीफ इंजीनियर बनाया जाय। दो हकदार बन जाते हैं तो उन दोनों को न देकर तीसरा ही चीफ इंजीनियर ले आवे और उन पोस्टों के ऊपर डबल खर्चा हो जाय उसकी चिन्ता नहीं। आपके यहां २ एडीशनल चीफ इंजीनियर्स हैं। उनमें से एक को प्रमोट करते तो एडीशनल चीफ इंजीनियर की एक पोस्ट कम हो जाती ऐसा न करने से एडीशनल चीफ इंजीनियर की दो पोस्टें हो गई यह भी खर्चा आपने बढ़ा दिया। ऊपर खर्चा बढ़ता है तो नीचे तक इसका असर पड़ता है और खर्चा बढ़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ४२७ नई पोस्टें जूनियर इंजीनियर्स की की गई है जिसके लिये १० लाख ४२ हजार रुपये रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट्स रखते हैं क्या आप दूसरे आदमियों को प्रमोट कर सकते हैं या नहीं ? अगर नहीं प्रमोट करते है तो आप उनकी तरक्की को रोक देंगे और जैसा इसमें हुआ है जूनियर इंजीनियर ४.६ महीने काम करने के बाद असिस्टेन्ट इन्जीनियर हो जाते है। आज तो यह मालूम होता है कि ग्रेड थोड़ा है २०० से ३०० का है लेकिन ये ४२७ आदमी जब असिस्टेन्ट इंजीनियर बनेंगे तब यह खर्चा और भी ज्यादा आयगा। मैं इंजीनियर्स और दूसरों का विरोध नहीं करता लेकिन कहना चाहता हूं कि आपको नीचे के आदमियों को भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रमोट करना चाहिये नहीं तो आप देखते होंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्युटिव इंजीनियर्स ऑफिस में ही ज्यादा काम करते है वे लोग फील्ड में जाकर बहुत कम काम करते है इसलिये फील्ड वर्कर्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, यह नीति होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम बिजली के द्वारा विकास करना चाहते हैं। राज्य में बिजली में सबसे बड़ी कमी यह हो गई कि बिजली का बजट घाटे का बनता जा रहा है। दूसरों को तो नहीं पता कि हम क्या करते है, हमारे बिजली के बारे में रिपोर्ट में तो नहीं बताया कि कितने युनिट बिजली हमारे यहां बनती है लेकिन आपकी बात मान लेते हैं कि पर केपिटा १२ ७ किलो वाट बनती है इतना अन्दाज हम निकाल लेते हैं कि राज्य में करीब २६ करोढ़ युनिट बिजली कन्ज्यूम होती है उसमें से ३६ करोड़ युनिट के करीब बिजली इन्डस्ट्रीज में खर्च होती है और इन्डस्ट्री के अतिरिक्त दूसरी तरफ चले जाइये गांवों में ले लें या दूसरे मामले में ले लें और शहरों के छोटे मोटे काम ले लें, मै कहना चाहता हूं कि १६ करोड़ युनिट बिजली आपकी इन्डस्ट्रीज में खर्च होनी है उसमें से अधिकांश बिजली आप पूंजीपतियों को दे देते है और पूंजीपतियों को बिजली बहुत कम कीमत पर देने से स्टेट को घाटा होता है। आपसे पहले डी० सी० एम० के बारे में कहा था। चाहे आप कितनी ही दलील दें लेकिन समाजवादी राज्य में २.३ पैसे पर-युनिट के हिसाब से आप बिजली पूंजीपतियों को देते हैं जिनको बहुत लाभ होता है। आप थोड़े पैसों में उनको बिजली देकर राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं यह बहुत बुरी बात है। मैं ऑडिट रिपोर्ट १९६५ को पढ़ कर सुनाता हूं, आप देख लीजिये खुद सरकार ने इस चीज को मान लिया है कि सरकार को इसमें घाटा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के पेज ८८ को देखिये; उसमें यह बताया है कि डी. सी. एम. (दिल्ली क्लोथ मिल्स) को बिजली दी है उसमें १८ लाख रुपयों का राज्य को घाटा हुआ है। जो बिजली पैदा होती है उसके पैदा होने के खर्च से कम रेट के अन्दर बिजली आप एक करोड़पति को दे दें जिसकी फेक्ट्री में सिर्फ २०० आदमी काम करें। जिसकी फेक्ट्री में केवल दो सौ आदमी काम करें उसको आप कम रेट पर बिजली दे दें जिससे राज्य को करीब १८ लाख रुपये का घाटा हो और आप कहें, नहीं साहब, बिजली किसी कारणवश दे रहे हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिजली आप जिस प्रकार से देते हैं और बिजली देने का जो आपका तरीका है वह बहुत गलत है। यह ८६ पेज है, जिस पर स्पष्ट लिखा है :

"The supply commenced in February 19.3. The loss of revenue suffered by the Board during February 1963 to March 1964 on the supply of energy at concession rate amounted to Rs, 18,05,000/-."

यानी १८ लाख से ऊपर आपको नुकसान होता है इस कन्सेशन रेट से बिजली

(श्री मुरलीधर व्यास)

देने पर और आपके इन्जीनियर ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बराबर जवाब देते हैं वह यह देते हैं कि अगर कंसेशनल रेट पर नहीं देते हैं तो अपने यहां पर इन्डस्ट्री खुलेंगी नहीं। मैं आपको यह कहूंगा कि यह जो इन्डस्ट्री है इसके अन्दर कास्टिक सोडा और चार चीजें बनती हैं, इनमें नमक और पानी यह दो चीजें लगती हैं। इसको बिजली आप देते हैं और कोई रो मैटीरियल की जरूरत नहीं है। और जो मुनाफा उससे होता है, वह मुनाफा आपके द्वारा बिजली इतनी कम रेट पर देने के कारण उमें करोड़ों का मुनाफा होता है, यह कोई थोड़ा मुनाफा नहीं है। आप देख लीजिये कि डी. सी. एम. कास्टिक सोडा चालीस टन रोज पैदा होता है। उसकी कीमत ८०० रुपया प्रति टन के हिसाब से ली जाती है। इससे वह ३२ हजार रुपये रोज कास्टिक सोडा से इन्कम करता है। इसके अलावा एक ऐसिड और बी० बी० सी० बनती है इसकी रेट्स और ज्यादा हैं। तो इस प्रकार आप प्रति दिन छः सात हजार रुपये का घाटा खायें और वह ३२ हजार रुपया रोज कमाये। यह मैंने सिर्फ आपको कास्टिक सोडा का बताया है। जिसमें वहां पर सिर्फ दो सौ आदमी काम करते हैं। तो जो आदमी करोड़ों रुपया कमाता है उसके पास से वाजिब रुपया खजाने में आपके आना चाहिए। इस प्रकार जो राज्य के खजाने में बीस लाख, चालीस लाख रुपया आना चाहिए, यदि इस हिसाब से देखा जाय तो इतना आपको घाटा है...

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : यह फायदा आपने किस बेसिस पर कैल्कुलेट किया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह इस बेसिस पर आप देख लीजिये कि वहां पर चालीस टन कास्टिक सोडा रोज पैदा होता है और उसकी रेट देख लीजिये और उसके अन्दर जो दूसरी चीजें लगती हैं उनको देखिये, अभी आप दूसरे प्रॉडक्ट को छोड़ दीजिये, अकेले कास्टिक सोडा को लीजिये, तो दो सौ आदमियों का खर्चा लगा लें और दूसरी चीजों का खर्चा लगा लें। मैं कहता हूं कि यदि वह घाटे मे जाती और नुकसान होता तो वह इन्डस्ट्री चल नहीं पाती। अगर नुकसान होता तो मैं आपकी बात मान लेता कि आप प्रोत्साहन देने के लिए दे रहे हैं। लेकिन वह करोड़ों रुपया कमा रहा है, अकेले एक व्यक्ति को राज्य के खजाने से इतना फायदा पहुंचता है – मैं समझता हूं कि ऐसा किसी हालत में नहीं होना चाहिये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके मालिक से आपके लोग बराबर चन्दा लेते रहते हैं, एक तरह से वह चन्दे की दूकान खुल गई है, जब भी कोई काम पड़े तो उससे चन्दा ले जायं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप एक बार का बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक बार का क्यों बता दूं ? आप बतायें कि कितना पैसा कब कब लिया है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप कह दें कि आपने चन्दा लिया या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप बता दीजिये कि चन्दा लिया या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप यह कह दें कि कब लिया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप सरकारी तौर पर कह दें कि नहीं लिया है, तब मैं बताऊंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट आफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, कल और जैसे जैसे सेशन आगे चलता जा रहा है वैसे वेग और इस तरह के आर्ग्युमेंट्स कुछ माननीय सदस्य देते हैं। कल भी आपकी तरफ से हम लोगों को कहा गया कि आपके पास कोई ऐसा सुबूत हो और जिसको आप सही समझते हो, ऐसी बात और सुबूत आपकी जानकारी में हो उसे रख देवें तो कोई बात नही है। अब आप बहुत से ऐसे मुद्दे लाते हैं, प्राइवेट बातें लाते हैं तो यह कैपेसिटी गवर्नमेंट की नहीं है कि गवर्नमेंट उसका जवाब दे सके। आप चन्दे की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने तो चन्दा लिया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने चन्दा लिया हो, यह बात दिमाग में उतरती नहीं है। आप कोई समझदारी की बात कहें तो समझ में आ सकती है। मैं समझता हूं कि हल्के ढग से किसी चीज को स्टेट करना सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना है। आप नाम बतायें कि कौन है जिसने चन्दा लिया है, किसने लिया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जो कह रहा हूं वह सोच-समझ कर कह रहा हूं कि लाखों रुपये का चन्दा लिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किसको दिया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : सुखाड़ियाजी को दिया है। आप बैलेन्स शीट्स को देख लीजिये। मैं इस तरह की लिस्ट दे सकता हूं। वह बैलेन्स शीट्स पर आता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऑल इंडिया पार्टीज को देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि आप ऑल इंडिया पार्टी को देते हैं तो लें, मैं यह नहीं कहता कि नहीं लें।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा था कि हमारे यहां पर एक करोड़पति आदमी को काफी रुपयों का लाभ पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ स्थिति क्या है ? मैं आपको गांवों के लिए कहूं कि गांवों में किसानों को बिजली देने का सवाल है, गांवों में प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है, इसलिए गांवों को बिजली पहले देवें, गांवों के किसानों को बिजली पहले देवें और जितनी बिजली वे कन्ज्यूम करते हैं उसका आप अन्दाजा लगायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली जो १६ लाख यूनिट खर्च होती है उसमें से दस लाख यूनिट तो यह डी. सी. एम. वाले खर्च कर देते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनको बिजली दे देते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और ! हां, तो मैं गांव से इसकी तुलना करना चाहता हूं कि एक गांव

(श्री मुरलीधर व्यास)

को मैंने एक दफा स्टडी किया था। बिलाड़ा तहसील के अन्दर बड़दा गांव है, इस गांव में बिजली दी है, गांव के कूओं के लिए बिजली दी है। उस बिजली से वहां पर कितना लाभ हुआ है, उससे मैं कम्पेअर करना चाहता हूं। एक ओर बिजली आप इन्डस्ट्री को देते है और दूसरी ओर बिजली कूओं को देते हैं...

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : बड़ूंदा होगा !

श्री मुरलीधर व्यास : बड़दा। बड़ूंगा होगा। वह बिलाड़ा तहसील के अन्दर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : व्यासजी को मालूम नहीं होता है, वैसे ही कह देते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कौनसी तहसील ?

श्री मुरलीधर व्यास : बिलाड़ा तहसील है !

वहां पर बिजली दी जाती है, तो जो कूओं की बिजली दी जाती है उन कूओं से लोग पानी लेते हैं उस पानी से तेरह हजार एकड़ जमीन को सिंचाई होती है, सात हजार एकड़ जमीन ग्रेजिंग की मानिये तो छः हजार एकड़ की कूओं से सिंचाई होती है और उससे प्रोडक्शन होता है। उस गांव की आबादी तीन हजार की है, और वहां पन्द्रह लाख मन गल्ला प्रतिवर्ष पैदा होता है उस गांव को बिजली मिलने से। आप कल्पना करें कि गांव में बिजली मिलने से प्रति व्यक्ति की आमदनी पांच सौ रुपये बढ़ जाती है जब कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो आप किसी गांव की कल्पना करें, जहां पर बिजली दी जाती है तो उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ता है और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ती है। दूसरी ओर एक इन्डस्ट्री को देते हैं जो दो सौ आदमियों को पालती है, उसको बिजली कितनी दे रहे हैं, वह १६ हजार यूनिट अकेली इन्डस्ट्री कर देती है। जो मैं बार बार कह रहा हूं वह मैं सही आंकड़े कह रहा हूं कि सोलह हजार यूनिट में से दस हजार यूनिट वह अकेली ले रही है। एक ओर उसको इतनी बिजली दे देते हैं और दूसरी ओर गांव में बिजली देने से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आप कल्पना कीजिये कि जिन गांवों में कुए हैं वहां पर बिजली पहुंचायें तो उससे फसल कितनी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ेगी। इससे उत्पादन की समस्या भी हल हो जायगी और लोगों को काम भी मिलेगा। लेकिन आप ऊंचे ऊंचे व्यक्ति को सुविधा देते हैं और उनका धन्धा देते हैं बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। उनको आप सुविधा देते चल रहे हैं। फिर कहते हैं कि आप समाजवाद लाना चाहते हूं। मैं इस दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि आप उनसे पैसा लेते हों या नहीं लेते हों लेकिन इस तरह उस व्यक्ति को आप बीस लाख रुपये का प्रति वर्ष फायदा राज्य के खजाने से देते हैं तो वह कुछ न कुछ आपको देता होगा ....

श्री भीखाभाई : आपको देता होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार जो व्यापारियों से चन्दा लें और इस ढंग से उनके साथ व्यवहार करें, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डी. सी. एम. के साथ १९७१ तक का एग्रीमेंट कर लिया है। मैं यह कहूंगा कि उनके साथ में एग्रीमेंट किया जाता है और सन् ७१ तक का एग्रीमेंट हुआ है कि इसी रेट से बिजली मिलती रहेगी।

अब मैं दूसरे मुद्दों पर आता हूं क्योंकि मेरा ज्यादा समय इसमें खर्च कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूंगा कि बिजली देने में प्राथमिकता किसको देनी चाहिये ? गंगानगर में एक गांव है हिन्दूमल कोट, उसमें बराबर बिजली की मांग की जा रही है और आप बिजली देने का जो प्रश्न है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं और वहां पर आप बिजली नहीं देते। इधर टोंक में अलीगढ़ गांव में बिजली पहले चली गई और दूसरे गांवों को जो पहले आते हैं नहीं दी गई। इस का कारण यह है कि मंत्री महोदय किसी खास गांव को पसन्द करते हैं। जो गांव बहुत दूर है उसको बिजली दे दी जाती है और उन गांवों को जिनकी आबादी ज्यादा है और बड़े गांव हैं परन्तु उन गांवों मे बिजली नहीं जहां पर पहले बिजली दी जानी चाहिये थी।

श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : वह तो इरिगेशन की पॉलिसी अडोप्ट करते हैं और जिस तरह से इरिगेशन राजनैतिक कारणों से कार्य करता है उसी तरह से ये भी काम करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : राजनैतिक कारणों से दिया गया हो लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली देने में राजनैतिक कारण नजर नहीं आने चाहिये। जहां पर बिजली देना जायज हो वहां पर नहीं दी जावे, यह तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। यह सोचना चाहिये कि जो न्याय का तरीका हो उसके अनुसार बिजली उन गांवों को दी जानी चाहिये जिनको मिलनी जरूरी है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर को बहुत परेशानी है। कन्ज्यूमर को बिजली मिलती नहीं। आप बीच में कोन्ट्रेक्टर को डालते हैं जब उनको बिजली देते हैं। आप १०० फुट तक तो माफ रखते हैं और बाद में चार्ज करते हैं मगर कोन्ट्रेक्टर को बीच में डालते हैं उससे लोगों को परेशानी होती है और आपके एस्टीमेट भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपको चाहिये कि आपके कन्ज्यूमर्स हैं उनको आप खुश रखें क्योंकि वे आपके व्यवसायिक हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको चाहिये कि व्यवसायिक तरीके से कार्य करें। मगर आप इसके अलावा उसको एक युनिट बिजली ही चाहे वह खर्च करता हो तो भी उससे २।।) रु० चार्ज करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपका कहां का न्याय है। अगर एक मिनिस्टर बाजार में चला जावे और वह एक रुपये का चना लेवे और गेहूं लेवे तो अगर देने वाला

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह कहे 'कि एक रुपये का चना नहीं दूंगा एक रुपये के बजाय दो रुपये लूंगा। आप कैसे देंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह आपका कौनसा जनतन्त्र है। आप कन्ज्यूमर को ८ आने की बिजली देते हैं और उससे २॥) रु० लेते हैं। यह कहां की लूट है और क्यों? आपको व्यवसायिक ढंग से चलना चाहिये। अगर आप यह नहीं करते हैं तो कन्ज्यूमर परेशान होता है।

जहां तक कर्मचारियों की नियुक्ति और फिक्सेशन का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि ट्रान्सफर और फिक्सेशन आदि राजनैतिक आधार पर होते हैं इसके लिये आप राजनैतिक आधार पर उनका ट्रान्सफर आदि न करें। ट्रान्सफर अगर आप सोचते हैं कि इनका ट्रान्सफर करना चाहिये तो करना है, मगर मंत्री महोदय चाहते हैं या और कोई पोलिटिकल रीजन्स हों तो राजनैतिक आधार पर आपको किसी का ट्रान्सफर नहीं करना चाहिये। मैंने बहुत केसेज देखे हैं। आपके दो दो इंजीनियर मर गये और एक कर्मचारी मर गया मगर आपने राजनैतिक आधार पर उन लोगों को कोई अभी कम्पेन्सेशन नहीं दिया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। राव साहब केन्द्रीय मंत्री अभी यहां पधारे थे। उसके दो दिन पहले एक एक्सीडेन्ट हुआ और एक ट्रक में काफी मजदूर भर दिये गये और उनमें ७ मजदूर मर जाते हैं एक्सीडेन्ट होने से। ये दो दिन पहले मरते हैं। राव साहब आते हैं और उद्घाटन करते हैं उस समय आपको चाहिये था कि उनके लिये शोक प्रदर्शित करते। आपकी गलती से ट्रक उलट जाता है और मजदूर मर जाते हैं। होना तो यह चाहिये था कि शोक प्रकट करते और कहते कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है...

श्री हरिश्चन्द्र : आपको रेफरेन्स दे रहे हैं वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कह रहा हूं कि आदमी मरे, मजदूर मरे....

श्री हरिश्चन्द्र : मगर इससे बोर्ड का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गांधी सागर डेम पर मरे हैं। ३० तारीख को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह कहता हूं कि यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे इलेक्ट्रीसिटी का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरी एजेन्सी से काम कर रहे हों।

श्री हरिश्चन्द्र : यहां पर बोर्ड के लिये कहा गया है, इसलिये मैंने कहा है कि यह बोर्ड से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूंगा कि आपको चाहिये कि उनके घर वालों को कम्पेन्सेशन देते। मैंने लास्ट टाइम भी कांकरोली में आदमी के लिये कहा था।

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके घर की व्यवस्था करने वाला नहीं। इंजीनियर के साथ आदमी मरा, उसको भी आपने कम्पेन्सेशन नहीं दिया। अगर इस प्रकार की बातें और करप्शन होता है तो यह ठीक बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा सा व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। इलेक्ट्री सिटी बोर्ड है, उसमें चेयरमैन तक कागज आवे तो वह किस प्रकार ५ स्टेजेज तय करके उनके पास आवे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने आदमी बढ़ाये हैं उससे होना तो यह चाहिये कि काम में जल्दी हो, मगर होता यह है कि काम में ज्यादा देरी होती है। अगर वे कागज एसिस्टेन्ट इंजीनियर वगैरह सीधे मेज दें तो वही काम हो जाता है। आप एक कागज को एक जगह, दो जगह, तीन जगह या चार जगह भेजते हैं। क्यों? आपने उनके लिये पोस्ट क्रिएट की है, इसके लिये मैं कुछ नहीं कहता। मगर जब पोस्ट्स बढ़ी हैं तो काम भी जल्दी होना चाहिये। मगर पोस्ट्स बढ़ी हैं उससे काम में ज्यादा समय खर्च होता है। भरतपुर की मिसाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में कहें।

श्री मुरलीधर व्यास: भरतपुर में कोयले के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। जैसी आपको रिपोर्ट दी है उसके अनुसार १ हजार टन कोयला कम हुआ और उसकी कीमत ५३ हजार रुपया होती है। पहले तो यह हुआ कि १० दिन में कन्ज्यूम हो गया। मगर एक हजार टन कोयला कम हुआ, यह साफ जाहिर है कि यह कोयला गया है वह बड़े बड़े अफसरों से गया है। इसलिये इसकी जांच की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री घासीराम यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में यह कहना है कि हम अलवर से आने वाले हैं और हमारा एरिया पंजाब के बोर्डर पर है पंजाब का एरिया है। वहां पर बिजली आई हुई है और वहां पर हमारे बड़े बड़े गांव हैं, पांच पांच हजार की आबादी है, एस. डी. ओ. और तहसील हैडक्वार्टर हैं और हाई स्कूल आदि हैं और कलेक्टर बनने की चर्चा है। वहां पर बिजली नहीं है। मगर दूसरी ओर जहां पर पंजाब का एरिया है और जिनकी आबादी ५०० घरों की है वहां पर भी बिजली है। हमारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है कि हमारे यहां पर बिजली नहीं है और इनके यहां पर बिजली है।

(२ म. प.)

पहले हम सोचते थे कि भाखरा का कोटा हमें नहीं मिल रहा है, पर जब से मालूम पड़ा कि १६ माइल का एरिया है बोर्डर का, उसमें बिजली आनी चाहिए, पर उसमें आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पंजाब सरकार बिजली देने को तैयार है, रेवाड़ी से पाली से, फिरोजपुर से देने

(श्री घासीराम यादव)

को तैयार हैं पर राजस्थान सरकार की उदासीनता के कारण हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । हमारा एरिया वास्तव में बहुत ही बढ़िया और उपजाऊ एरिया है, उसमें बिजली आने से बहुत तरक्की हो सकती है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

पिछली बार शायद माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने सवाल पूछा था कि उस एरिया में बिजली क्यों नहीं आ रही है तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया था कि फिरोजपुर रेवाड़ी से बिजली लाते हैं तो वह इकोनोमिक नहीं है । यह बात बिल्कुल गलत हैं, वहां से बिजली लाना अनइकोनोमिक नहीं है । बहरोड़ से बिजली लाने के सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से कहा गया था कि वह अनइकोनोमिक है, पर वह गलत साबित हुआ । आज सरकार बहरोड़ से बिजली ला रही है । तो आज देखा यह गया है कि सरकार चाहे जिसको इकोनोमिक बना देती है और नहीं चाहे उसको अनइकोनोमिक बना देती है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे अलवर के उस एरिया में सरकार को बिजली लाना चाहिये । इकोनोमिकल नहीं है, यह जो सूचना सरकार ने दी है वह गलत है । हमारे उस एरिया में हर गांव में पचास पचास और सौ सौ कुएं हैं, सरकार ने देखा नहीं मंत्री महोदय वहां जाकर देखे कि कितने कुए हमारे उस इलाके में हैं । सरकार आंकड़े तैयार करे कि किस इलाके में कितने कुए हैं तो सरकार को पता चलेगा कि हमारे इलाके में जितने कुएं हैं, उतने किसी इलाके में नहीं है, अलवर और भरतपुर के इलाके में बिजली लाने का स्कोप, बिजली से उत्पादन बढ़ाने का जितना स्कोप है उतना और किसी इलाके में नहीं है ।

एक साहब कह रहे थे कि ५ हजार की आबादी में बिजली ला रहे है मैं इसका विरोध नहीं करता, बिजली अवश्य लाना चाहिए पर बिजली लाने में सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो कि पर्सनल कन्वीनियेंस के लिये बिजली लाये और जहां अधिक कुएं हैं वहां बिजली नहीं लाये । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बिजली लाने की यह बिना रखी है कि ५ हजार की आबादी है वहां बिजली दी जायगी । मैं यह नहीं कहता कि पंखों के लिये लग्जरीज के लिये बिजली नहीं देनी चाहिये अवश्य दी जानी चाहिये जिससे कि हमारे राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े । एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये जिन क्षेत्रों में ज्यादा कुएं हैं वहां बिजली देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इसके लिये राज्य सरकार को कोई फॉर्मूला बनाना चाहिये । जिस प्रकार सड़कों के निर्माण के लिये फार्मूला है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को जोड़ा जाय, एस० डी० ओ० हैड क्वार्टर्स को जोड़ा जाय, बड़ी बड़ी माइन्स को जोड़ा जाय । इसी प्रकार का फॉर्मूला बिजली देने में प्राथमिकता बरतने के लिये कोई फॉर्मूला बनाना चाहिये । अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले के कुछ हिस्सों में बिजली पहले

(श्री घासीराम यादव)

दी जानी चाहिये गंगानगर को बिजली मिले तो बाद में मिलनी चाहिये, वहां पहले बिजली देने से खेती की उपज तो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि वहां कुएं नहीं हैं। अलवर, भरतपुर में हर गांव में कुएं है। हमारे अलवर जिले में जाकर मिनिस्टर साहब या विद्युत् मंडल वाले देखें, हर जगह, गंगानगर से भी अच्छी जमीन है, बहुतायत में कुए हैं, इरिगेटेड लेंड है उसमें बिजली आ जाय, इरिगेशन हो तो चौगुनी पैदावार हो सकती है। अगर वहां बिजली दे दी जाय तो इतनी पैदावार बढ़ने वाली है कि आज गंगानगर को ग्रेनरी ऑफ राजस्थान कहते हैं, वह अलवर जिला बन सकता है। अलवर राजस्थान की ग्रेनरी बन सकता है।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में अलवर से भरतपुर का क्षेत्र है वहां कहीं बिजली प्राप्त नहीं हुई है, आप और जगह बिजली ले जा रहे हैं, अलवर को क्यों नहीं ले जाते। आप कहते हैं कि प्रोडक्शन को बढाओ तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये अलवर और भरतपुर में बिजली देनी चाहिये। आज खाद्यान्नों की महंगाई बढ़ रही है उसको मीट करने के लिये भी वहां बिजली ले जाना चाहिये। आज आप ऐसे गांवों में बिजली ले जा रहे हैं जहां कोई उपयोग बिजली का नहीं है, पंखों के लिये, लाइट के लिये बिजली ले जा रहे हैं। अलवर और भरतपुर में बिजली दी जाय तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना बढ़ सकता है कि वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद राजस्थान के कमी के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी तादाद में खाद्यान्न दे सकते हैं।

इस पोइन्ट को स्ट्रेस करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे इलाके में बहरोड़ ५ हजार से ज्यादा आबादी का कस्बा है, बड़ोद ६ हजार से ज्यादा आबादी का कस्बा है, ६४-६५ में वहां बिजली देने का प्रावधान रखा था पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उसे पूरा नहीं किया है। विद्युत् मंडल के प्रेसीडेन्ट है उन्होंने सरपंच को चिट्ठी लिखी दिसम्बर में कि फरवरी में कर रहे हैं पर कोई काम नहीं किया गया।

हमारे विद्युत् मंत्री वहां गये, जलसे में कह कर आये कि इसी साल बिजली आ जायगी। पर वहां बड़ी सुस्ती से काम हो रहा है, इसका हमें बड़ा अफसोस है।

डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम अलवर में है वह गलत है, ऑफिसर्स चाहें जिसे दे देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि नॉन-ऑफिशियल एड्वाइजरी कमेटी होनी चाहिये, जिसमें प्रधान हो, एम० एल० एज़० हों। बिना इसके बड़ी रिश्वतखोरी चलती है, अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(विराम)

बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत् मंडल का बजट आज बहस के लिये इस सदन में रखा गया है। जो रिपोर्ट इस बजट के साथ प्रस्तुत की गई है उसमें जो विद्युत् की प्रगति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे इस प्रान्त में इन पिछले वर्षों में हुई है, उसका ब्यौरा सालवार दिया गया है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं और इस बात के लिये मुझे सरकार को और राजस्थान विद्युत् मंडल को भी बधाई देने में कोई एतराज नहीं कि राजस्थान के गांवों का, राजस्थान का विकास चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो चाहे खेती के क्षेत्र में हो, वह बिजली के ऊपर निर्भर करता है, इस बात को राजस्थान सरकार ने नीति के तौर पर स्वीकार किया है और इसलिये पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में और आगे आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में, जो बजट अलोकेशन हैं, उसमें पॉवर को सबसे ज्यादा बजट अलोकेशन किया है। इसको मैं बुद्धिमत्ता का निर्णय मानता हूं।

परन्तु इस निर्णय को अमली रूप देने में जो कार्य क्षमता, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार के द्वारा दिखायी गयी, जो २ प्रोजेक्ट हमने अपने नेचरल रिसोर्सेज़ को देखते हुए अपने हाथ में लिये या अपने पड़ोसी राज्यों पंजाब या मध्यप्रदेश के साथ मिल कर जिन प्रोजेक्ट्स के अन्दर हमने हिस्सा लिया उस दृष्टिकोण से, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार और विद्युत् मंडल केवल उस पुराने गीत को जिस स्थिति में राजाओं के राज में, राजस्थान में जो स्थिति मिली जब कि न ही बिजली के विकास की वेल्यू को समझते थे और न ही उस छोटी २ राज्य व्यवस्थाओं में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जा सकता था, उसी को एक स्टार्टिंग पोइन्ट मान कर, ऐसा मालूम पड़ता है, हमारी राज्य सरकार और हमारा विद्युत मंडल अपने आप में एक बहुत संतोष मान कर चल रहा है और इस कारण उस वक्त जो राजस्थान बना उस वक्त बिजली कितनी थी, उसके मुकाबले में वे अपनी कार्य क्षमता को, अपनी सक्सेस को आंक कर, मान कर चलते हैं, मैं समझता हूं, उसमें एक कॉम्प्लीसेन्सी की भावना पैदा कर रहे हैं। वास्तव में अगर विद्युत् मंडल और राज्य सरकार अपनी कार्यक्षमता का माप करना चाहती है तो उस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि जिस दृष्टिकोण से विद्युत की आवश्यकता को राजस्थान के विकास के लिए आवश्यक समझते हुए आपने प्लानिंग को प्रायोरिटी दी, उस दृष्टिकोण से उस प्रायोरिटी के बेकग्राउन्ड में जो संभावनायें बिजली के विकास की राजस्थान में थीं, जो बजट एलोकेशन्स मिले, कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, इस दृष्टिकोण से अगर उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने विद्युत् मंडल के रिकॉर्ड को देखें तो मैं यह तो नहीं कहता कि वह रिकॉर्ड बिल्कुल ही ऐसा है कि उनको फेल होने के नम्बर दिये जांय लेकिन मैं उनको थर्ड डिविज़न मार्क ही दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह इसलिए कि हमारे जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स राजस्थान में हैं, जिनके जरिये बिजली की संभावनायें पैदा हुई हैं वे पंजाब में भाखरा से या इधर राजस्थान में चम्बल से, इन दो प्रोजेक्ट्स के जरिये राजस्थान में विद्युत् की क्षमता बढ़ाने की संभावनायें थीं। जो भी हम इसमें उपलब्धी कर पाये, जो शेयर हमारा था उसको स्वयम् विद्युत मंडल ने कोई छिपाने की कोशिश नहीं की है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपनी उस कमजोरी को, अपनी उस कमी को अपनी इस रिपोर्ट में माना है। जहां तक कि चम्बल का ताल्लुक है ६१-६२ में या ६२-६३ में अपना जो शेयर उसके अन्दर था उस पूरे शेयर को काम में नहीं ले पाये। जहां ६१-६२ में २० मेगावाट चम्बल से मिलनी थी उसमें से हम केवल ७ मेगावाट ले पाये। उसमें से अबाउट ३० पर्सेन्ट हम ले पाये। इसी प्रकार ६२-६३ में ३१.५० मेगावाट की जगह हम २२ मेगावाट ही ले पाये। ६३-६४ में हम बढ़े। पिछला शेयर था उसको लेने की कोशिश की। उसमें ३१-३१।। के बजाय ४१.४२ मेगावाट लेने की कोशिश की। इसी प्रकार ६४-६५ में ४० के बजाय ४५ ले पाये। लेकिन नेचरल काज हुए इस कारण ५० पर्सेन्ट घट गया। पिछला बेक-लॉग लेना चाहते थे वहां इधर रह गये।

पंजाब से लेने में यह स्थिति रही कि ६१-६२ में जहां १५ मेगावाट लेनी थी वहां ४·६ ले पाये। ६२-६२ में जहां हमारा १७ मेगावाट का हिस्सा था वहां १०·४० ही ले पाये। ६३-६४ में २२ मेगावाट का हिस्सा था लगभग १३-१४ मेगावाट ही ले पाये। और करेन्ट ईयर में (१९६४-६५) जहां २२ मेगावाट हिस्सा था वहां केवल १४-१५ मेगावाट ही ले पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को, इस दलील को ईमानदारी से विद्युत् मंडल ने अपनी कमजोरी को. इनएफिशियेन्सी को मानने से इस रिपोर्ट में इन्कार किया है लेकिन छिपा नहीं सके हैं। उन्होंने कहा था कि हमने इस हिस्से को खेतड़ी में जो स्मेल्टर प्रोजेक्ट रखा है उसके लिए रिजर्व रखा है। जनाब, आपने उसको अब क्यों ले लिया? एमर्जेन्सी आ गई। २२० की लाइन एमरजेन्सी में रतनगढ़-जयपुर की डाल कर ले लिया तो आपका ख्याल है कि खेतड़ी का स्मेल्टर लगेगा नहीं और बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बेड-प्लानिंग का नतीजा है। जितनी जनरेटिंग केपेसिटी होती है उसके हिसाब से हम ट्रान्समिशन लाइन डाल नहीं सके, हम इसमें असफल रहे। हमने पहले इसके लिए सोचा नहीं था। चाहे वक्त पर इम्पोर्ट लाइसेंस न मिल सका हो या आडिटिंग सिस्टम ऐसा था कि जिसमें बाधायें पड़ती थीं। आज आपने उनको दुरुस्त करने की तरफ कदम बढ़ाया। आपको पहले सूझता तो आप पहले भी दुरुस्त कर सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया। इसकी वजह से राजस्थान को यह भारी लॉस होता रहा है। और, उपाध्यक्षजी, आज भी वह लॉस हो रहा है।

दूसरी बात जो, उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो आंकड़े विद्युत् मंडल ने प्रस्तुत किये हैं, अभी जो हमारी इन्स्टालड केपेसिटी है और फर्म केपेसिटी है उसमें एक बहुत बड़ा अन्तर है। इन्स्टाल्ड केपेसिटी और फर्म केपेसिटी में, उपाध्यक्ष महोदय, नॉर्मली ६० पर्सेन्ट फर्म केपेसिटी इन्स्टाल्ड केपेसिटी से होनी चाहिये। लेकिन जो आंकड़े विद्युत् मंडल ने प्रस्तुत किये उनको अगर हम देखें तो हमारे यहां ४० पर्सेन्ट से अधिक फर्म केपेसिटी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे वर्किंग में गड़बड़ है कहीं। ब्रेक डाउन्स अधिक होते हैं या और कई कारणों से जनरेटिंग केपेसिटी बन्द रहती है या बन्द रखनी पड़ती है।

उपाध्यक्षजी, इसका एक बड़ा फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन है। जितनी इन्स्टाल्ड केपेसिटी हम क्रियेट करते हैं, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट उसके अन्दर लगता है। उसके जरिये जितनी अधिक से अधिक हम फर्म केपेसिटी निकाल कर उस बिजली का पूरा उपयोग न करें तो जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है वह इन्वेस्टमेंट जाया जावेगा, हमें उसका इन्ट्रेस्ट ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन हमारा ज्यादा आवेगा। और मैं समझता हूं कि विद्युत् मंडल अभी तक इस भारी खतरे से नहीं निकल पा रहा है, अभी तक नुकसान में जा रहा है और वह बढ़ा भी है। यह बेड-प्लानिंग का नतीजा है कि जो जनरेशन की केपेसिटी, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रान्समिशन लाइन्स का जो रेश्यो प्रपोर्शन होना चाहिए इनमें जो तालमेल होना चाहिये, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से हो, प्राइवेट हेन्ड्स द्वारा वक्त पर पूरा काम न करने के कारण से हो-इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई तालमेल नहीं है जिससे कहीं पर इन्स्टाल्ड केपेसिटी जाया पड़ी रहती है, कहीं जनरेटिंग फर्म केपेसिटी यूजलेस पड़ी हुई है, कहीं डिस्ट्रिब्यूटरी लाइन नहीं है, कहीं ट्रान्समिशन लाइन पड़ी हुई है। तालमेल नहीं है इनमें। आज जरूरत है इस बात की कि विद्युत् मंडल को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस तरीके की स्थिति इन तीनों ब्रान्चेज में कायम करे जिससे कि लीस्ट इन्वेस्टमेंट से मेग्ज़िमम बेनिफिट हम ले सकें और इस तरीके से हमारा यह कार्य ज्यादा इकानोमिक हो सकेगा।

चौथी बात, उपाध्यक्षजी, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरीके से, रीजनल तौर पर, डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर का सारे राजस्थान में किया जा रहा है वह राजस्थान के मेग्ज़िमम विकास की दृष्टि से लोगों को इक्विटेबल विकास का मौका देने की दृष्टि से किया जाना चाहिये। यही तरीका राजस्थान की तमाम जनता में कॉन्फिडेन्स पैदा कर सकता है, एकता पैदा कर सकता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास पैदा कर सकता है। मुझे कहते हुए खेद होता है कि जहां तक इस तरह के सिस्टम में, जहां गवर्नमेंट के विद्युत् मंत्री की ओर से इस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिये जो समान नीति हो—इस तरह की समान नीति न अपना कर किन्हीं क्षेत्रों को कुछ ज्यादा फीड किया जा रहा है और किसी क्षेत्र को एक प्रकार से भूखों मारने की स्थिति पैदा की जा रही है। यह नीति डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रान्समिशन लाइन के डालने के बारे में बरती जा रही है। वरना कोई वजह नहीं, जिन क्षेत्रों को गान्धी सागर डेम से पॉवर देते हैं, जिन क्षेत्रों को गान्धी सागर डेम से कनेक्ट करते हैं—उन क्षेत्रों को आगे के लिए संभावना जब राणा प्रताप सागर डेम से बिजली पैदा होगी तब उन जिलों को डबल लाइन से कनेक्ट किया जायगा। एक तरफ तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डबल लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ जिले ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफिकली पहले मिलनी चाहिये और मिल सकती थी, जिनको प्लान में आपने खुद ने प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की नीति के दृष्टिकोण से चूंकि वहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस क्षेत्र को निग्लेक्ट करके एक प्रकार से फेमीन कन्डीशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस दृष्टिकोण का नहीं कि पर्टीकुलर एरिया के विकास की बात करूं, मैं चाहता हूं, सारे राजस्थान का विकास हो जिससे देश आगे बढ़े। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की प्लानिंग की पॉलिसी है वह इस प्रकार की रही है कि जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर सब से कम एक्सपेन्डीचर किया जाय। मैंने एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए कहा था कि बाड़मेर जिला है उस पर हमारा सब से कम एक्सपेन्डीचर होता है और पर-केपिटा इन्कम भी वहां की सब से कम है। समाजवादी व्यवस्था की बात करने वाली सरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिए।

बिजली के सम्बन्ध में जहां भाखरा प्रोजेक्ट से जो बिजली हमारे हिस्से की थी उसको हम नहीं ले पाये। इसकी एक दुःखद कहानी है। सन् ५३-५४ में पहली बार भाखरा से बिजली मिलने का मौका आया, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ने सजेस्ट किया कि इससे पांच हजार किलोवाट बिजली दी जा सकती है। अलवर-भरतपुर के जिले जो दिल्ली और पंजाब के नजदीक हैं उनको देने का सुझाव दिया था। लेकिन जिस प्रकार से फिजीबिलिटी रिपोर्ट मंगायी जाती है उसके अनुसार जिस क्षेत्र को देने में इन्ट्रेस्टेड होते हैं वहां विभाग को कह दिया जाता है की यहां की पोजीटिव रिपोर्ट दे दो। जिस क्षेत्र को नहीं देना है उसकी निगेटिव रिपोर्ट दे दो। यह तो सांधा-सादा तरीका है। जिस प्रकार से इरिगेशन स्कीम्स में हम देखते हैं जिसको इकोनोमिकल करना हो तो उसका कमान्ड एरिया ज्यादा दिखा दिया जाता है। कौन माननीय सदस्य जायगा नापने। तो इस आधार पर इसमें इरिगेटेड लैण्ड ज्यादा है आमदनी ज्यादा होगी इसलिये उसको ले लिया जाता है। सुखाड़ियाजी ने इस तरह से उदयपुर डिवीजन की कितनी सिंचाई योजनायें जिनका रिटर्न ०.५ और ०.२ पोइन्ट तक है उनकी इकोनोमिकल रिपोर्ट दे कर के काम करवा लिया है। कहीं पर हो गया है इसके लिये मुझे गिला नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ५३-५४ में अलवर भरतपुर में लोड फेक्टर नहीं है यह कह कर उस स्कीम को इन्कार कर दिया गया। भाखरा से जो कनेक्ट होना था वह रुक गया। राणा प्रतापसागर से मन्जूर हो जायगा वह भी नहीं हुआ। आप उसका लिंक भाखरा से काट कर राणा प्रतापसागर से मिलाने की बात कर रहे हैं लेकिन अब जिस तरह की बात कि गान्धी सागर डेम से बिजली पैदा हुई है उसकी ट्रान्समिशन लाइन नहीं डाली गई है। तीसरी योजना में अलवर, राजगढ़, भरतपुर डाली जायगी ऐसा प्रावधान किया गया और इस सम्बन्ध में पिछली साल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विद्युत् मन्त्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिलाया था कि वर्किंग ऑफ एलोकेशन कर दिया गया है इसके बावजूद भी इसको ड्रॉप कर दिया गया। उत्तर मिला कि सर्वे हो रही है। पहले बताया गया था कि अजमेर से भीलवाड़ा १३२ के० वी० लाइन भीलवाड़ा से कनेक्ट कर रहे हैं, गांधी-सागर डेम से जयपुर—अलवर-भरतपुर लाइन को प्रायोरिटी के हिसाब से सैकण्ड नम्बर रखा था लेकिन अब वह प्रायोरिटी काट दी है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : कोई प्रायोरिटी नहीं काटी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो कार्यवाही कर रहे हैं सारा कोटा डिवीजन को हाइडल पॉवर से कनेक्ट कर दिया है, उदयपुर डिवीजन को सिवाय दो जिलों को छोड़कर हाईडल पॉवर से कनेक्ट कर दिया गया, जयपुर डिवीजन को हाइडल पॉवर मिल गया है, जोधपुर डिवीजन जो ज्योग्राफिकली दूरी पर है वहां पर थर्मल पॉवर से बिजली दी जाय, यह उनका हक है। लेकिन अलवर व भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स को हाइडल पॉवर नहीं। जोधपुर डिवीजन में एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन बढ़ाने के लिये थर्मल पॉवर की व्यवस्था करनी चाहिये। अलवर, भरतपुर जिसको पहले ऑफर हुआ उसको टाल दिया गया, गांधी-सागर से उसको नहीं दिया गया, भाखरा से नहीं दिया गया। राणा प्रतापसागर से मिलने की आशा नहीं क्योंकि उसके लिये ट्रान्समिशन लाइन डालनी थी वह डाली नहीं गई। अब यह कह दिया जायगा कि लोड फेक्टर ज्यादा है इसलिये एटेमिक पॉवर जब आएगी तब तक इन्तजार करिये। यह रोजमर्रा का षडयन्त्र हो रहा है। इस सम्बन्ध में जब मेरी चीफ मिनिस्टर से बात-चीत हुई वे कहने लगे, भाई क्या करूं? राणा प्रतापसागर पर इतना लोड फेक्टर आ गया है कि उससे मीट नहीं कर सकते। अब यह होगा कि यह बता दिया जायगा. अलवर और भरतपुर में लोड फेक्टर नहीं है। आप खुद अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि जहां हम बिजली देते हैं वहां अपने आप में लोड फेक्टर क्रिएट हो जाता है। आपने हमारे यहां के टेक्सटाइल मिल के स्पीन्डलस दूसरों को दे दिये। आप हमें सस्ती बिजली नहीं दे सकते। टेक्सटाइल मिल हमारे यहां नहीं लगेगा। हमारे यहां का इन्डस्ट्रियल एरिया कैन्सिल हो गया। आखिर. हमारी भी हद् है सन्तोष की। हमें सतलज और व्यास का पानी नहीं, चम्बल का पानी नहीं। हमें इस बात की गिला नहीं कि आप दूसरी जगह नहरों से पानी दे रहे हैं हमने कभी गुरेज नहीं किया। राजस्थान नहर आप बनाते हैं हमें खुशी होती है। जो चीज हमारे हक की है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक जो चीजें हमें मिलनी थी उससे आप बैंक आउट कर यह चीज उचित नहीं। इसके रिपरकशन्स होते हैं हमारे दिमाग पर। आपके साथियों के दिमाग पर भी होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो कन्ज्यूमर्स के प्रति दृष्टिकोण है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस दृष्टिकोण में थोड़े चेन्ज की आवश्यकता है। कुछ तो प्रोसीजर के कारण और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज़ के कारण क्रिएट होती हैं जिसके जरिये आपके छोटे ऑफिसर-कर्मचारियों को करप्शन करने का मौका मिलता है।

अभी बहरोड़ से आने वाले मेरे मित्र ने उस ओर इशारा किया था। माननीय मंत्रीजी को भी मैंने एक बार स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज दी थीं। ए० ई० एन० माथुर के बारे में स्पेसिफिक इन्स्टान्स भी दी थी। जिससे साफ जाहिर होता था कि आउट ऑफ दी वे जाकर उसने काम किया है। यह खुली बात है। आप अपने कांग्रेसी सदस्यों से प्राइवेसी में पूछ लें। यह एक आम खुली बात है कि कोई कनेक्शन बगैर रिश्वत के ए. ई. एन. महोदय नहीं देते। वे ठेकेदारों से मिले हुए हैं। उनकी मार्फत पैसा लेते हैं, रिश्वतें लेते हैं।

इसमें तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप कुछ तब्दीली कीजिये। आखिर एक एग्रीकल्चरिस्ट को मजबूर क्यों करते हैं कि वह कॉन्ट्रेक्टर के साथ बंध जावें। फॉर्म भरवा कर दें। जब मजदूर आप करते हैं तो ठेकेदार पैसा ज्यादा मांगता है। आप सीधा कर दीजिये कि मर्जी आवे उस कॉन्ट्रेक्टर से कराओ। इससे ए० ई० एन० का गुट्ट टूट सकता है।

दूसरा आपने एक डिस्ट्रिब्यूशन के लिये एडवाइजरी कमेटी का सजेशन दिया। उसका मैं भी समर्थन करता हूं। इस तरह की कमेटियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप बना दीजिये और कम से कम जिस तरीके का आप प्रावधान रखते हैं उसमें प्रायोरिटी किस तरह से तय होगी इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाना चाहिये ताकि ए० ई० एन० अपनी मर्जी से अपना डिस्क्रीशन यूज़ करके रिश्वत-खोरी न चला सके। आज तो यह होता है कि यह स्कीम है और इसमें फलां फलां गांव है उसमें लाइन जाना तय होता है। हमें दूसरे गांव वाले कहते हैं कि हमारे यहां लाइन आनी चाहिये। हम कहते हैं स्कीम तो इस तरह से है, आपके यहां इस साल कैसे आ सकती है। तो गांव वाले हमें जवाब देते है कि एम० एल० ए० साहब आप तो बैठे रहो, हम ले आते हैं आप देखते रहो। हम ए० ई० एन० साहब से करवा लेंगे। और सदन को जान कर आश्चर्य होगा कि वास्तव में उन्होंने करवा लिया। तो इस तरह का अधिकार आप इनको न दें। इससे रिश्वत-खोरी की वृत्ति बढ़ती है। भ्रष्टाचार पनपता है।

आप एडवाइजरी कमेटी बनाइये और उसके जरिये ये जो प्रायोरिटीज़ हैं वे तय होनी चाहिये।

एक बात और नोटिस में लाना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक प्रावधान किया २५० और ५०० जमा कराने का फ्लेट रेट के सिस्टम पर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि बावजूद आपके इस प्रावधान के और सक्यूंलर के, अलवर जिले के अन्दर यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पैसा भी वसूल हो रहा है और जो एक्चुअल लाइन डालने में पैसा लगता है उससे ओवर एण्ड एबव किसान से, जैसा पहले वसूल होता था, वह अब भी वसूल किया जा रहा है।

मैं समझता हूं यह आपका इन्टेन्शन नहीं था। तो इसकी आप जांच करवा कर जिनसे वसूल कर लिया गया है उनको रिफण्ड कराइये। अभी दस दिन पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टर सेबात की थी, तो ये दोनों तरह की रकमें आप अब भी बराबर ले रहे हैं कितने ही किसानों से।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो यह नीति है कि आप किसानों से यह पैसा और वसूल करें यह न्यायोचित नहीं है। एक तरफ आप ख्याल करिये कि प्राइवेट इन्डस्ट्री वाले को आप कन्सेशनल रेट पर घाटा खा कर बिजली देते हैं जिनको उन फैक्ट्रियों से फायदा भी अधिक होता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन जहां किसान का मामला लोगों के फूड से सम्बन्धित है, लाखों-करोड़ों लोगों का जिससे सम्बन्ध रहता है, जिसका लाभ लाखों करोड़ों को मिलता है, जो इकानामिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखता है वहां आप कन्सेशन देने की बात नहीं सोचना चाहते। आप सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको सारे इम्पलीमेंट्स भी दीजिए। पम्पिंग सैट दीजिये, सारी सहूलियतें दीजिये; यह सब करना चाहिये आपको। पर यह सब करना तो अलग रहा बल्कि उनके रास्ते में इम्पेडीमेंट खड़ा करना चाहते हैं। आपको २०० रुपयों से कितना पैसा मिलेगा ? आप लोन लीजिये या स्टेट गवर्नमेंट से मदद लीजिये। स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदद करे, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उनको मदद दे और इस खर्चे को मीट-आउट करें। लेकिन आप यह जो एडीशनल बर्डन किसान पर डालते हैं उसको हटावें। और किसान का उनके कुओं तक बिजली ले जाने का सारा खर्चा जो है डिस्ट्रिब्यूशन लाइन डालने का, वह बोर्ड को भुगतना चाहिये या सरकार को भुगतना चाहिये या एग्रीकल्चर विभाग को भुगतना चाहिये। आप १८ लाख रुपया सालाना डी.सी. एम. को बिजली देने से होने वाले घाटे को बर्दाश्त कर सकते हैं उसे भुगत सकते हैं पर इन किसानों से आप वसूल करना चाहते हैं। तो क्या आप इस तरह से इन किसानों से वसूली करके उस १८ लाख के घाटे को पूरा करना चाहते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना था। आपकी घंटी बार बार बजती देख कर इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(२.३३. म. प.)

प्राक्कलन समिति १९६५-६६ के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : एक घोषणा है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा की प्राक्कलन समिति

(श्री उपाध्यक्ष)

का ६५-६६ का चुनाव १८ अप्रेल को होने वाला था वह अब १५ अप्रेल, ६५ को होगा। उसी दिन मतदान प्रात: ११ बजे से अपरान्ह ३ बजे तक होगा और मत की गणना अपरान्ह ३ बजे के बाद से की जावेगी।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक १९६५-६६ पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मण्डल का बजट पेश हुआ है। यह सरकार पांच हजार की आबादी से ऊपर के कस्बों को बिजली देने में असमर्थ रही है। इस सरकार का निर्णय था कि तृतीय योजना के अन्त तक पांच हजार या इससे ऊपर की आबादी वाले कस्बों को बिजली पहुंचा देंगे पर अभी तक नहीं पहुंचा सके हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि बेंगू है। ७॥ हजार की आबादी है। वहां बिजली नहीं पहुंची। काफी अरसे से दो-चार बार सरकार के सामने भी मैं निवेदन कर चुका था और कई डेप्यूटेशन भी गये। अब मध्य प्रदेश से देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये ६० हजार रुपये का दस मील के लिये प्रावधान भी रखा गया है, पर इसके लिये आश्वासन चाहता हूं कि यह रुपया खर्च भी होगा या नहीं, क्योंकि पहले भी आपने ऐसा ही किया था। यह सरकार जहां चुनावों की बात आती है, वायदा कर लेती है और वोट लेने के बाद कुछ नहीं।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : वोट आप देते हो क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ये भी देते हैं।

श्री चौसरसिंह बाबेल : तो ऐसे कस्बों में जल्दी से जल्दी बिजली दी जावे ताकि किसान उसका फायदा उठा सके और कृषि में और खाद्यान्न के उत्पादन में तरक्की हो। पहली योजना में कृषि की तरक्की के लिये प्लान बनाया था, वह यों का यों रहा। दूसरी योजना में उद्योगों की तरक्की की बात थी, पर वह भी यों ही रही। तीसरी योजना जा रही है। लोगों में अनाज के लिये हाहाकार मचा हुआ है। तो किसानों को खेतों पर आप बिजली देंगे तो ज्यादा महत्व की बात होगी बजाय शहरों में देने के।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे तालाबों और कुओं से भरे इलाकों में आप बिजली दें; जैसे मांडलगढ़, बिजौलियां, झाफर का माला, ताकि अधिक अनाज पैदा हो।

इसी तरह से जहाजपुर में भी आसपास के गांवों में बिजली देने का वायदा किया है। आशा है आप जल्दी करेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकार कुओं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

के लिये किसानों को बिजली देने की नीति नहीं बनावेगी तब तक अनाज की समस्या हल नहीं होने वाली है।

सरकार फेक्ट्रियों को खूब बिजली देती है सस्ती दर पर घाटा खाकर देती है, जब कि उसका मुनाफा एक मुनाफाखोर व्यापारी को मिलता है। यदि किसानों को कुओं पर बिजली दें तो उससे अधिक अन्न पैदा होगा और देश की खाद्य की समस्या हल हो सकती है। अतः जो सरकार की आज गलत नीति है उसे ठीक करने की जरूरत है। इसलिये कुओं में बिजली जितनी जल्दी तथा सुविधा से और सस्ते में दी जा सकती है वहां बिजली पहले दी जावे। पहले ऐसा एरिया न लें कि जहां एक लाइन ले जाने में ही बहुत खर्चा बैठ जावे और उससे उतना लाभ भी न मिले और सारे साधन ही समाप्त हो जावें।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां साधन उपलब्ध हों वहां बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। मैं जमवा-रामगढ़ तहसील के बारे में निवेदन करूंगा कि बिजली की लाइन वहां पर उपलब्ध हो। वहां पर कुओं में बिजली नहीं देने के कारण से उत्पादन में कमी पड़ी है। वहां पर बिजली नहीं देना सरकार की समझदारी की कमी है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह वास्तविक कमी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : समझदारी की कमी है यही कह सकता हूं और तो क्या कहूं. क्योंकि वहां कम खर्चे से बिजली मिलती है. और सन् ६३ में आपने वहां बिजली देने की एक योजना बनाई लेकिन बिजली नहीं दी गई। एक दो गांव को दे दी गई। एक दो गांव को दे दी गई तो कह दिया गया कि हमने बिजली दे दी, बस उसी के लिए रोज सुनते हैं कि हमने बिजली दे दी। सरकार काम तो कम करती हैं और शोर ज्यादा करती हैं। शोर नहीं करके काम किया जाये तो अच्छा रहेगा। जहां जल्दी बिजली मिले और कम खर्च में मिले तो वहां बिजली देनी चाहिए। जमवा-रामगढ़ में आपने ६३ से अब तक बिजली नहीं दी, और उसके बावजूद वहां जो बंध बना हुआ है जिससे पहले सिंचाई होती थी उस सिंचाई को बन्द करके जयपुर को पानी दे दिया गया। सरकार ने वहां कोई नया बांध नहीं बनाया वह पहले का बांध बना हुआ है। उसको भी सिंचाई करने से रोक दिया गया और कुओं को भी बिजली नहीं दी गई। यह सरकार की कितनी बड़ी भूल है केवल आंसू पोंछने के लिए दस बीस कुओं को बिजली दे दी गई। पहले बांध से वहां कितनी सिंचाई होती थी और अब कितनी कम होती है, इससे कितना नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया? राज्य सहकार जमवा-रामगढ़ में बिजली नहीं दे पाई है इसलिए मैं सरकार से और मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र में इसी साल में योजना पूरी कर दी जाये तो उस क्षेत्र में काफी अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है और यह जो अनाज की समस्या है यह भी हल हो सकती है। मैं सिर्फ जमवा-रामगढ़ के लिए ही नहीं कहता बल्कि सारे राजस्थान के लिए जोर देकर

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

कहूंगा कि शहरों में बिजली कम देकर, फिजूल कामों में बिजली कम देकर कुओं में बिजली ज्यादा से ज्यादा दी जाये तो जो समस्या हमारी अनाज की चल रही है वह काफी कम हो सकती हैं और हमारे कृषि मंत्री जी जो झूठे आंकड़े सदन में दे देते हैं कि इतना उत्पादन हो गया यह गलत है। बिजली जब तक आप कुओं मे नहीं देंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और इस साल जो आप आशा करते हैं कि हम अन्न की समस्या को हल कर लेंगे, यह समस्या हल होने वाली नहीं है। अगली साल में और भी दिक्कतें आयेंगी, अगर सरकार की यह नीति रही तो। इससे आपको तो क्या गरीबों को नुकसान भुगतान पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में बिजली ज्यादा से ज्यादा दी जायं तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के लिए दी जायं। यदि संसार के दूसरे देशों को देखा जाय तो वहां कुओं में बिजली तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि द्वारा ही वहां उन्नति हुई है और जहां बिजली नहीं है उन्होंने कोई उन्नति नहीं की, जैसे कि हमारा राजस्थान इसलिए मैं सरकार से बार-बार दोहरा दोहरा कर निवेदन करता हूं गांव-गांव में हर कुऐ में बिजली उपलब्ध कराई जावे, ताकि खाद्य समस्या हल हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से हमारी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी और उसकी ओर जिस प्रकार से विद्युतिकरण राजस्थान का शुरू हुआ उससे कम से कम यह जरूर महसूस होता है कि राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के विद्युत् बोर्ड ने राजस्थान में प्रगति करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसमें कोई शक नही कि राजस्थान दूसरे राज्यों के बनीस्बत अभी भी बहुत पीछे है। मगर उसके कोई कारण हैं। राजस्थान जब से बना उसके पूर्व राजस्थान में किस प्रकार की हालत थी ? दूसरे राज्यों में पहले से ही विद्युतिकरण का काम चला आ रहा था। उनके मुकाबिले इस दृष्टिकोण से सोचें तब तो यह कहा जायेगा कि राजस्थान अभी बहुत पीछे है दूसरे राज्यों से। मगर जिस तरह से हमारे राज्य में काम हो रहा है-पहली पंचवर्षीय योजना में जितनी बस्तियां और कुओं पर बिजली पहुंची है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने गांवों में और बस्तियों में और कुओं में बिजली मिली है, उसी प्रकार से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें ३०३ बस्तियों और ६५० गावों और ३२०३ कुओं में बिजली मिल रही है उसके बावजूद भी हम यह महसूस करते हैं कि बिजली का काम राजस्थान में काफी तेजी से हो रहा है। बिजली एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा राजस्थान बहुत जल्दी ही प्रगति कर सकता है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले जितने भी भाषण हुए, हर माननीय सदस्य ने इस प्रकार की मांग की कि उनके क्षेत्रों में अधिक से अधिक बिजली मिले ताकि उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तेजी से विकास वह कर सकें इसी वजह से, क्योंकि आज के युग में पानी और बिजली दो, ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा वहां का प्रोडक्शन

(श्री `गरधारीलाल व्यास)

बढ़ सकता है और इन्डस्ट्रीज़ बढ़ सकती हैं। इस वजह से यह दोनों चीजें आवश्यक हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार से बिजली मिल रही है और जिस प्रकार से हर जिले में बिजली का बंटवारा किया है वह बंटवारा आपको इस दृष्टि से करना चाहिए ताकि हर जिला अच्छी तरह से विकास कर सके। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक भीलवाड़ा जिले का सवाल है आपने एक दो गांवों को छोड़कर भीलवाड़ा, शाहपुरा मांडल और तीन-चार कस्बे हैं जिनमें आपने बिजली दी है और उसके अलावा छोटे-छोटे गांव हैं, जहां ५ हजार की जनसंख्या है, और जैसा कि आपने प्रावधान किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५ हजार की जनसंख्या पर हम बिजली दे देंगे, मगर आसींद तहसील हैडक्वार्टर है जहां हर प्रकार की इन्डस्ट्रीज का प्रश्न है वहां कुए हैं और जहां २० रुपये बीघा तक का जमीन पर लगान है और वहां सैंकड़ों और हजारों कुए हैं. उस तहसील के अन्दर कॉटन पैकेज प्रोग्राम चल रहा है और सब तरह के खाद्यान्न बहुत अच्छे पैदा होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इलाके में आप बिजली नहीं दें तब तो कहना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रिब्यूशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि असींद की जनसंख्या ५ हजार से ऊपर है और ऐसे स्थान को आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली दे देनी चाहिये, मगर मैंने इस बजट को देखा तो आसींद का कहीं नाम नहीं है जब कि पिछले साल मंत्री महोदय और यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन दोनों के समक्ष इसके बारे में बात की थी और आपने कहा था कि १९६५-६६ में बिजली दे दी जायेगी और असींद के आसपास के इलाके को भी बिजली दे दी जायेगी। इस प्रकार का लास्ट ईयर कहा था मगर उसके बावजूद भी इस बजट के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आसींद को जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एग्रीकल्चर को जिस प्रकार से हम बिजली देना चाहते हैं उस बारे में मेरा निवेदन यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जितनी बिजली मिलनी चाहिये या जितनी प्राथमिकता आपके द्वारा देनी चाहिये उस प्रकार से प्राथमिकता नहीं दी गई है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया कि बिजली के बारे में एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज का जिस प्रकार से प्रपोर्शन है एग्रीकल्चर में १.६ से बिजली मिल रही है जब कि इन्डस्ट्री को किस प्रकार से बिजली दी जा रही है जब कि राजस्थान में सबसे मोटा धंधा खेती है, और सबसे ज्यादा लोगों का निर्वाह खेती से होता है, तो खेती को प्राथमिकता देकर जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली दे सके उसका आपको प्रबन्ध करना चाहिये, तभी जाकर हमारी पर कैपिटा और लोगों की आर्थिक हालत अच्छी तरह से हो सकेगी। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां तक विद्युत् मंडल के प्रश्न के बारे में है और उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जब

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से यह विद्युत बोर्ड बना है और जो राजस्थान गवर्नमेंट के पहले कर्मचारी थे और विद्युत के अन्दर काम करने वाले उन लोगों को तारीख १-७-५७ के जब कि विद्युत् बोर्ड के अन्दर लिया गया था तब यह प्रावधान किया गया था कि जिस प्रकार की फेसिलिटी राज्य सरकार ने दे रखी है अपने कर्मचारियों को उसी प्रकार की फेसिलिटीज़ विद्युत् बोर्ड देगा। मगर उस प्रकार की बात कतई नहीं हो पाई है। न तो सर्विस के बारे में नियम बना सकी है न किसी प्रकार का प्रावधान हुआ है जिससे कि इन कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है।

जहां तक पेन्शन का सवाल हैं, पेन्शन के बारे में अब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। जहां तक ग्रेचुइटी का सवाल है, ग्रेचुइटी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं हो पाया है, जो सर्विस के नियम बनाने चाहिये थे वह अभी तक नहीं बन पाये हैं।

इसी प्रकार से जो टेकनिकल कर्मचारी हैं और जो विद्युत् मंडल में काम करते हैं, रावत कमेटी के आधार पर जो कि बोर्ड ने बिठाई थी और जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और विद्युत मंडल के समक्ष प्रस्तुत हुई है उसके तहत में जितने कर्मचारी हैं उनकी ग्रेड्स रिवाइज्ड होनी चाहिये और नये ग्रेड्स में उनको फिक्स करना चाहिए जब कि इसके प्रतिकूल विद्युत् बोर्ड यह कर रहा है कि उनको जो पुराने पेस्केल में फिक्स किया गया है और उस पे स्केल में जो उनको पैसा मिला है वह पैसा वसूल कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पुराने पे स्केल में फिक्स किया है उसका पैसा वापिस ले रहे हैं और नये पे स्केल में फिक्स करने का सवाल कहीं उठाया हुआ था और रावत कमेटी ने जिस प्रकार का सुझाव दिया है उसको, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि मान-कर जितने भी टेक्निकल कर्मचारी हैं उनके पे स्केल्स हैं उनको रिवाइज्ड पे स्केल में परिवर्तन किया जाय और उन लोगों को इसका जितना फायदा मिले उतना फायदा देना चाहिये।

जितने भी ८-१० साल से आपके डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अभी तक आपने टेम्पोरेरी बना रखा है और बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको कि वार्षिक इन्क्रीमेंट नहीं दिया है और ८-१० साल से जो प्रोवीडेन्ट फण्ड कटता है और सब प्रकार की सुविधाओं का फायदा जो उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए था उस प्रकार की तमाम सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी वार्षिक इन्क्रीमेंट उन बेचारों को नहीं दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था इस बोर्ड ने कर रखी है। इस प्रकार का न तो राज्य सरकार ने किया है और न कोई डिपार्टमेंट ने किया है। जैसा कि आपने किया है उनका वार्षिक इन्क्रीमेंट रोक कर जो उनको पैसा मिलना चाहिए और जिस प्रकार वार्षिक इन्क्रीमेंट से प्रोवीडेन्ट फण्ड बढ़ता है और जो सुविधा मिलती है वे ज्यादा बढ़ती है तो वे सब बातें वार्षिक इन्क्रीमेंट रोक कर आपने बन्द कर रखी हैं।

इसी प्रकार से प्रोवीडेण्ट फण्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने कर्म-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चारी हैं जो जोधपुर राज्य के वक्त के चले आ रहे हैं, उनका पैसा इसके अन्दर कट गया मजदूरों का और कर्मचारियों को उनका पैसा अभी तक जमा नही हो रहा है। बहुत सी जगहों पर जो प्रोवीडेण्ड फण्ड का पैसा कटता है तो उनका पैसा जमा नहीं हुआ है। बहुत से इस प्रकार के कर्मचारी हैं जिनका ८ पर्सेन्ट जमा कराया हुआ है उनका सवा छः पर्सेन्ट ही पैसा जमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं जिनकी वाजिब बात आपके द्वारा प्रोवीडेण्ड फण्ड के अन्दर जमा हुआ है वह पैसा भी आप जमा नहीं कर रहे हैं और उस पैसे की भी उनको २-३-४ साल से रसीदें नहीं मिलती हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है जिसके कारण मजदूरों में बहुत बड़ा असन्तोष हो रहा है।

जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं उनकी पेन्शन किस आधार पर होनी चाहिए, उनकी ग्रेचुइटी का फाइनेलाइजेशन होनी चाहिए वह नहीं हो रहा है। इस प्रकार से उन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है....

श्री दलपतसिंह (आबू) : उसके लिए कॉमन लॉज हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कॉमन लाज कैरी आउट नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट में जो लॉ बनाये गये हैं वह अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं और कितनी ही ऐसी पोस्टें हैं जिनके ऊपर कर्मचारियों को फिक्स कर देना चाहिये मगर उनका फिक्सेशन नहीं किया गया है और वे यों के यों ही चल रहे हैं। बडे अधिकारियों का जहां तक सवाल है पोस्टें नहीं होते हुए भी नई पोस्टें क्रियेट की गई हैं और ऐसे कर्मचारियों को भर देते हैं। एक तरफ जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ में इस प्रकार का सवाल रहता है और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन्जीनियर्स वगैरह हैं उनको पोस्टें नहीं होते हुए भी तरह तरह की पोस्टें क्रियेट करके इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसी वजह से इसके मैनेजमेंट के अधिकारियों पर बोर्ड का जितना खर्चा होता है उसका एक चौथाई हिस्सा तो उसके बड़े बड़े अधिकारी ही ले लेते हैं और बकाया खर्चे में लाखों आदमी काम करते हैं उन पर खर्चा होता है। तो इसके ऊपर मैं माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और जितने भी कर्मचारी हैं जिनको फिक्स नहीं किया गया है, ग्रेड नहीं मिले हैं, पोस्ट्स क्रियेट नहीं हुई हैं, फिक्सेशन नहीं हुआ है, इस प्रकार के जो हैं उनके सामने जो कठिनाइयां आ रही है, जिनको कि पैसा नहीं मिल रहा है, फेटल एक्सीडेन्ट में मर जाते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इनकी व्यवस्था तुरन्त करवाई जानी चाहिए।

कर्मचारियों की वरिष्ठता और कार्यकुशलता को देखते हुए उनके प्रमोशन्स का सवाल है तो जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको जूनीयर इन्जीनि-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

यर्स तक बनाना चाहिए। जितनी उनकी कार्यकुशलता है या वरिष्ठता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोमोशन देना चाहिए। इसके बारे में भी जो है आज तक इस बोर्ड ने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। बहुत सी ऐसी बातें है जिनको कि हमारी जो यूनीयन है जिसको कि आपने रिकोग्नाइज़ कर रखा है उसके साथ में बहुत सी बातें की हैं और जो आपने निर्णय लिये है मगर उन निर्णयों को आपने आपके जो कॉमर्शियल ऑफिसर है उनके चले जाने की वजह से लागू नहीं किया है जिनको कि साल डेढ़ साल का अर्सा हो गया है।

साइकल एलाउन्स, बिना पैसे के मकान में रहने के बारे में, वार्षिक तरक्कियां रुकी हुई हैं। उनके बारे में, छुट्टियां नहीं भरी जाती है उनकी वजह से उनको छुट्टियों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार की बातों के लिए स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए।

दूसरी ओर हमारे यूनियन के कर्मचारियों और बोर्ड का आपस में जो व्यवहार चलता है जिस प्रकार के कर्मचारियों का आपस में निर्णय होता है वाद-विवाद के सम्बन्ध में स्टेंडिग आज्ञा बोर्ड की जल्दी से जल्दी नहीं आती है जिसकी वजह से कई तरह की कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। फेमिली पेन्शन जो मिलनी चाहिए फेटल एक्सीडेन्ट में मर जाने पर और जिनके बाल-बच्चे छोटे छोटे रह जाते हैं, उन लोगों को पेन्शन जिस प्रकार से मिलनी चाहिए वह पेन्शन नहीं मिल रही है। मेरा खास तौर से निवेदन करना यह है कि इस प्रकार से फेमिली पेन्शन्स जो सर्विस में रहते हुए एक्सीडेन्ट की वजह से मर गये हैं उन लोगों को पेन्शन जल्दी दी जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि रतनगढ़-जयपुर की जिस लाइन पर जिन कर्मचारियों ने काम इतने थोड़े समय में पूरा कर दिया जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बड़े गर्व के साथ में थोड़े दिन पहले एनाउन्स किया था कि थोड़े से समय में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लाइन खड़ी कर दी है तो लाइन को खड़े करने में जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनको इनाम देना तो दूर रहा उनको शाबाशी तक नहीं दी गई है। इसलिए मेरा यह निवेदन है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : शाबाशी तो दे दी थी हाउस में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने काम करके, रात-दिन मेहनत करके काम किया है उनको तरक्की दी जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : शाबाशी हाउस में दी गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसका ताल्लुक है इसलिए

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनसे कहना चाहता हूं। आपसे नहीं कह रहा हूं।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिन कर्मचारियों ने इस तरह से रात-दिन मेहनत करके जो आपकी पॉवर कट हो गई थी जिसको वचाने के लिए और देश का विकास नहीं रुके, उस बारे में जो काम किया है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने चाहे जो कुछ काम किया है उतना उनको बेनिफिट दिया जाय।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष....

श्री दलपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि राजस्थान १९५७ के अन्दर क्या प्रगति कर रहा है या जो प्रगति की है...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आगे बोलिये...

श्री दलपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहां पर किस तरह से प्रगति की है, आज से १९५७ से जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से क्या प्रगति की है, ये आंकड़े तो मैं पूरे विवरण के साथ पेश नहीं कर सकता लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है अपने सामने कि राजस्थान के अन्दर

(३०० म. प.)

जो हमारे पास पहले बिजली की कैपेसिटी थी इन ६-७ सालों में इसमें कोई शक नहीं कि कैपेसिटी बढ़ी है। चाहे स्टाफ के बारे में कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में कई चीजें चलती हैं कैसे चलती हैं मुझे पता नहीं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिजली की कैपेसिटी बढ़ी है इसके लिये मैं बोर्ड को कांग्रेचुलेशन्स दूंगा कि अच्छे प्रबन्ध के कारण स्थिति पहले से सुधरी है इसमें शक नहीं कि राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन को देखते हुए मैसोर स्टेट, महाराष्ट्र और यू० पी० के स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो राजस्थान उनसे बहुत बेकवार्ड है। आपने देखा होगा कि मैसोर में दो प्लान्ट्स तैयार हो रहे हैं जो एशिया में बेस्ट होंगे एक और प्लान्ट बन रहा है, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र को बिजली मिलेगी। तारापुर और सतपुड़ा से ३०० मेघावाट बिजली मिलेगी उनको न देखकर भी यह कह सकते हैं कि राजस्थान ने भी प्रगति की है चाहे भाखरा से लाम्रो चाहे चंबल से लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिजली में हमने प्रगति की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेट में नहीं जाकर जैसे कहा कि पुराने वक्त के कई कर्मचारियों को ग्रेड नहीं मिल रहा है, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप रखा गया है, इन सब बातों के बारे में तो बहुत कुछ कह दिया गया है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि राजस्थान में आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत कम तरक्की हो पाई है। रूरल सेक्टर में कितने लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनकी परसेन्टेज देखें तो आज जैसा जनसंघ के नेता ने फरमाया एग्रीकल्चर सेक्टर में कम

(श्री दलपतसिंह)

से कम ३ हजार कुओं पर पंपिंग सेट देने में सक्सेसफुल हो सके हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारी पोपुलेशन है जितना हमने कन्ट्रिब्यूट किया है, रूरल सेक्टर के लोगों ने उसको देखते हुए हमें बहुत कम बिजली रूरल एरिया में दी जा रही है। कोटा में औद्योगिक क्षेत्र बन गया, लॉस में जाकर भी डी. सी. एम. को पता नहीं किस आधार पर बिजली दी है, ३ पैसा पर युनिट की सस्ती रेट पर दी है। जैसे आप उद्योगों की प्रगति करना चाहते हैं वैसे ही मैं चाहूंगा कि राजस्थान के एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी प्रगति करें। राजस्थान एग्रीकल्चर में बहुत बेकवर्ड है, आज कोटा में इन्डस्ट्रियेलिस्ट की जिस तरह से तरक्की हो रही है उसी तरह से रूरल सेक्टर के एग्रीकल्चरिस्ट की भी करें। करोड़पतियों को आप सस्ते दाम पर बिजली देते हैं, अगर समाजवाद का नारा लगाते हैं तो रूरल सेक्टर में भी बिजली दीजिये इससे भी पर कैपिटा इन्कम बढ़ेगी और इन्डस्ट्रीज के साथ एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ सकेगा। आज एग्रीकल्चर के लिये पॉवर नहीं मिलने से बहुत दिक्कत आ रही हैं। कुछ प्रगतिशील काश्तकारों ने डिज़ल सेट्स अपने फार्म्स पर लगाये हैं, उन पर भी टैक्स लगाया है। हमारे यहां पैकेज प्रोग्राम ब्लॉक्स में चल रहे हैं उसके द्वारा केवल ५ प्रतिशत काश्तकारों ने कुछ तरक्की की है, लेकिन यदि वहां पर पॉवर आ जाती और ब्लोक्स के द्वारा अच्छे फर्टिलाइजर्स, सीड वगैरह देकर, जैसा देते हैं उसी तरह से दिया जाता तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस परसेन्टेज में काफी ज्यादा उन्नति होती। मैं दूसरे क्षेत्रों के क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता। आबू क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां पर जो पहले पॉवर सप्लाई की दशा थी वही आज है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो भूमिका तक ही आया हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : अब मूल विषय पर आ जावें।

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के अन्दर देखता हूं कि ६-७ साल पहले वहां पर जो पोजीशन थी वही आज है। माउन्ट आबू और आबू रोड में सन् ४७ में जो थरमल पॉवर के इंजन चल रहे थे और जो उस समय सप्लाई थी वही सप्लाई आज भी है और आज मेरा ख्याल है कि कोटा में चाहे ३ पैसा यूनिट घाटा खाकर भी औद्योगिक क्षेत्र में देते हैं, जयपुर में आपने लास्ट ईयर यह भी तय किया था कि राजस्थान में ६ आना यूनिट से ज्यादा दर पर बिजली नहीं देंगे कम ही पर देंगे लेकिन माउन्ट आबू पर आज भी १० आना ११ आना यूनिट पर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र में कब प्रगति करेंगे। आपने देखा होगा कि आदिवासी माउन्ट आबू के क्षेत्र में रहते हैं। १५००० करीब लोग वहां रहते हैं। बिफोर लास्ट ईयर श्री कान्त की रिपोर्ट पर बहस करते हुए कई बातें सोची गई थी, यह भी कहा गया था कि आदिवासियों को जमीन पर प्रीफरेन्स देंगे इससे उनका स्तर सुधरेगा लेकिन मैं इसको प्रिफरेन्स नहीं देता हूं कि

(श्री दलपतसिंह)

जमीन ही ऐसी चीज है उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। मैं मानूंगा कि जब तक पॉवर सप्लाई नहीं होगी तब तक आदिवासी क्षेत्र की उन्नति नहीं होगी और इनको एम्प्लोयमेन्ट नहीं मिलेगा। वहां का जियोलोजिकल सरवे किया गया था और मेंटल फैक्ट्री खुलने वाली थी, अगर वहां पर पॉवर सप्लाई होगी तो २००० आदमियों को एम्पलोयमेन्ट मिल सकती है कागज का कारखाना २ साल से बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में पानी, जमीन और पॉवर; ये तीन फंडामेन्टल आवश्यक चीजें हैं। इन तीनों में से अगर पॉवर में कमी होगी तो औद्योगिक तरक्की नहीं हो सकेगी। सीमेंट का कारखाना खोलने की कार्यवाही चल रही है। यदि वहां पर ये तीनों कारखाने हुए तो आदिवासियों की जो आज पोशज़ीन यह है कि हैड लोड से वे एक रुपया या बारह आना रोज कमा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं इसके बजाय उनको एम्प्लोयमेन्ट मिलेगा और इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, वर्ना इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती।

अब मैं दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में प्रकृति के प्रकोप का भी मुकाबला करना पड़ेगा। अभी ओले पड़ गये। सिरोही और जालौर से रिपोर्ट आई है कि ओलों के कारण दो बच्चे मर गये। ऐसी स्थिति में कौल साहब की तारीफ नहीं की जा सकती, कौल साहब ने सरचार्ज क्रूड ऑयल पर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है और जितनी औसत आंकते हैं उससे दुगुनी, तिगुनी या चौगुनी कीमत बैठती है, हालांकि प्रकृति के प्रकोप का कोई इलाज आपके पास नहीं है...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): किससे कह रहे हैं? मन्त्रीजी तो चले गये।

श्री दलपतसिंह: मैं आपको जवाब देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष: जवाब की आवश्यकता नहीं है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर करके पूछें तो जवाब की आवश्यकता होती है।

श्री दलपतसिंह: प्रकृति के प्रकोप के कारण काश्तकारों की जो हालत होती है....

श्री जोधसिंह चौहान: आपकी बात सुनने के लिये कोई है ही नहीं।

श्री दलपतसिंह: He is there.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, आज काश्तकारों की जो स्थिति है उसकी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रकृति के प्रकोप को रोक नहीं सकते। नेचुरल केलेमिटीज़ और डिज़ीजेज ज्यादा फैल रही हैं। जलवायु की कंडीशन इतनी खराब हो रही है कि १५ दिन या महीने भर पहले जो विंड नहीं चलनी चाहिये थी वह चली उससे गेहूं की ईल्ड पर फर्क पड़ा। अर्बन क्षेत्र पर अगर थोड़ा सा भी असर पड़े तो हाहाकार मच जाता है। ज्वालाजी कह रहे थे कि भाव बढ़ रहे हैं लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि काश्तकारों की क्या हालत है। वे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं।

(श्री दलपतसिंह)

गेहूं की फसल ५० परसेन्ट खराब हो गई है ऐसी परिस्थिति में यदि गांवों के कूओं पर पॉवर दिया होता तो जो कुछ उनको इकोनोमिकल रिलीफ मिल रही है उससे उनको फायदा होता । केपिटल इन्वेस्टमेंट की आज परिस्थिति यह है कि आजकल जो मशीनें आती हैं वे इतने बेकार मेटल की बनी हुई होती हैं, एक आदमी ने रेस्टन मशीन ली थी उसका हैड एक हो जाने से उसको २००० का लोस हो गया । पॉवर सप्लाई के बिना काश्तकारों की हालत खराब है । जब इसके लिये कहते हैं तो जवाब मिलता है प्लान पर खर्चा करते हैं । लेकिन मैं कहूंगा कि रूरल एरिया की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये । रूरल सेक्टर में बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचा कर काश्तकारों को लाभ पहुंचायेंगे तो उनकी हालत बदल जायगी ।

एक साल पहले आपने पालिसी निर्धारित की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । तो कम से कम पहले यह था कि अरबन सेक्टर में जहां पांच हजार की पॉपूलेशन हो वहां पर पॉवर मिलनी चाहिए । आज यह नीति है रूरल सेक्टर में, जहां सोर्स ऑफ इर्रिगेशन कुए हैं, जहां से कूओं से पानी लेते हैं वहां पर पॉवर सप्लाई करेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पॉलिसी कागजों में नहीं रहनी चाहिए और यह कार्यान्वित होनी चाहिए । और एरियाज में पॉवर सप्लाई डेढ़ साल से चल रही है, एक साल से चल रही है लेकिन आबू और और आबूरोड में देते नहीं हैं तो वहां पर हाइड्रो पॉवर कब आयेगी, यह नहीं कह सकते । थर्मल पॉवर की जो योजना थी वह बनी थी अंग्रेजों के टाइम में, लेकिन आज भी वह योजना में चल रही है । इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर की अच्छी सम्भावना होने के कारण आप पॉवर सप्लाई करेंगे । अन्त में मैं मांग करूंगा कि वहां पॉवर जल्दी से जल्दी पहुंचा दें और काश्तकारों को बिजली सप्लाई करा दें ।

श्री जोधसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): नाम भूल गये ।

श्री जोधसिंह चौहान : नाम नहीं भूले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड के बजट पर चर्चा हो रही है । बिजली को हमें एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहिए, अगर इस तरह देखें तो अत्युत्तम होगा । लेकिन दुःख की बात है कि ऐसी जो समस्या है जिससे राजस्थान के अन्दर अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ऐसी महत्वपूर्ण समस्या को, ऐसी राष्ट्रीय समस्या को राज्य सरकार को जितनी जिम्मेदारी से लेना चाहिए था, जितनी गम्भीरता के साथ उसमें प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है । उसमें भी राजनैतिक हितों को देखा

Page No 92

श्री जयनारायण सालोदिया)

जाता है, उसमें भी राजनैतिक स्टन्ट चलते हैं और उसी की वजह से है कि जितनी बिजली का उत्पादन, जितनी बिजली की पैदावार हम राजस्थान में करते हैं या राजस्थान में ला पाते हैं उसको हम उत्पादन बढाने में सही तौर पर काम में नहीं लाते हैं। इसका कारण एक ही है कि राज्य सरकार की या बिजली बोर्ड की जो नीतियां हैं वह साफ तौर पर ईमानदारी से ताल्लुक नहीं रखती हैं। जहां भी बिजली दी जाती है वहां बिजली काम के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, राष्ट्रीय समस्या के आधार पर, उपज को बढ़ाने के आधार पर नहीं दी जाकर अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी को मजबूत बनाने की दृष्टि से, कांग्रेस को किस तरह मजबूत बनाया जाय इस दृष्टि से बिजली का वितरण किया जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजली की समस्या को जो राष्ट्रीय समस्या है: दलगत नीति के आधार पर देखेंगे तो इससे राजस्थान का उत्थान कभी नहीं होगा....

श्री दलपतसिंह : मेरे एरिया में भी बिजली नहीं पहुंची है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके यहां भी कई दल हैं। आप किस दल को स्वीकार करते हैं यह मालूम होना चाहिए।

श्री दलपतसिंह : मैं सब ग्रुपिज्म से ऊपर हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके कुओं को बिजली देने में आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, उससे हमारी दो बातें हल हो सकेंगी-एक तो काश्तकार अपनी जमीन पर ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे और दूसरे बिजली के द्वारा हमारे यहां काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी। एक तरफ तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरी तरफ जो हमारे सामने अन्न की समस्या है, जो समस्या लाइलाज होती जा रही है उस पर भी इसका बहुत कुछ असर पड़ेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि वह अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करके इस तरह की योजना बनाने की कृपा करे जिससे काश्तकारों के कूओं पर ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंच सके।

मुझे इन्डस्ट्रीज़ के लिए बिजली दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि इन्डस्ट्रीज को बिजली उसी हालत में दी जानी चाहिए जब सरकार के पास कूओं को बिजली देने के बाद में बिजली बच जाय। ऐसी हालत में इन्डस्ट्रीज को बिजली देनी चाहिए और इन्डस्ट्रीज को दूसरा स्थान देना चाहिए क्योंकि हमारी प्रारम्भिक समस्या अन्न की है। यह जो हमारे ८५ पर्सेंट लोग किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं उनकी जो समस्या है कि उनकी जमीन में किस तरह ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजे-यह अन्न अधिक पैदा करने की समस्या है इसको हल करना हमारे लिए प्राथमिक कर्त्तव्य होना चाहिए। और जो कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

महसूस करती है उस सरकार का यह प्रारम्भिक फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा इस पर्पज़ के लिए वह इन लोगों को बिजली का हिस्सा दे जिससे कि हमारी अन्न की समस्या हल हो। मैं इस सम्बन्ध में जो मेरे क्षेत्र से दर्ख्वास्तें पंचायतों के द्वारा, पंचायत समितियों के द्वारा राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी हैं और उसमें से कई पंचायत के क्षेत्रों में तो राज्य सरकार के द्वारा पैसा लिया गया है किसानों से लेकिन इतना अर्सा साल डेढ़ साल का बीच में गुजर गया लेकिन आज तक उन किसानों के खेतों के लिए बिजली नहीं दी गई हैं। उस एरिया में जिस जगह के लिए सरकार यह महसूस करती है कि अमुक अमुक स्थानों पर बिजली देने में हमें सहूलियत होगी, तो उस सुरत में वहां के किसानों ने दर्ख्वास्तें दी हैं, पंचायत ने अपनी सिफारिश के साथ में पंचायत समिति में भेजी है और पंचायत समिति ने रिज़ोल्यूशन करके राजस्थान सरकार के पास भेजी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा एक गांव नहीं, बल्कि कई गांव हो सकते हैं, कई पंचायत के क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन मैं खास खास पंचायत क्षेत्र के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षिक करने के लिए बतलाना चाहता हूं।

हमारे यहां गये साल एक गांव पड़े पंचायत को बिजली मिली, पड़े पंचायत के एक गांव, अलमाबाद गांव, जो वहां से मील, डेढ़ मील दूर है, के लोगों ने दर्ख्वास्तें दी थीं हीं, सरकार के पास उसका रुपया जमा हो गया। और इसमें यह खूबी की बात है कि वहां पर लाइन डालने के लिए पोल्स डाल दिये गये। लेकिन कुछ समय के बाद में वह पोल्स उखड़ रहे हैं। वहां पर आज तक लाइन नहीं डाली है और पोल्स वापिस उखड़ रहे हैं। यह सरकार की प्रगति का नमूना है और सरकार के अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफलता का नमूना है। इसके अलावा कई कस्बे हैं, सरसी, जनदगड़ा खेलदबड़ा-इस तरह के कस्बे है जहां के लोगों ने आपको यह दर्ख्वास्तें दी हैं और वह दर्ख्वास्तें पंचायत समितियों की मार्फत आपके पास आई हैं, लेकिन उन दर्ख्वास्तों पर; जहां तक मेरा ख्याल है, आज भी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि एक छोटे एरिया के लोगों ने यदि इस प्रकार की मांग की है और पंचायत समिति ने उस पर सिफारिश की है, वहां से जो आपको पैसा लेना है वह देने के लिए तैयार हूं, तो वहां पर इस प्रकार बिजली देकर किसानों को उत्साहित करने को, या अनाज की समस्या को इस तरह हल करने की बात को मद्दे नजर नहीं रखते हैं। फिर राजस्थान में तो आपका जो बिजली वितरण करने का ढंग है वह स्पष्ट सामने है

(३.२० म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

इस बिजली के सम्बन्ध में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है, जब तक हम बिजली के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में एडवाइजरी कमेटी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं बनायेंगे, क्योंकि वह एडवाइज़री कमेटी ऐसी कमेटी होगी जो वहां की सारी हालात को मद्दे नजर रखते हुए विचार करेगी. उसमें वहां के स्थानीय लोग भी होंगे, उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। वे लोग जानते हैं कि उस एरिया में किस तरह की क्या आवश्यकता है। किसी भी गांव को किसी पंचायत को बिजली देने के मामले में प्राथमिकता होनी चाहिये। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि एडवाइज़री कमेटी का प्रावधान है इसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये। जिला स्तर पर एडवाइज़री कमेटी की नियुक्ति होनी चाहिये और उसी के द्वारा सारी बिजली का पूरे जिले में वितरण करना चाहिये।

यह अनिवार्य पेमेन्ट बिल के लिये जो कानून बनाया है उसका भी मैं विरोध करता हूं। आपने २॥) रु० देना हर व्यक्ति को, जो बिजली लेता है अनिवार्य रखा है, चाहे वह आठ आने की बिजली ही खर्च करेगा; फिर भी उसको २॥) रु० देने ही होंगे। समझ में नहीं आता कि यह आपका कौनसा कानून है? या तो यह होना चाहिये कि जिस प्रकार आपने २॥) रु० का कम से कम पेमेन्ट रखा है तो आगे आपको यह अनिवार्य कर देना चाहिये कि ५) रु० तक बिजली कन्ज़्यूमर खर्च कर सकता है, उसके लिये उसको फायदा दिया जावेगा। मगर यह बात नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक आप कन्ज़्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें नहीं देंगे तो वे लोग आपके कन्ज़्यूमर नहीं बनेंगे और जब वे कन्ज़्यूमर नहीं बनेंगे तो यह आपका धन्धा खतम हो जावेगा। इसलिये आपको दूकानदार की तरह से इसको लेना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और बिजली बोर्ड, बिजली मिनिस्टर और चैयरमैन; सब का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि २॥) रु० आपने अनिवार्य पेमेन्ट बिजली के बिल के लिये रखा है चाहे मीटर बन्द ही रहें तो भी २॥) रु० उसको जमा कराना पड़ेगा। इसके लिये जो तरह तरह की बातें मेरे ध्यान में आई हैं, इसका मैं घोर विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ बिजली का बिल दिया जाता है। बिजली शहर में रहने वाले सारे लोगों से संबन्धित मामला है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके लिये मैंने एक साल पहले पोइन्ट उठाया था कि बिजली के बिल हिन्दी में होने चाहिये। उसका उत्तर दिया गया था कि बिजली बोर्ड की बैठक हो रही है और उसमें इस पर विचार किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी की पोलिसी तो अंग्रेजी की है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके कामराज की पोलिसी भी हिन्दी की नहीं अंग्रेजी की है। तो मैं यह कह रहा था कि बिल हिन्दी में नहीं होने से लोगों को फायदा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं होता है। आम जनता पढ़ी लिखी नहीं होने से उनको बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये आपको चाहिये कि आप हिन्दी में बिल भेजें ताकि आम जनता इस बात को पहिचान सके कि मेरा बिल कौनसे महीने का है। आपके यहां तो कामराज कहते हैं वही होता है। आपके कामराज कहते हैं कि अगर हिन्दी में कागज आए तो फाड़ कर फेंक दो। इतना तो हमारे यहां पर नहीं है।

सभापति महोदया, जैसा मैंने बिलों के बारे में निवेदन किया है, मैंने देखा है लोग क्यू में खड़े रहते हैं और पूछते रहते हैं कि यह कौनसे महीने का बिल है। फलां महीने का तो मैंने जमा करा दिया। कौनसे महीने का है? जब मैं यह सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुःख होता है, क्योंकि लोग जनता में बिना पढ़े ज्यादा हैं। और यह बिजली का बिल जनता से संबन्धित है। इसलिये इस बिल के सारे कोलम्स और सारा प्रोफॉर्मा आदि हिन्दी में होने चाहिये ताकि आम लोग अच्छी तरह से जान सके कि कितनी कितनी बिजली कन्ज्यूम हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह की बात आप कर सकते तो जनता के साथ सहायता होगी। इसके अलावा बिल भी दो बार आ जाते है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

एक बिल आपके यहां से दिया जाता है वही बिल दूसरे और तीसरे महीने में आ जाता है। मैं धामाइजी की हवेली में १२ नम्बर में रहता हूं; हर महीने बिल भेजते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जुझारसिंह (चेचट): सभापति महोदया, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के संबन्ध से जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं....

श्रीमती सभानेत्री: मैं आपसे निवेदन करूंगी कि चार बजे सरकार की तरफ से जवाब दिया जावेगा और अभी तीन-चार सदस्य और बोलेंगे, इसलिये आप संक्षेप में ही बोलें।

श्री जुझारसिंह: बहस को सुन कर मेरे को अंग्रेजी का एक पोवर्ब याद आता है उसमें यह बताया गया है कि: two men looked to the prison bar- one saw mud and the other star. जो प्रगति राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों में की है उसके बावजूद भी माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बताया है कि कोई प्रगति नहीं हुई और बहुत सी बुराइयों को एग्जेग्जरेट करके बताने की कोशिश की है और जो इस विभाग के एचीवमेंट हैं उनको कम बताने की कोशिश की है। मैं राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के एचीवमेंट हैं उनके लिये माननीय विद्युत मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि किस तरह से राजस्थान में जो अंकों से बताया गया

(श्री जुझारसिंह)

है कि पहले से ज्यादा जगह पर इलेक्ट्रीफिकेशन का प्रबन्ध किया गया है। इतनी बड़ी बात को भुलाने की कोशिश करें तो यह बड़े खेद की बात होगी। मैं सब बातों को कह कर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी कान्सटीट्युएन्सी के संबन्ध में जो बाते हैं उनके बारे में ही कहूंगा। राजस्थान में, जैसा मैंने निवेदन किया कि पिछले तीन वर्षों में बहुत ज्यादा बिजली के मामले में प्रगति हुई है।

इसके साथ साथ लोगों की रूरल एरिया में बिजली के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की इच्छा भी बढ़ी है और इससे बिजली की मांग बढ़ी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस रफ्तार से बिजली की मांग बढ़ी है, उस रफ्तार से बिजली रूरल एरियाज को नहीं मिली है। सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३०३ गांवों को इलेक्ट्रीफाई करने का प्रोग्राम था। इससे तीन गुणा ज्यादा गांवों को सरकार ने इलेक्ट्रीफाई किया है उस दिशा में तो ठीक है. लेकिन मैं संबन्धित अधिकारियों से इतना निवेदन करूंगा कि रूरल एरिया के लोगों की मांग को देखते हुए ज्यादा फन्ड देने की आवश्यकता है। जिन गांवों में इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है और उससे जिस तरह का प्रोडक्शन बढ़ा है और राज की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है वे दोनों अनसेटिस्फेक्टरी है। आज हमारे सामने खाद्य की बहुत बड़ी समस्या है इसको दूर करने के लिये इलेक्ट्रीफिकेशन के लिये ज्यादा प्रावधान रहना चाहिये।

कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री के० एल० राव भी यहां आए हुए थे और उन्होंने यह मन्जूर किया था कि राजस्थान की जिस तरह की ज्योग्राफी है और जिस तरह की समस्याएं हैं, यहां देहाती विद्युतीकरण के लिए काफी गुंजाइश है और जितनी बिजली राजस्थान पैदा करता है उसके अनुपात में केवल पांच प्रतिशत विद्युत् देहाती क्षेत्रों को मिलती है। तो जहां पर ८५ प्रतिशत आदमी रहते हों उसके अनुपात में, केन्द्रीय मंत्री के शब्दों में, पांच प्रतिशत बिजली का कोटा देहाती क्षेत्रों को मिलता हो तो उसमें सरकार के ध्यान देने की जरूरत है कि देहाती क्षेत्रों को प्रोपोर्शनेट रेट में कम से कम ८५ प्रतिशत कोटा देना चाहिए।

इसी तरह से विद्युत् मंडल ने एग्री किया है कि पांच पांच हजार की आबादी से ऊपर वाले कस्बों को बिजली देंगे उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन्स गांवों से गुजरती होंगी, उन गांवों को देंगे और जो गांव ट्रांसमिशन लाइन्स से तीन-चार मील के डिस्टेंस में होंगे, अगर लोड फैक्टर जस्टीफाई करता हो तो उनको भी देंगे। ये जो मोटे सिद्धांत हैं उनके बारे में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली की लाइन्स हैं या वे गांव जो बिल्कुल लाइन पर हैं उनकी तरफ से मांग है, वहां कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है जो प्रोग्राम के अनुसार होना चाहिए था, बोर्ड को अपने आप प्रोग्राम के अनुसार इलेक्ट्रिफाई करना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत गांवों की मांग होते हुए भी और मन्जूरशुदा प्रोग्राम के अनुसार गांवों में बिजली नहीं मिली है। ऐसे गांव जो लाइन पर एग्जिस्ट

(श्री जुझारसिंह)

करते हैं और बिजली गई हुई है, उनको खास तौर से बिजली देने का प्रावधान करें।

इसी तरह से कुछ बातें बिजली के एक्सपेंशन प्रोग्राम के बारे में सामने आई। एक तो यह कि जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है वहां बिजली इन्स्टाल करने वालों की तादात कम है। प्राईवेट ठेकेदार मनमाने ढंग से फिटिंग्ज़ करते हैं और इन्फीरियर क्वालिटी का सामान फिट करते हैं और हायर रेट चार्ज करते हैं। तो बोर्ड की तरफ से इनके रेट्स की वाइड पब्लिसिटी हो और प्रोपर चेकिंग हो ताकि गांवों में जो इग्नोरेन्स हैं उसको देखते हुए इनका शोषण न हो। हमारे क्षेत्र में एक गांव सालावार है, वहां सामान्य तौर से रूरल आबादी है, वहां इलेक्ट्रिक फिटिंग प्राइवेट ठेकेदारों ने की है, गांव वालों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लोइट किया है और बहुत ज्यादा इन्फीरियर टाइप का मेटीरियल लगाया है और चार्जेज हाई है। वहां तो एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन दूसरे गांवों का क्या हाल होगा जहां एजुकेटेड लोग नहीं हैं? यह तभी चेकिंग हो सकती है जब वाइड पब्लिसिटी हो और उन गांवों के लोगों को मालूम हो फिटिंग के ये रेट्स हैं। पब्लिसिटी की कमी है, जो की जानी चाहिए।

जो १० होर्स पॉवर और २५ होर्स पॉवर के बीच जो फ्लैट रेट्स लगाए हैं उनमें २०० रु० रखे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी ग्रेडेशन होना चाहिए कि तीन होर्स पॉवर तक इतना लिया जाय और ५ होर्स पॉवर तक इतना लिया जाय। इसी तरह से ५ होर्स पॉवर के नीचे की कैपेसिटी में थोड़ी कमी की जानी चाहिए ताकि काश्तकारों को फायदा मिल सके।

इसके अलावा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जेनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उसका डेवलपमेंट काफी हो रहा है और आगे यह भी बताया गया है कि अब हमारे पास २-४ सोर्सेज और रह गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और इसमें देरी हुई है। प्रोग्राम के अनुसार इस साल पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साल के लिए डिले कर दिया गया है। हो सकता है कि विद्युत् मंडल के पास काफी तादाद में फंड्स न मिले हों लेकिन जिस तरह से मांग बढ़ी है और खास तौर से गांवों में मांग बढ़ी है और जिसको पूरा करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है, उसको देखते हुए मैं सोचता हूं कि इस प्रोग्राम में डिले नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री भैरवलाल 'कालाबादल' के खड़े होने पर) केवल ८ मिनट लें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): सभापति महोदया, यहां बिजली के बारे में सब ने मांग की है कि सब जगह उजाला होना चाहिए, हमारे विद्युत् मंत्री की लगन, सेवा भावना में कोई शंका नहीं, मगर उनकी परोपकार की भावना

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

से हम परेशान हैं। वे दूसरी जगह तो उजाला करते हैं लेकिन अपने घर में-झालावाड़ जिले में-अंधेरा रखा है। वह जिला १७ साल से पिछड़ा हुआ रहा है। हमने आशा की थी कि यहां उजाला पहले होगा जैसे कि और मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों को पहले लाभ पहुंचाया है और दूसरी जगह बाद में। हमारे यहां झालावाड़ में चिड़ावा, खानपुर और कई ऐसे बड़े कस्बे हैं जो पिछड़े हुए कहलाते हैं, वहां अब तक बिजली नहीं पहुंची। एक जगह तो आपने ८० दिन में इतनी लंबी लाइन बना दी, झालावाड़ में लोग तो विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि हमारे यहां तो १६ मील की लाइन नहीं बनी। यह सही है या नहीं कि इन्होंने उधर बहुत काम किया है उधर "घर घर में दीवाली इधर हमारे घर में अंधेरा"।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): "कालाबादल" वैसे ही बिजली चमकाता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': तो मैं निवेदन कर रहा था कि झालावाड़ जिला १७ साल से पिछड़ा हुआ रहा है, वहां की बेकारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वहां कोई उद्योग-धंधे नहीं लगे। छबड़ा में स्टेट के जमाने का पुराना पॉवर हाउस लगा दिया। उससे दूर दूर लाइन ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे तिली के तेल का दीया जलता है वैसी रोशन करता है, यह भी सिर्फ दो घंटे। ११ बजे बंद हो जाती है।

मनोहर थाना में पहले भीलों का राज्य था वहां १२-१४ मील मध्य प्रदेश में बिजली की लाइन गई हुई है। हम आशा करते हैं कि १२ मील दूर जब बिजली की लाइन आ गई है तो क्यों नहीं हमें मनोहर थाने में बिजली दी जाती है? हमें कहा जाता है कि मध्यप्रदेश से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

एक बार हमारे महाराज इकलेरा में पहुंचे। जनता को उन्होंने बिजली दिये जाने के लिए वायदा कर लिया।

एक माननीय सदस्य: कौन 'महाराज'?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': झालावाड़ महाराज, विद्युत् मंत्री।

वे जनता के बीच में जाकर आश्वासन तो दे आये। उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इन्जीनियर वगैरह सब साथ थे। उन्होंने इन्जीनियरों से पूछा कि बिजली कब तक दे देंगे? तो उन्होंने कह दिया कि १५ अगस्त को दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि सच बताओ। तो कहा कि १५ अगस्त को दे देंगे। आखिर वह १५ अगस्त भी निकल गया और दूसरा १५ भी निकल गया है। अब इकलेरा का तो उद्घाटन हो जायेगा। ऐसी आशा हो गई।

तो हमारे 'महाराज' ओफिसरों की बातों पर भरोसा जरूर करते हैं। अफसरों को भी चाहिए कि जब वे उनका इतना भरोसा करते हैं तो वायदे पर काम पूरा करें और उनके द्वारा किये गये वायदों को निभायें।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उनकी अभी भी वैसी भावना नहीं है जैसी केबिनेट के दूसरे मंत्रियों की है। इनके त्याग की मैं सराहना करता हूं। घर वाले चाहे भूखे बैठे रहें, भोजन सामने हो तो भी पहले दूसरों को खिलाते हैं। ऐसी भावना रखने वाले आज के जमाने में तो भूखे ही रहते हैं। आज तो यह हो रहा है कि पहले अपना पेट भर लो और फिर दूसरे को खिलाओ।

माननीय विद्युत् मंत्रीजी को मैं निवेदन करूंगा कि वे झालावाड़ को शीघ्र बिजली दें। शाहबाद में बिजली नहीं है। मनोहर थाने में बिजली नहीं है। उनके खास इलाके में बिजली नहीं है। सुनेल, गंगधार, डग, पिड़ावा, बकानी आदि सारे इलाके में बिजली नहीं है। इधर यह तारीफ कि इन्होंने इतनी बड़ी लाइन बना दी। हम तो जब समझें कि १९ मील खानपुर पड़ता है वहां भी बिजली नहीं है तो वहां बिजली हो जाय। यहां बहुत बार कहा जाता है कि झालावाड़ में दरबार बहुत काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे यहां करें तब माने।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): राजस्थान के मिनिस्टर हैं, झालावाड़ के नहीं हैं केवल।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': थोड़ा और कहूंगा।

निर्माण मंत्रीजी ने एक प्रश्न का ६-७-६३ को जवाब दिया था। मैंने पूछा था कि जयपुर में ११ वर्क चार्ज पर जो मीटर रीडर्स हैं उनको कब तक पर्मानेन्ट कर दिया जायेगा। आज तक उनको पर्मानेन्ट नहीं किया गया इसलिए डिपार्टमेंट के अधिकारी सुमार्ग पर चलने वाले माननीय मंत्री को ठीक प्रकार से सहयोग दें ताकि उनकी इज्जत बनी रहे और वह जनता की अधिक सेवा करते रहें।

श्रीमती सभानेत्री: श्री जोधसिंह चौहान।

कृपया पांच सात मिनिट में ही अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): सभापति महोदया, सरकार ने गांधी सागर बांध बनाया। सरकार कहती थी कि सब जगह बिजली आ जावेगी। घर घर बिजली आ जावेगी, लेकिन सरकार ने सोच-समझ कर काम नहीं किया। इसके फलस्वरूप परिणाम भोगना पड़ा। वर्षा कम होने के कारण गांधी सागर बांध कम भरा। बिजली कम दी जावेगी। सरकार पहले ही सोच समझ कर योजना क्यों नहीं बनाती।

उदयपुर नगर में पांच-छः एन्जिन्स थे, उनको बच दिया। अब बिजली की कमी हो गई।

सरकार कहती थी कि बड़े बड़े बांध तैयार हो जावेंगे तो सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन जितने पॉवर हाउसेज़ हैं उनमें रेट बढ़ी ही है, घटी नहीं है। उदयपुर में ६ आने

(श्री जोधसिंह चौहान)

से ७ आने यूनिट कर दिया। बिजली की रेट कम होनी चाहिये। धनाढ्य लोगों को तो बिजली दे देते हैं और कम पैसों में धनवानों को आप अधिक धनवान् बनाना चाहते हैं। ८० पर्सेन्ट किसान रहते हैं। उनको बिजली दें। अधिक अन्न-उत्पादन हो। सरकार ऊपर से नहीं चले, नीचे से चले जिससे बड़ी बड़ी योजनायें चल सकेंगी।

छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, गिरवा क्षेत्र, अधिकतर वनवासी लोग रहते हैं। कुए भी बहुत कम हैं। छोटे २ बांध हैं। बड़ी का तालाब है। वहां पानी भरा रहता है। वहां बिजली की लाइन दी हुई है। पहले भी सरकार से निवेदन किया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि पी. डब्ल्यू. डी. की लाइन है उससे किसानों को बिजली दे सकेंगे। लेकिन हमने पॉवर हाउस वालों को कहा तो कहने लगे कि हमें तो आज्ञा चाहिये बिना आज्ञा के हम यह नहीं देंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर के पास बड़ी गांव है, एक डेढ़ मील के फासले पर है। टी.बी. सेनिटोरियम है। बिजली की सरकार ने लाइन दी हुई है। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि बिजली देंगे किसानों को। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि रिटन ऑर्डर्स उनको भेज दिये जाय जिससे कर्मचारी आपकी आज्ञा का पालन करें और उन्होंने आपकी आज्ञा का पहले पालन नहीं किया इसके लिए भी उनसे पूछें कि क्यों नहीं आज्ञा का पालन किया। किसान कनेक्शन ले सकेंगे उस लाइन से।

यही नहीं एक पॉवर हाउस बांसवाड़ा में है। सरकार ने उसको ले लिया। लेकिन सरकार ने पॉवर हाउस तो ले लिया लेकिन कर्मचारी जो बीस-बीस, तीस-तीस, साल की सर्विस वाले थे उनको निकाल दिया। नौकरी नहीं दी। एवजाना नहीं दिया।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री): कम्पनी देगी, बोर्ड क्यों देगा? सर्विस करे प्राइवेट पॉवर हाउस वालों की, सरकार उनका पैसा दे!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पॉवर हाउस लेते हैं तो मालिक से लेबर का कम्पेन्सेशन का खर्चा तो काट लेना चाहिये। लेबर क्यों सफर करे?

श्री हरिश्चन्द्र: बोर्ड क्यों दे?

श्री जोधसिंह चौहान: मजदूरों को किसी भी तरह से कम्पेन्सेट करना चाहिये। उनको वापिस नौकरी में रखना चाहिये। पॉवर हाउस आपने लिया है। उसी पॉवर हाउस के वे कर्मचारी हैं।

इसके अलावा भी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर नगर के आसपास छोटे २ या बड़े २ गांव हैं, जैसे कुराबड़ या बम्बोरा, जगत, बड़ी, नाई। यहां आज तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। सलूम्बर में लाइन लगी तो कुराबड़ बम्बोरा, जहां पर हाई स्कूल हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लगायी जा सकती थी लेकिन उनको इलेक्ट्रिफाई नहीं किया। विरोधी एम. एल. ए. के क्षेत्र को आप प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। विरोध किसानों से क्यों

(श्री जोधसिंह चौहान)

हैं ? उन्होंने क्या किया है आपका ? यदि आप उनको कनेक्शन देंगे तो छोटे २ उद्योग लग सकते हैं। लकड़ी के कई उद्योग लग सकते हैं। बांस का उद्योग लगा कर उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, इससे सरकार को भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

इसी प्रकार उदयसागर तालाब है, उसके लिये इस प्रकार की आज्ञा दी है; जितने किसान हैं उनको नये कुए खुदवाने पड़ेंगे। वहां का पानी रिजर्व रखा जायगा। वहां पर पहले बिजली का प्रबन्ध करें।

वास्तव में आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं आप इस प्रकार का प्लान बनायें ताकि जिस प्रदेश में ८० प्रतिशत किसान हों वहां कम से कम चालीस प्रतिशत किसानों को बिजली मिल सके। इससे आपके ज्यादा अन्न उत्पादन में सहायता मिलेगी। पॉवर हाउसेज में जितने भी इन्जीनियर्स हैं वे, कांग्रेस के आदमी जब जाते हैं उनकी बात तो सुनते हैं, विरोधी आदमियों को पूछते तक नहीं। हम पॉवर हाउस में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रखें और उनको पांच-पांच मील के एरिया तक इलेक्ट्रिफाई कर सकें, ऐसा प्रबन्ध आपको करना चाहिये। यही नहीं गिरवा क्षेत्र में वहां के लोगों को खाने-पीने का इन्तजाम नहीं, वहां के लिये लकड़ी बन्द कर दी। मैं चाहता हूं ऐसे इलाके में जहां आदिवासी रहते हैं वहां पर मुफ्त में बिजली दें, जिनको खाने के लिये अन्न नहीं मिलता ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि उनके ग्रुपों पर मुफ्त में बिजली दे ताकि वे अन्न का उत्पादन बढ़ा सकें और अपनी हालत को सुधार सकें।

इतना ही मुझे इस बारे में निवेदन करना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, विद्युत् मंडल के सम्बन्ध में बोलते हुए सम्माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कह दी हैं; उनके अलावा मैं कुछ मुद्दों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सवाल यह है कि जो ओटोनोमस बोर्ड हैं वहां उनका बजट कैसे आया इस पर सम्माननीय सदस्य गौर करते। इस बोर्ड के गठन के पहले जगह-जगह जो पॉवर हाउसेज थे या डिपार्टमेंट्स थे वे किस तरह से काम कर रहे थे, क्या उनकी स्थितियां थीं उस चीज को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड जब वजूद में आया वह कितने के ओस के अन्दर निकला। मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में एक ऑडिट रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा :

"Revenue and Net Revenue Accounts : It is stated in the notes below the balance sheet that the accounts during the period under reference were not maintained purely on commercial accounting principles. It cannot, therefore, be certified that the Revenue and Net Revenue accounts as prepared and embodied in the whole of the income and expenditure a/c pertaining to the year concerned..."

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह हालत अकाउन्ट्स की थी।

एक माननीय सदस्य : आप इसको हिन्दी में समझाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसमें कहा गया है कि कई जगह अकाउन्ट्स नहीं थे जब बोर्ड वजूद में आया। ऐसी हालत में जब बोर्ड का गठन हुआ यह स्थिति थी। इस मामले के अन्दर हमारी चिन्ता होना स्वाभाविक था। बोर्ड ने जो कुछ किया उसके अलावा भी बोर्ड को बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी के लिये चिन्तित होना उनसे ज्यादा उम्मीद करना प्राकृतिक है। इसलिये मैं अब आपके सामने जब यह बोर्ड वजूद में आया सबसे पहले देखना होगा बोर्ड में रहने वाले लोग उनकी स्थिति क्या है जिनके जरिये आप काम करवाना चाहते हैं। उनकी तरक्की की क्या हालत है; मैं समझता हूं चाहे अपना अकाउन्ट्स ठीक कर लिये हों और चीजें संभाल ली हों लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी आपके यहां जो नौकर हैं जो इन चीजों को संभालने वाले हैं उनको अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चितता है।

गवर्नमेंट सर्विसेज से लोगों को लिया गया। पहले जिस आॅर्डर के द्वारा लिया गया उसमें यह था कि उनको ऑप्शन होगा, वे चाहे तो सरकार की सर्विसेज में रहें, चाहे बोर्ड की सर्विस में। इसी बात को लेकर बोर्ड ने पहला आॅर्डर निकाला। साढ़े आठ साल हो गये, इस चीज को आज तक पूरी तरह से कामयाबी के साथ न्याय नहीं दिलवा सके, सरकार न्याय नहीं कर सकी।

जो लोग काम करते हैं जिनको आप चिन्ताओं से मुक्त नहीं कर सकते उनका एरियर्स को करीब पचास लाख रुपया बकाया है ओवर टाइम, तरक्कियां, ग्रेचुइटी और दूसरे प्रोवीडेन्ट फण्ड, इनकी रसीदें नहीं दी जातीं। कितना रुपया जमा हुआ है इसका अकाउन्ट नहीं रखते, इस तरह से कई चीजें उलझा रखी हैं। जहां तक नीचे के तबके का प्रश्न है उनको इन परेशानियों से निकालने के बारे में बराबर कहा जाता है उस तरफ यह बोर्ड नहीं बढ़ सका, ऐसी मेरी मान्यता है। इनका मामला जल्दी से जल्दी तय होना चाहिये।

सन् ६३ के अन्दर

"The state Government subject to certain notification adopted and approved by the Rajasthan State Electricity Board in the 54th meeting held on 19th December, framed rules".

रूल्स ओप्शन के बना लिये हैं, यह कहा जाता है और ६४ में उसका उल्टा कहा जाता है। सरकार द्वारा रूल्स बनाये गये उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ६३ के बाद ६४ में और कहा जाता है। जैसा जैसा मौका होता है यहां के मजदूर हैं उनके बारे कह दिया जाता है, ६४ में कहा—

"and they could not avail themselves cf the opportunity to exercise the aforesaid option because the Board could not finalise framing of its service regulations."

डेपूटेशन पर समझा जाता है। एक तरफ तो ६३ में रेगुलेशन्स फ्रेम हो गये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसलिये उनके ओप्शन का क्लॉज नहीं लागू हो सकता। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन्स को एप्रूव नहीं किया, इस तरह की स्थिति चल रही है। जब गवर्नमेंट को पूछ करके मीटिंग में तय हो जाय, ६३ में जब तय हो गया तो फिर ६४ में फिर अनिश्चितता की बात कह कर उन लोगों को अधर में झुलाना यह उचित तरीका नहीं है। जिन आदमियों को केजुअल लेबर करके रखा जाता है उनकी एन्युअलत रक्की नहीं होती, उनका भविष्य उज्वल नहीं। ऐसे लोगों के मामले जो ८।। साल से काम कर रहे हैं उनके मामलों को सुलझा नहीं सकते जो डेपुटेशन पर उनके मामलों को तय नहीं कर सके पेन्शन के मामलों को तय नहीं कर सके। जो लोग मर गये या रिटायर हो गये उनका पैसा एरियर्स का बोर्ड में बकाया है। जिसकी संख्या मेरा अन्दाज है वह ६० और ८० लाख तक पहुंच सकती है।

जहां तक ऐस्टब्लिशमेंट का सवाल है वहां पर आप वनफोर्थ खर्चा एड्मिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर रहे हैं, अकाउन्टिंग का खर्चा है। यह कितना परसेन्टेज होना चाहिये यह आपके देखने की बात है। १।४ अकाउन्टिंग पर खर्चा हो जाय, यह बहुत बड़ा खर्चा है। एफीशियेन्सी लाने के लिये जरूरी है कि रेशनल बेसिस पर इस विद्युत् मण्डल को आना चाहिये।

(४. म. प.)

आप कुछ अफसरों का तय कर सकते हैं। पर वह तय होने के बजाय नीचे के मजदूरों का लोड वर्क तय नहीं कर सके। आप यह नहीं कह सकते कि पांच मील की लाइन खींचने में कितने मजदूरों की और कितने दिन की आवश्यकता है। यार्ड स्टिक जिसे आप कहते हैं उसके आधार पर कितना काम एक निश्चित समय तक एक मजदूर को कर देना चाहिये इसे तय नहीं कर पाये आप।

इसी सिलसिले में उनके एरियर और दूसरी चीजें हाउस रेन्ट वगैरह मिनिस्टीरियल लेवल पर सब तय हो गई पर नीचे तय नहीं हो रही हैं।

इनकी अपनी यूनियनें हैं। वे अपने ढंग से काम करते हैं। यूनियन अपनी जायज मांगों के लिये काम करती हैं। यह एप्रीशियेबल होना चाहिये और यूनियन के साथ सरकार का, मिनिस्टर साहब का रुख रीजनेबल होने के साथ नीचे के अफसरों को भी उनके साथ रीजनेबली पेश आना चाहिये। तो ऐसी हालत में कि जब आप आज्ञा कर देते हैं तो यह अगर पूरी नहीं होती है तो यह सरकार की इज्जत का सवाल है। बोर्ड उनको तरक्की नहीं दे सका, महंगाई वेजेज के बारे में कागज रोके रखे। तीन तीन साल काम करे, मीटर रीडर ये सब हर तरह परेशान हैं उनको आप पर्मानेन्ट नहीं करते। फिट एण्ड चेन्ज के आधार पर आप तनजुलियां, और तरक्कियां दें। वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेशन आप तय कर दें पर बोर्ड से लागू नहीं कराया जाय। तो मैं मांग करूंगा कि ओटोनोमस का मतलब यह नहीं कि आपके जो महत्वपूर्ण फैसले मजदूरों के साथ होते हैं उनसे वह इन्कार कर दे। उनको मनवाने की सरकार में ताकत होनी चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके साथ साथ मैं यह नहीं समझ पाया कि पर यूनिट बिजली जिस रेट से पैदा करते हैं उसको उस रेट से अधिक भाव पर देने पर भी कैसे घाटा रहता है ? वह नुकसान आपका बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि कुछ डेवलपिंग प्रोसेस में यह नेग्लीजेबल हो सकता है। पर एक प्लान आपको ऐसी भी बनानी पड़ेगी कि इसमें इतने समय के बाद और इतना कुछ करने के बाद इतनी पैदाबार हो जाने के बाद और इतना कन्जम्पशन बढ़ जाने के बाद विभाग को घाटा नहीं रहेगा बल्कि कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इससे सरकार को मिलनी शुरू हो जावेगी। तो यह एक स्टेटमेंट सरकार के पास होना चाहिये।

आप टार्गेट बनाते हैं बिजली लगाने के।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और।

बिजली उत्पादन का, वितरण का, सारा नक्शा साफ होना चाहिये कि आप कब कब क्या क्या करना चाहते हैं, ऐसा एक मास्टर प्लान आपके पास होना चाहिये। बड़ी हरी हरी घास, सब्ज बाग दिखाये जाते हैं पर वर्तमान को देखते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है और इस वर्तमान पर ही तो भविष्य दीख सकता है। आपकी मशीनरी टाइटन होनी चाहिये, एलर्ट होनी चाहिये। आपके पास तैयार मास्टर प्लान होना चाहिये कि इतनी इतनी बिजली पैदा होने बाद के सउ का किस किस तरह से वितरण आप करेंगे। इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल क्षेत्र में किसानों को भी काफी बड़ा हिस्सा इसका मिलना चाहिये।

आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये आपके पास पैसा नहीं। आप यह घोषणा जरूर करना चाहते हैं कि पांच सौ की आबादी के कस्बे को इलेक्ट्रिफाई करेंगे। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई तो २॥ करोड़ रुपया राजस्थान को इसके लिये देंगे। पर उसका पता नहीं। आपने कोई प्रोवीजन नहीं किया। तो जब आपने पांच सौ की आबादी वाले एरिया को बिजली देने का प्रावधान रखा और पैसा आपके पास है नहीं तो आपको इसके लिये इन्तजाम करना होगा चाहे फिर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लें या वर्किंग ग्रुप में जिन्होंने कमिटमेंट किया है, उनसे लें। आप पांच सौ की आबादी वाले विलेज को बिजली देंगे तो इसके लिये रुपया भी प्रोवाइड करें ताकि किसान को बिजली पहुंचाई जा सके।

अगर अभी से आप इस टार्गेट पर जोर देकर पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फोर्थ प्लान में जो १२०० की बात रखी है वह पूरी नहीं कर सकेंगे। वर्षों पीछे आप ले जावेंगे राजस्थान को। यह आपकी सुस्ती और गलती हमारे आड़े पड़ जावेगी।

इसके साथ ८६ दिनों में बिजली ला दी। इसके लिये मुबारिकवाद देता हूं। तारीफ भी करूंगा। पर तारीफ की इस नींव में जो मजदूर थे जिन्होंने रात-दिन अधिक परिश्रम किया उनको आपने क्या दिया? छः सात सौ आदमियों ने काम किया

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सारे हिन्दुस्तान में जिनकी बदौलत आपने नाम कमाया। आपको एप्रीसियेशन मिला। यहां बड़े बड़े फंक्शन हुए। रामाराव आये। पर उस नींव के पत्थरों को आपने क्या देने की घोषणा की आज कोई प्राइवेट एन्टरप्राइज होता तो उनको बोनस देता, इनाम देता। इन्क्रीमेंट्स देता। आपने डिक्लेअर किया १०३ आदमियों को आप रिवार्ड करेंगे। यह कौन सी बात है ? जिस तीन साल के काम को ८६ दिन में करके बताया जिसका वर्क लोड उन मजदूरों पर, जो छः सात सौ थे, पर पड़ा आप उनको इग्नोर करके इन १०३ को ही कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं। सरकार को न्यायपूर्ण ढंग से उनके एरियर को देना चाहिये।

एक एक पैसे का हिसाब आपको कर देना चाहिये। उसने आपके इन्कलाबी कदम में योग दिया है तो आप उन सबको देंगे रिवार्ड ? आप ऐलान करिये। यह नहीं कि १०३ को देंगे। अफसरों ने किया यह नहीं। मजदूर अगर नहीं होते तो अफसर भी काम नहीं कर सकते थे। मजदूरों की ताकत पर वे काम करते हैं। इसलिये मांग करता हूं कि उनके ड्यूज मिलने चाहिये। तरक्कियों का पैसा नहीं रखना चाहिये। पेंशन जिनकी ड्यू है उनको दी जानी चाहिये। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिये शोभनीय है। नहीं तो न आपके लिये शोभनीय है न आपकी सरकार के लिये शोभनीय है।

श्री मोहनराज जैन (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत सब जगह आवश्यक अंग बन गया है। कोई भी उद्योग हो, विद्युत् एक अनिवार्य शक्ति बन गई है। पर आज ये सारी सुविधाएं काफी अर्से से शहरों को ही दी जाती रही हैं।

यह बात नई नहीं है। अगर इतिहास का अवलोकन किया जावे तो अकबर बादशाह के बाद से हम सब लोगों का ध्यान शहरों की ओर और उनके ठाट–बाट की ओर गया है। सारी सुख–सुविधाओं को शहरों के लिये ही जुटाते रहे हैं।

पर आज आजादी के बाद हमने नारा तो गांवों की ओर ध्यान देने का लगाया है, पर कार्य रूप में अभी इसे पूरा नहीं कर पाये हैं। अगर आज गांवों में बिजली नहीं जाती है तो हमारी आगे की प्रगति रुक सकती है क्योंकि आज देश की अधिकांश आबादी गांवों में ही है और अगर वहां के लोगों को काम धन्धे में नहीं लगाया तो देश बेकारी की समस्या से दब जावेगा। इस बेकारी को दूर करने में बिजली का प्रयोग चमत्कारिक साबित हो सकता है।

मैं बहुत संक्षेप में मिसाल दूंगा। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चरखे का प्रयोग गांवों में किया। उससे गांवों में लोगों को रोजगार मिला; चार आना, तीन आना हर व्यक्ति को मिल जाता था और उस समय एक आना तीन पैसे में पेट भर जाता था। बाद में अम्बर चरखा आया। पर आज धीरे धीरे हमारी आंखों से वह भी हटता जा रहा है क्योंकि आज की महगाई के युग में वह भी भरण पोषण का साधन सहायक रूप में नहीं रह गया है। तो अगर आज इन लोगों

(श्री मोहनराज जैन)

को जो नये छोटे मोटे उद्योगों में लगे हैं बिजली दी गई तो एक नये राष्ट्र का उदय होगा। तरक्की के साधन गांव गांव में पैदा होंगे।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जहां हमारा ध्यान सब बड़े बड़े कल कारखानों की ओर, और बड़े बड़े शहरों को बिजली देने की ओर लगा हुआ है, सारे के सारे साधन उन बड़े बड़े शहरों को मुहैया होने के अन्दर लगे हुए हैं वहां हमारा ध्यान गावों की ओर भी जाना चाहिए और जब हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम ३०० गांवों को बिजली दे देंगे और ५०० गांवों को दे देंगे, हजार को बिजली दे देंगे तो सचमुच में यह हंसी की बात आ जाती है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि बावजूद सारी कोशिशों के भी जो हमारे इन्जीनियर्स और मजदूर काम कर रहे हैं आज हमारे पास साधन इतने कम हैं कि जिस प्रगति से हमें बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर इस बिजली के उपयोग के बारे में हमारा स्थान कहां है, इसको देखें और नीचे से गिनती करें तो दूसरा या तीसरा है। वे सारे के सारे प्रांत और राज्य बहुत आगे बढ़े हुए हैं हमारे राज्य से। आज हम देखते हैं कि मद्रास और मैसूर के राज्य जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में सारी बस्तियों को बिजली दे देंगे मगर हमारा पर्सेंटेज देखा जाये तो बिल्कुल नगण्य है बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में मैं यह राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको सारे के सारे रिसोर्सेज, जहां कहीं भी वह धन को बचा सकें, उसको वह लायें और धन के बिना हमारे यहां पर कितने ही कुशल इन्जीनियर्स और मजदूर हो सकते हैं उनकी सारी कुशलता बिना धन के बेकार जा सकती है। अभी अभी हमारे यहां पर विद्युत् मण्डल की ओर से एक बहुत शानदार जलसा किया गया था उसमें केन्द्रीय मंत्री डाक्टर राव भी पधारे थे। उस समय हमारे राजस्थान में किस प्रकार की प्रगति विद्युतीकरण की हो रही है उसके लिए कई आंकड़े रखे गये। डाक्टर साहब ने भी अपने जोशीले भाषण में कहा था कि राजस्थान का स्थान बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन जब पैसे की बात आती है, जब धन का सवाल आता है तो हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। हमारे कुशल इन्जीनियर्स के काम को बेमिसाल बताया गया, हमारे यहां के मजदूरों के काम को जो बहुत कम समय में यहां तक लाइन ले आये उनके काम को भी बेमिसाल बताया गया लेकिन यह जो बेमिसाल काम हुआ है, अगर हम हिन्दुस्तान के नक्शे में भी हमारे सारे के सारे कामों को बेमिसाल बना कर रखते हैं तो उनको वास्तव में शाबाशी है लेकिन उस काम को करने के लिए पैसों की जरूरत है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जहां कहीं से भी हो राज्य सरकार के खर्चे में कटौती करके और बचत करके जहां कहीं से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए प्राप्त करें और जहां से भी पैसा लाया जा सकता है बड़े से बड़े काम करने हम जब निकलते हैं तो छोटी मोटी प्रगति में रुकावट आये तो उसकी परवाह नहीं करें। हमने जो राजस्थान नहर का काम अपने हाथ में लिया था वह भारत

(श्री मोहनराज जैन)

सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है। जब इतना धन हमारे यहां उपलब्ध हो सकता है जो हमने उस पर खर्च करने से बचाया है तो क्यों नहीं उस पैसे को हम विद्युतीकरण में लगायें ? यदि इसमें पैसा लगाया गया तो इससे खेतीबाड़ी की तरक्की होगी, कृषि की पैदावार बढ़ेगी और गांवों की हालत सुधरेगी। यही सारा का सारा पैसा यहां पर लगा दिया जाता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार यह और करे कि आगामी दो सालों में किसी प्रकार का कन्सट्रक्शन हो चाहे वह बिल्डिंग कितनी ही शानोशौकत के काम आती हो कोई भी बिल्डिंग परपजेज में एक पैसा खर्च नहीं किया जायेगा और उससे जो भी बचत होगी वह गांवों में बिजली लगाने के काम में लाई जायेगी। इसके अलावा आपने जो विवरण १९६५-६६ का पेश किया उसमें एक जगह मैंने पढ़ा है कि भारत सरकार ने भी राजस्थान सरकार को फेस्ड प्रोग्राम के अन्दर ३ करोड़ रुपये देने का वादा किया हैं या यह पैसा मिलने की आशा व्यक्त की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वह ३ करोड़ रुपया कब उपलब्ध हो रहा है ? लेकिन यह ३ करोड़ तक ही संतोष करने की बात नहीं है क्योंकि हमारे सामने मन्जिल बहुत दूर है। आज जो हमने हमारे सामने छोटे लक्ष्य रखे हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज आपने बिजली की भूख लोगों में पैदा की है। आज कई स्थानों पर हमारी औद्योगिक बस्तियां हैं जहां कई प्रकार के काम हैं वहां पर जहां बिजली की शुरुआत की है वहां पर लोगों ने उसका कमाल देखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बेरे के ऊपर दुगुनी और तिगुनी पैदावार हुई है और छोटी छोटी औद्योगिक बस्तियों में भी हजारों मजदूर काम करने लगे हैं और नये नये कारखाने हमारे सामने आये हैं। जब भूख पैदा होती है तो जरूरी है कि उस भूख को पूरा किया जाये। इसके लिए धन कहां से लाया जाये यह राज्य सरकार के सोचने की बात है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और उनके इस संघर्ष में हम सब उनके साथ रहेंगे। केन्द्रीय सरकार से पैसा प्राप्त करें, राज्य सरकार के दूसरे खर्चों में बचाव करके पैसा प्राप्त करें लेकिन जहां आम जनता की और गांव की मांग हो रही है उसको पूरा करने में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए और दूसरी जो छोटी मोटी तकलीफात हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। जो फालना में पावर हाउस लगा है और रानी में जो बिजली दी जा रही है उसके मुतल्लिक इतना ही अर्ज करूंगा कि वहां पर जो काम हो रहे हैं वह निखालिस खेतीबाड़ी को तरक्की देने की दृष्टि से हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसलिए वहां पर जो आपका पॉवर हाउस बना है, जो मौजूदा डिमाण्ड है, जो लोड है और जिन लोगों की एप्लीकेशन दो दो साल से लगी हुई हैं उनकी मांगें भी पूरी नहीं

(श्री मोहनराज जैन)

हुई। लोगों ने वहां पर मशीनरी लगा रखी है और लोगों ने इन्डस्ट्रियल एस्टेट में शेड्स भी बना लिये हैं, लोगों का रॉ-मैटिरियल भी पड़ा हुआ है फिर भी उनको बिजली नहीं मिल रही है। जहां इन्डस्ट्रियलिस्ट्स, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ लगा रहे हैं उन्होंने कहा है कि जब कभी आपके दूसरे कारखाने बन्द हो जायें तो हमें बिजली दो। अभी आपके एस० ई० और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आये थे-एक सूचना भी देना चाहता हूं कि वहां पर १।। साल से मशीनरी लगा रखी है और ७० हजार रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रखा है और रा-मैटीरियल उनके कारखाने में पड़ा है यदि उनको रात में भी पॉवर दे सकें तो वे लेने के लिए तैयार हैं। ऐसी हालत में जब लोग आगे आ रहे हैं, तरक्की करना चाहते हैं और हमारे राज्य की समृद्धि में हाथ बंटाना चाहते हैं ऐसे लोगों को हम सब लोगों का फर्ज है कि सहयोग दें। इसलिए जिन लोगों को बिजली के कनेक्शन्स मिलने आवश्यक हैं और जो उत्पादन के काम में लगे हैं उनके प्रार्थनापत्र शीघ्रातिशीघ्र मन्जूर किये जायें और हमारे राज्य का ग्रामों की दृष्टि से विद्युतीकरण हो ऐसी आशा करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदया, आज विद्युत के ऊपर बातचीत हो रही है। इस वर्ष में ४६ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है और यह घाटा जैसा कि बैलेंस शीट बताई गई है पुरानी भी और नये सिरे से कैसे घाटा दिखाया जायेगा बड़े चमत्कारिक ढंग से यह बताया जा रहा है। आप निर्माण करते जाइये और शायद आप २०० करोड़ रुपया लगा दें तो वह २०० करोड़ रुपया निर्माण में लगाया उसको रनिंग कैपीटल कैसे माना? आपका ४०० लाख रुपया खर्चा है और ६०० लाख रुपया प्राप्त होगा। उसमें आपकी बात पूछें तो १६५ लाख रुपये तो ब्याज के मान लेंगे और १०० लाख डेप्रीसियेशन सारे मशीनरी के मान लेंगे तो इससे यह होगा कि आप यह दिखाना चाहते हैं इसमें लाभ नहीं हो रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह इसलिए बताया गया है कि ताकि श्रमिक बोनस नहीं मांगें। जल्दी काम करने पर जो आपको बोनस देना चाहिए था वह आप निर्णय नहीं कर पाये। यह बैलेंस शीट जिस तरह से पूरी साल की बताई गई है। १६६२-६३ की बैलेंस शीट आपकी नहीं बनी है। आपके बजट में १६६१-६२, १६६२-६३, और १६६३-६४ की है और बैलेंस शीट १६५६-६० तक की दी है और इसमें ८० लाख रुपये का घाटा बता रहे हैं। काम के २५२ लाख रुपये खर्च हुए और ३६० लाख रुपये आपको प्राप्त हुए। घाटा उतने का ही माना जाना चाहिए जितना आपका रनिंग कैपीटल है। आप नये निर्माण करते जाइये और उस सारी पूंजी का ब्याज काम करने वालों पर लगा दें। जब काम में आपको नफा होता है तो आप अपने अकाउन्ट्स चाहे जैसे मेन्टेन करें वह दूसरी बात है, लेकिन सीधी बात यह है कि काम की अलग और कैपीटलाइज्ड करने की पूंजी उसको अलग। दो तरह

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के आपके आंकड़े आने चाहिए कि हमने काम में यह खर्चा किया और मजदूरी का इतना आया। यह साफ है कि २ करोड़ का लाभ है। लेकिन २ करोड़ के लाभ को इस तरह से बता देना चाहते हैं घाटे में, ताकि श्रमिक आपसे बोनस मांगें नहीं।

श्रमिकों के लिए अभी काफी कहा गया है। श्रमिकों का प्रोवीडेन्ट फण्ड आपके यहां बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी जब सरकार चलाती थी उसके बाद बोर्ड बना। काफी लोग आपके बोर्ड में आ गये, मर गये और नौकरी छोड़कर चले गये, लेकिन उनका फिक्सेशन अभी तक नहीं कर पाये हैं। उनकी पेन्शन का पता नहीं। प्रोवीडेन्ट फण्ड की स्कीम जो जोधपुर में थी तो ६१ के बाद उनका पैसा नहीं काटा गया, सरकार अपना हिस्सा देती नहीं है। श्रमिकों के साथ समझौता करके आप उसको पूरा नहीं करते। बड़े अधिकारियों के लिए तो आप यह कह देंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फलां अधिकारी की क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में उसका अधिकार था यह पेन्शन हुई उनका तो आप कर डालें, लेकिन राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनका कुछ न करें। यहां के श्रमिकों का न करें। वर्षों से अस्थायी अधिकारी बैठे रहेंगे उनको स्थायी नहीं करेंगे। वे आपकी दया पर बैठ रहेंगे, जब चाहा निकाल दिया। आप तय कीजिये कि ६ महीने काम करने के बाद वे स्थायी होंगे ताकि उनको तसल्ली हो।

इसके बाद जो बैलेन्सशीट ५९-६० में आई उसमें आपने केपिटल दिखाया। केपिटल के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास में धेला भी नहीं है वह कर्जा है राजस्थान गवर्नमेंट का। यह राजस्थान गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है; उसकी बैलेन्सशीट बनाते वक्त उनको ध्यान रखना चाहिए कि वे अब अलग हैं। अगर गवर्नमेंट का बजट होता तो यहां पर बहस होती। यह दिखाने के लिए आया है तो आप केपिटल मत बताइये लेकिन यह कहिये कि सरकार से इतना कर्जा लिया है और कर्जे पर ब्याज होगा सरकार को वापस देने के लिए। जो कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उनका ब्याज होता है वह जोड़ना चाहिये उसको अलग से बता दें। आपकी बैलेन्सशीट में ज्यादा से ज्यादा ये शब्द हैं कि इतनी पूंजी हमारे पास है। वह सही नहीं है। वह पूंजी नहीं है, कर्जा है। वह आपके घर की पूंजी नहीं है।

दूसरा यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट के जो फाइनेन्शिल अकाउन्ट्स हैं उनसे आपकी बैलेन्सशीट नहीं मिलती है। राजस्थान गवर्नमेंट एक अरब के फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स बनाती है। वे राजस्थान गवर्नमेंट के हर साल किये जाते हैं। उनका '६३-६४ का चुका है। आपका ५९-६० का आया है पता नहीं उसके बाद में बैलेन्सशीट बनी कि नहीं ताकि यहां लोग उसको देख सकें। आपका तो वाणिज्यिक कन्सर्न है। अगर ३-४ साल के आप अकाउन्ट्स ठीक नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि आपको घाटे नफे का पता नहीं चलेगा। घाटा ही घाटा होगा और नफे का काम नहीं है। आपके डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया है कि स्टाक का कोई वेरीफिकेशन नहीं हुआ होगा।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कि वह कैसे लगेगा? आपने सामान इश्यू किया है, वह लगा है या नहीं इसका पता नहीं। अगर किसी ने किया हो तो रिपोर्ट बता दें कि फलां में लगा है। यह काम किया गया है और इतना स्टोर लिया गया तो इतना लगा है। खर्च कहां हुआ इसका पता नहीं। काम का यह हाल है कि जहां इच्छा हुई वहां बिजली लगा देंगे और दूसरी जगह जहां जरूरत है वहां नहीं लगाई जाती है। इसका पूरा प्लान होना चाहिए और प्लानिंग से तय होना चाहिए कि कृषि कार्य में इतना करना है और यह सामान लाना पड़ेगा तो उसका प्लान बनाकर काम करिये।

मैंने निवेदन किया था कि भीलवाड़ा जिले में काफी आदमी बसते हैं। ९ लाख आदमी बसते हैं। वहां पर इतनी कम जमीन है कि सब खेती का काम करें तो एक एक दो-दो बीघा पांती नहीं आती है। वहां की जनता की हालत खराब है पर केपिटा इन्कम को लेते हैं तो भीलवाड़े का बाड़मेर के बाद दूसरा नम्बर पड़ता है। बाड़मेर २६ पर है तो २५ पर भीलवाड़ा पड़ता है। इतना गरीब है। एक उद्योग खड़ा हो गया सूती मील तो उससे ९ लाख आदमियों का पेट नहीं भरता है। अब क्या होता है कि माईका फैक्टरियां में हजारों आदमी सर्विस करते हैं और माईका की खानों में काम करते हैं। खानों में काम करने के लिये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो नहीं देंगे। कुल मिला कर २०-३० मील की लाइन उस जगह को दे दें तो ३० मील के अन्दर तो पूरा माइनिंग आ जाता है और अभी जो ६-७ हजार आदमी काम करते हैं तो १५-२० हजार आदमी काम करने लगेंगे। डबल हो जायेंगे। एक काम आप कर सकते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को आप यह कहें कि वहां से माइका निकलती है और उससे जितना फोरिन एक्स्चेन्ज आता है, इस समय एक करोड़ के करीब माइका राजस्थान से बाहर जाती है, बाद में दो करोड़ हो जायगी और उसका फोरिन एक्स्चेन्ज आता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सामान बाहर से मंगाना पड़ता है तो आप दबाव डालें कि हमारे प्रान्त से माइका कट करके जो बाहर भिजवायी जाती है तो विदेशी सामान मंगाने के लिए हमको एक्स्चेन्ज दें। आप कुछ करें ताकि अपने यहां कमाई हो। हमारे यहां के आदमियों को ज्यादा काम मिले और माईनिंग जो आप ग्रामोद्योग का नारा लगाते हैं वह गांवों का उद्योग है। शहरों में ले जाई जा सकती तो खानें उठा कर ले जाते। शहरों में आप सस्ती तीन नए पैसे में बिजली दे दें लेकिन गांव में ठीक रेट पर लेना चाहें तो नही पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि माइ-निंग एरियाज़ में जो गावों में बसे हैं और जो लोग बिजली लेना चाहते हैं और खास तौर से जिससे विदेशी-मुद्रा आती है ऐसे माइका एरिया को आप दे दें। इसके लिए प्रावधान रखा है आपने वह ५०,०००) रु० का है तो इस ५०,०००) रु० से तो तीन मील ले जायेंगे। इससे ज्यादा की गुन्जायश नहीं है। तीन मील ही चली जायेगी क्योंकि आपने थोड़ा सा रुपया डाला है।

मेरा तो यह निवेदन करना है कि जिस उद्देश्य से इस बोर्ड को अलग बनाया गया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

था कि राजकीय, प्रशासकीय आज्ञाएं देने में, सामान खरीदने में दूसरी दिक्कतें पड़ती हैं तो इसको व्यवसायिक रूप से अलग बना दिया जाय और जिस तरह से इसके काम को बढ़ाया जाता है तो इसकी जांच पड़ताल आपने ठीक तरह से नहीं की। इसका वेरी-फिकेशन सामान का स्टोर का नहीं करवाया जाता, स्टोर से कितना सामान इश्यू हुआ और मौके पर कहां लगाया गया, इसका वेरीफिकेशन पूरी तरह से आप बराबर नहीं करते हैं, रोज रिपोर्ट नहीं करते कि कहां क्या खर्च हुआ है और ऑडिट का थोड़ा कब्जा नहीं रखा तो बड़ा नुकसान हो जायेगा। इसका साफ सुबूत यही है कि कोई जांच रिपोर्ट नहीं आती है। न बैलेन्स-शीट बनी हुई है। आपकी बैलेन्स-शीट गत वर्ष की अभी तक आ जानी चाहिए, यह पिछला साल जो गया है उसकी महीने दो महीने में बने लेकिन ६३-६४ की तो बिल्कुल कम्प्लीट हो जानी चाहिए और आ जानी चाहिए।

इसके उपरान्त मुझे यह निवेदन करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्रमिकों का प्रश्न है। नई रिवाइज्ड पे के हिसाब से रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जहां मजदूर काम करते हैं उनकी पे की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वैसे मैं निवेदन करूं कि कुछ भाई यहां बोले थे कि इन्टक के मजदूरों से यहां समझौता कर लिया, मजदूर तो जिसके साथ हैं जिसमें ताकत होगी उसके साथ समझौता बोर्ड अगर कर लेता है तो उन लोगों के कहने को रोकने लायक वह नहीं है। लेकिन अगर आप समझौता कर लें तो आपको निभाना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन बोर्ड नहीं करता है। आपने जो तय किया है उस हिसाब से लोगों को फायदा बोर्ड से नहीं मिल पाता है। प्रोवीडेन्ट फण्ड का जल्दी तय करवा दें और फैडरेशन के साथ आपका जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से ग्रेचु-इटी वगैरह की भुगतान का हिसाब है वह पूरा करा दें। इसको आप नहीं करायेंगे तो आप जिस तरह से काम करवाना चाहते हैं, दूसरा अगर कोई ट्रेड या बिजनेस हो तो बाजार से सामान खरीद लिया और एक आदमी से पूछ लिया, लेकिन यह एक ऐसा व्यापार है कि सारा काम आप दूसरे आदमी की मेहनत पर है चाहे वह सुपरवाइजरी स्टाफ हो या मजदूर; तो इस तरह से अगर आप काम कराके ये काम करना चाहें और इनको खुश नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा।

आप श्रम-हितकारी कोष अलग से कायम कर दें। मैं विद्युत् मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में चाहे आप कन्ज्युमर पर १ पाई या २ पाई ज्यादा लगाना पड़े तो भी लगाकर करें। इससे लाखों रुपया इकट्ठा हो सकता है। आज आपका स्टाफ गांवों में जाता है, आपका लेबर जगह जगह फिरता रहता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और उसको पूरी सहायता नहीं पहुंचती है तो ठीक नहीं। सरकार की तरफ से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

ऐसा बिल लाकर जैसा कोल माइन्स में माइका माइन्स या दूसरा इन्डस्ट्रीज में श्रम हितकारी कोष की तरह इस पर लगायेंगे और थोड़ा सा पैसा कन्जूमर्स पर लगा कर करेंगे तो लाखों रुपया इकट्ठा हो सकता है। उससे स्टाफ को राहत मिल सकती है। मुझे यह भी निवेदन करना है आपसे कि मैं समझता हूं कि ग्रामोद्योग पर ज्यादा ध्यान देंगे।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उत्तर प्रारम्भ करें।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान विद्युत् मंडल का बजट पेश किया है उस पर अपने बिचार रखे हैं उसके लिये तो मैं उनका बहुत आभारी हूं।

(४-३१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिह, उपाध्यक्ष, पुन: पदासीन)

ज्यादातर भावनाएं जो यहां पेश की गई हैं उनमें एग्रीकल्चर लेंड को किस तरह से डेवलप किया जाय इस पर काफी माननीय सदस्यों ने जोर दिया है और इसके अलावा श्रमिकों के मामले के ऊपर भी काफी जोर रखा गया है। मैं इनके ऊपर बहस के दौरान में कुछ अर्ज करूंगा।

राजस्थान विद्युत् मंडल जब से बना है तब से इस बात का प्रयास सरकार के द्वारा और विद्युत् मंडल के द्वारा किया गया है कि जो हमारी रफ्तार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की या जो पॉवर एक्वायर करने की हो रही है उसको युटिलाइज करने की जो क्षमता है उसमें तेजी आवे। यह सही बात है कि यदि राजस्थान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो राजस्थान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी या बैंक बोन यह बिजली है और जितनी ही मजबूती या जितनी तेजी के साथ इस बिजली की फैलावट राजस्थान में हो जायगी उतनी ही जल्दी, मेरी यह मान्यता है, राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे जायगा।

जो सबसे अधिक मुश्किल का सामना विद्युत् मंडल को या कभी कभी राज्य सरकार को करना पड़ता है वह है आर्थिक अभाव और वह एक ऐसा पेचीदा मसला है कि यह विसस सर्कल है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसकी मांग आती है और क्योंकि अर्थ का अभाव है इस वास्ते वह काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहला मसला हम लोगों को जो सोचना है वह अर्थाभाव या फाइनेन्शियल पिंच जो है वह हमारे सामने न आवे और राजस्थान जितना पॉवर जेनरेट कर रहा है उसका डिसबर्सल सारे इलाके के अन्दर हो। इस मसले के ऊपर राज्य सरकार ने चेष्टा की है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने भी इस मसले को वे ले गये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट राजस्थान की हालत को देखते हुए, इसके बैंक-ग्राउन्ड को देखते हुए, इसकी हिस्टोरिकल लीगेसी को देखते हुए कोई पर्याप्त मात्रा में धन राशि हम को दे ताकि जो डिसपेरिटी स्टेट्स के बीच में है, जो राजस्थान और दूसरे पॉवर में एडवान्स्ड

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

स्टेट्स हैं उनके बीच डिस्पेरिटी है उसको हम जल्दी से जल्दी ब्रेक कर सकें, हल कर सकें ताकि राजस्थान भी दूसरी स्टेट्स के केवल के ऊपर आ जाय। इसके लिये भी माननीय सदस्यों ने जोर दिया है, कइयों ने बता दिया है उनका तो मैं बहुत आभारी हूं और आपका जो दृष्टिकोण है, जो कुछ आपने यहां फरमाया है उसको अवश्य मैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तक पहुंचाऊंगा और इस बात का उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में धन-राशि दें ताकि हमारा रूरल सेक्टर जिसके ऊपर आज कल जोर दिया जाता है और जिसके ऊपर राजस्थान का भविष्य निर्भर है उस रूरल सेक्टर को निग्लेक्ट नहीं किया जाय। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि पॉवर जिस तरह से रूरल सेक्टर के अंदर जाय उसी तरह से रूरल एरियाज़ के अंदर औद्योगीकरण भी होना चाहिये। मैंने जब इन्डस्ट्रीज के बजट पर यहां बहस हो रही थी उस वक्त निवेदन किया था कि डिसबर्सल जो हमारे पॉवर का हो रहा है, जहां जहां भी हाइडल पॉवर पहुंची है वहां पर एग्रीकल्चर के लिये यूज़ हो पॉवर और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये भी वहां पर पॉवर उपलब्ध हो ताकि दोनों मिले-जुले डेवलपमेन्ट इस एरिया में चलें। इसके लिये राज्य सरकार का हमारा इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट का जो अधिकारी वर्ग है उनसे कहा है कि वे इस तरह के प्रपोज़ल भेजें कि किस तरह का इम्पट्स रूरल इन्डस्ट्रीज को दे सकते हैं ताकि पॉवर लोड जो रूरल एरिया में जाता है और कभी कभी वह अनरेम्युनरेटिव रह जाता है वह समस्या हल हो जाय और फुल पॉवर का युटिलाइजेशन किस किस तरीके से हो सकता है।

मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पॉवर डेवलपमेंट या पॉवर कॉंश्यसनेस थर्ड फाइव ईयर प्लान से शुरू हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है जब गांधीसागर बन रहा था तब मैं वहां पर एक दिन वैसे ही चला गया मिनिस्टर नहीं था उससे पहले, वहां जाकर मैं लोगों से मिला। तब कई आदमियों ने मुझ से कहा कि इतना बड़ा डेम खड़ा कर रहे है पता नहीं इससे अनाप शनाप कितनी बिजली उपलब्ध होगी, वह सारी की सारी खपत होगी या नुकसान में जायगा। तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच-छ साल में हम इतने पॉवर कांश्यस हो गये हैं या इतना हम रियेलाइज़ करने लग गये कि क्या चमत्कार पॉवर बताती है, उस चमत्कार को देख कर हरेक गांव का हरेक आदमी, यदि उससे मांग की जाय कि क्या चाहते हो तो हर चीज को वह छोड़ने को तैयार हो जायगा और वह कहेगा कि राजस्थान के गांवों में मुझे आप बिजली पहुंचा दें। और यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पर्याप्त मात्रा में आप सब हिम्मत करके धन राशि उपलब्ध कर दें तो यह दावा मैं भी कर सकता हूं; जैसे ८६ दिन में यह लाइन राजस्थान विद्युत् मंडल ने और कर्मचारियों ने खड़ी कर दी है उसी दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान को मैं जगमगा सकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो सभी कहते हैं कि बाप-दादे नहीं मरते तो फौज खड़ी हो जाती। हम कहां से धन राशि उपलब्ध करा दें ? हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिये, आप लाइये जहां से ला सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जल्दी बोल गये, मुझे पूरा सेन्टेन्स बोलने देते तो...

एक सदस्य : जल्दी में बोल गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके वहां तो पहुंच गई है बिजली। वे तो जगमगा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा था, यदि हर पंचायत समिति से माननीय सदस्य कोशिश करें तो यह नहीं हो सकता कि कहीं न कहीं से पैसा, काफी पैसा उपलब्ध नहीं हो। मैं कोई अनुदान नहीं चाहता हूं। जो आदमी घबराते हैं; वे यह सोचते हैं कि यदि पैसा एक बार दे दिया तो वह गया। मैं कोई अनुदान के रूप में आप लोगों से पैसा नहीं चाहता। लेकिन पंचायत-वाइज भी आप पैसा इकट्ठा करें और बतौर कर्जा मुझे दें जो दस साल के अन्दर में रिटर्न कर दूं और उस पर ब्याज भी दे दूं तो मेरी बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। इस सम्बन्ध में विद्युत मंडल और हमारी सरकार के बीच में बातचीत चल रही है और एक पंचायत समिति के पास से पैसा आया भी है, जो थानपुरा की पंचायत समिति है इसने चालीस हजार रुपया जमा कराया है और कहा है कि हमारे यहां लाइन खींचिये। मैं यह नहीं कहता कि कोई हम फॉर्मूला लायें, तो हम भी ऐसा सिस्टम बैठ कर इवोल्व करें कि पैसा हम पंचायत समितियों से इकट्ठा कर सकें और बतौर एक कर्ज के विद्युत् बोर्ड के अन्दर जमा करायें तो हमारे यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बढ़ सकता है

अब मैं थोड़ा उन चीजों पर अर्ज करना चाहता हूं जो कि राजस्थान विद्युत् मंडल ने अभी तक कुछ किया है। वैसे आपके पास बजट पहुँचा है वह आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक किताब आप लोगों के सामने पेश की गई है, उसके अन्दर भी एक झलक विद्युत् बोर्ड की आपके सामने आती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें एडीशनल इन्स्टाल्ड कैपेसिटी हमने एनविसेज की थी, वह २७५ मेगावाट है वह एण्ड ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान तक की है। अभी तक जो एचीवमेंट किया है वह करीब ८५ मेगावाट एक्चुअली हमने एडीशनल पॉवर राजस्थान को दी है और जो तीन प्रोजेक्ट हैं; सतपुड़ा, राइट बैंक ऑफ भाखरा और राणा प्रतापसागर – यह तीनों प्राजेक्ट्स चौथी पंचवर्षीय योजना के बिगनिंग में आ जायेंगे तो उससे यह जो कैपेसिटी मैंने आपको बताई, २७५ मेगावाट यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक न आकर चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में आपके सामने इन्स्टाल्ड कैपेसिटी आ जायगी।

अब, अभी तक राजस्थान के अन्दर २२० के. वी. की लाइन की जैसी कोई चीज नहीं

(श्री हरिश्चन्द्र)

थी। जैसा मैंने पहले इस सदन में अर्ज किया था कि यह हमने निर्णय लिया है कि २२० के. वी. की लाइन जयपुर-हिसार-खेतड़ी डालें, खेड़ी होती हुई वह जयपुर आयेगी। यह २२० के. वी. लाइन डिपार्टमेंटली विद्युत बोर्ड खींचेगा, मायने देअर विल बी नो कन्ट्रेक्ट गिवन। अब यह एक एक्सपीरियेन्स होगा हमारे वर्कर्स को, हमारे टेक्निकल स्टाफ को, ताकि वह भी यह बता सकें कि जो पॉवर हाउस खुलेंगे -वह खुलें या नहीं खुलें - लेकिन हमारे यहां के आदमी उस काम को कर सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सस्ता कौनसा रहता है, कॉन्ट्रेक्ट से या इससे?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा, "डिपार्टमेंटली"।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): डिपार्टमेंटली ही किया जाना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेंट ही करेगा उसे।

इसके अलावा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में १३२ के. वी. लाइन का जो माइल्स का टार्जेट था वह ८९४, ७५ माइल्स था, यह टार्जेट अभी पूरा नहीं हुआ है, थर्ड फाइव ईयर प्लान में ७३४ माइल्स एक्चुअली हमने खींच दी है और ६६ के. वी. लाइन २३२ माइल्स में खींचने का प्रावधान था हमारा, उसमें से हमने २१५ माइल्स एक्चुअली लाइन खींच दी है। इसके अलावा जो ३३ के. वी. की लाइन्स थीं, उसमें जो टार्जेट था वह १६८६ माइल्स का था, उसके बजाय हमने १९९९ माइल्स ३३ के वी की लाइन ऑलरेडी खींच दी है। इसके अलावा १३३५ माइल्स ११ के. वी. लाइन खींचने का टार्जेट था उसके बजाय १३४० माइल्स एक्चुअली लाइन हम खींच चुके हैं और अभी एक साल बाकी है। तो जहां तक ३३ के. वी. और ११ के. वी. लाइन का सवाल है we have overshot the mark और हम आगे निकल गये हैं।

इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर टार्जेट ३०३ विलेजेज को इलेक्ट्रीफाई करने का था। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से अपन सोच रहे थे उस वक्त में और आज में बहुत परिवर्तन है। मैं सोचता हूं कि आप यह सोचते होंगे कि इसमें सिफर और लगती तो ज्यादा अच्छा होता। ३०३ विलेजेज को इलेक्ट्रिफाई करने का टार्जेट एक नेग्लीजेबल टार्जेट है। हम यह कोशिश करना चाहते हैं, जैसा मैंने अर्ज किया, कि जो गेप रह गया है उसको फिल अप करना चाहिए और उसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा आर्थिक दृष्टिकोण से और उसको मानते हुए मैंने निवेदन किया कि तब जाकर हम उस टार्जेट पर पहुंच जायेंगे। लेकिन बावजूद इस टार्जेट के हमारे यहां अभी तक जो टोटल लोकेलिटीज़ इलेक्ट्रिफाई हुई हैं, ७३५ लोकेलिटीज़ हेव बीन इलेक्ट्रिफाइड टिल टु डे। और यह एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब यह रिपोर्ट छपी है और

(श्री हरिश्चन्द्र)

जो एक छोटी किताब दी है उसमें फिगर्स दूसरे होंगे और जो फिगर्स मैं कह रहा हूं वे दूसरे होंगे। उस दिन से लेकर आज तक, जब यह किताब बनी है तब से उसमें ८८ विलेज और जुड गये हैं। तो वह आपको उसमें डिफरेन्स मालूम हो रहा होगा – उसमें और इसमें। इस बात को भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि यहां पर कहा गया था, कि हमें यह हिसाब लगाना है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन चीप हो, यानी सस्ते तरीके से बिजली लाई जाय। अगर वह बहुत महंगी होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं और कैपीटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस वास्ते अनुमान यह है कि हर लोकेलिटी के ऊपर हमारा चालीस और पचास हजार के बीच में खर्च हो रहा है, उसके अन्दर पूरी लोकेलिटी आ जाती है और करीब पांच वैल्स आ जाते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक लोकेलिटी को इलेक्ट्रिफाई करने के बाद वहां पर कम्प्लीट सेचुरेशन ऑफ वैल्स का होना चाहिये और इसके लिए विद्युत मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जिस तरह से बिजली आगे चलती जाय, इसका कन्सोलिडेशन होना चाहिए उस जगह के अन्दर। यह नहीं कि जैसा किन्हीं माननीय सदस्य ने फर्माया था, कि हम किसी गांव में गये और वहां पर बिजली का बल्ब जल गया और उसको इलेक्ट्रिफाइड मान लिया गया। इससे कोई लाभ नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस ओपीनियन से कि इसमे लाभ नहीं है। होना यह चाहिए कि लाइन खिंचती हुई चली जाय, एक साल में। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाय और दूसरी साल या छः महीने के बाद ही कम्प्लीट सेचुरेशन उस विलेज का होना चाहिए। इस ओर मैंने चैअरमैन महोदय का ध्यान आकर्षित किया है कि कोई ऐसा अमाउन्ट या पैसा जरूर रहना चाहिये जिसके जरिये से कन्सोलिडेशन फार सेचुरेशन ईच विलेज का होता जाय। मैं समझता हूं कि यह दिक्कत जो हमारे सामने आ रही है वह दिक्कत आयन्दा नहीं आयेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): कब से दिक्कत नहीं आयेगी। यह पॉलिसी एग्जीक्यूट कब से होगी? आप फरमा रहे हैं तो यह पॉलिसी कब से एग्जीक्यूट होने जा रही है?

श्री दलपतसिंह (आबू): कल से!

श्री हरिश्चन्द्र: एग्जीक्यूट तो हो रही है। It is already in progess.

श्री भैरोंसिंह: फिर कठिनाई क्या है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): कहां सेचुरेशन किया है? आपने कंसोलिडेशन और सेचुरेशन किस लोकेलिटी में कर दिया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Have you done it anywhere?

श्री हरिश्चन्द्र: इमीजियेटली नहीं हो सकता है। At present we cannot do. मैंने कहा कि पांच वर्ष लग जायं और ज्यादा वर्ष लग जायं लेकिन यह जगह

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं छोड़नी चाहिए, यह नहीं कि बिजली आने के बाद दो-तीन वेल्स में बिजली दें। इसलिए यह साइन्टीफिकली ड्रॉ होनी चाहिए, दस आदमी हैं तो उनको सबको मिलनी चाहिये चाहे उसमें दो महीने, तीन महीने, चार महीने लग जायं लेकिन उनको मिलनी चाहिए। कम से कम यह हो जाय कि जो लाइन दें वह आगे बढ़ती जाय और आदमियों को दिक्कत नहीं आये। लेकिन हमारे सामने सवाल यह भी आता है, प्रैक्टिकली जो डिफीकल्टी आती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, वह यह भी है वे कर्ज मांगते हैं तो कभी कर्ज होता है। कभी नहीं होता है इसलिए पंचायत समितियों के सामने ईरिगेशन डिपार्टमेंट ने यह रखा है, वह भी पैसा वे एडवान्स करते हैं लेकिन यह हो सकता है कि गांव के अन्दर तीन-चार आदमी ऐसे मिले जो पम्प एफोर्ड कर सकते हों, लेकिन बाकी के आदमी कहें कि कर्ज नहीं मिला तो पम्प एफोर्ड नहीं कर सकते....

श्री उपाध्यक्ष : एक एक को सेटिस्फाई करते जायेंगे तो लम्बी डिबेट हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इसमें क्या एतराज है अगर माननीय मंत्री सबको सेटिस्फाई करना चाहते है तो ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो सारे हाउस की दृष्टि से देखना है कि सारे तथ्य सदन को मिलते हैं या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, नई चीजें उठाई जाती हैं उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं। मेजोरिटी ने जो सवाल उठाये हैं उनका जवाब मिलना चाहिये। लालसोट कहां से टपक पड़ा, मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : नसीराबाद का जवाब दिला दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक व्यवस्था का प्रश्न एक माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है वह उचित है, माननीय मंत्री महोदय, जवाब देते जायं : एक एक प्रश्न पर बहस न उठाई जाय। क्लेरिफिकेशन अलग अलग से किया जा सकता है। थ्रेशिंग आउट शुरू नहीं होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसके लिए उन्होंने पैसा देने का भी कहा है और दे भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बोर्ड की पॉलिसी अगर ठीक तौर से चली तो बहुत जल्दी हम सैचुरेशन करते हुए चलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति के मार्फत लोन में से जो पम्पिग सैट्स खरीदे जाते हैं उसकी जगह यदि आपका बोर्ड ये सैट्स खरीदे, अगर स्टैंडर्ड सैट्स लोगों को सप्लाई करें तो क्या आपत्ति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सारी चीज बोर्ड क्यों करे ? यह पंचायत समिति का काम है। उसको भी थोड़ी जिम्मेवारी शोल्डर करने दिया जाय। सब चीजें सेंट्रलाइज मेरे हाथ में हो जाये, यह आज-कल की थिंकिंग।

(श्री हरिश्चन्द्र)

पॉलिसी के खिलाफ है और पंचायत समिति के पास पैसा है तो उनको खरीदने दो अपनी मर्जी के अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : धनराशि तो पंचायत समिति के पास है, लेकिन पंचायत समिति जिनको धनराशि देती है वे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जितनी कम्पनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं उनको वे नहीं जानते हैं। मेरा मतलब है कि लोन पंचायत समिति दे, लेकिन पम्पिंग सैट्स प्रोवाइड करने का काम वह अपने हाथ में ले ले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायत समितियों से यह काम न लिया जाय लेकिन आपके बोर्ड की तरफ से टैक्नीकल एडवाइस पंचायत समिति को रेंडर की जाय ताकि वह प्रोपर मशीनरी ले ले। पंचायत समिति से यह राइट लेने से आपका कहना ठीक है कि विकेन्द्रीकरण पर चोट होगी।

श्री हरिश्चन्द्र : जो जनसंघ के नेता ने कहा है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि पंचायत समितियों के अन्दर इस समय टैक्नीकल स्टाफ मौजूद है, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं, आपका विकास अधिकारी है···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये तो हैं लेकिन जहां आपके आदमी हैं वे लोग इस बात को डिटर्मिन करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे इलेक्ट्रीशियन्स नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : क्यों नहीं हैं ? यह शिकायत आपकी तरफ से आ रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका सहायक इंजीनीयर उनकी कमेटीज़ को एडवाइस करे।

श्री हरिश्चन्द्र : यह मैं अनऑफिशली कह सकता हूं कि कोई प्रधान या पंचायत समिति हमारे ऑफिसर्स से राय लेना चाहेगी तो हम हमेशा तैयार हैं और रहेंगे। उसमें कोई डिफीकल्टी नहीं है। लेकिन आप समझें कि पंचायत समिति इन्कैपेबल है, इस बात में विश्वास नहीं करता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका सहायक इन्जनीयर बाकायदा...

श्री हरिश्चन्द्र : वह बुलाएंगे तो जायेंगे। हमने यह लिख कर भी दे दिया है कि कोई ऐसी समस्या हो जिसके अन्दर बिजली के इंजीनियर को पंचायत समिति बुलाए तो वे अवश्य जायें। लेकिन कौनसा पम्पिंग सैट ठीक है, यह बिलकुल उनके क्षेत्र का काम है, बोर्ड बीच में नहीं आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इस क्षेत्र को पंचायत समिति का क्षेत्र मान कर चलते हैं यह सही नहीं है। पंचायत समिति का भी काम नहीं है कि पम्पिंग सैट्स लेकर उनकी वर्किंग को देखे। कई बार पंचायत समिति ने लोगों से यह कहा है कि जब तक पम्पिंग सैट्स एक परटीक्यूलर एजेंसी से नहीं खरीदे जायेंगे तब तक लोन सैंक्शन नहीं होगा। इसलिए गलत रूप से पम्पिंग सैट्स

(श्री भैरोंसिंह)

इन्सटाल किये जाते हैं, जिससे लोगों को फायदा नहीं होता। पंचायत समिति का क्षेत्र इन्टेक्ट है, उसमें इंटरफियरेंस करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पम्पिग सैट्स खरीदने और इन्सटालेशन के बारे में यदि आप कोई स्टैंडर्ड मेन्टैन करें तो अच्छा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि जनसंघ के नेता आज ही तो कह रहे थे कि यह बोर्ड काबिल नहीं है, उसके बाद इतना प्रेम पैदा हो जाता है कि यह काम भी बोर्ड को दे दो ?

श्री भैरोंसिंह : आपकी समझ में नहीं आता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो दोनों के साथ ही है। सवाल यह है कि एक्सटैन्शन किसका काम है और पॉवर किसका काम है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस पर जो सुझाव आये हैं, मैं इग्ज़ामिन करवा लूंगा लेकिन जहां तक हमारी एजेंसी हैं वह ऑफीशियल और अनऑफीशियल राय दे सकती है, उससे आप सहमत हों तो काम करें नहीं तो हम आपके जुरिस्डिक्शन में इन्टरफीयर नहीं करते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जैसे पी० डब्लू० डी० का इन्टरवेन्शन है। उनके वर्क को असेस करते हैं उनका पूरा दखल है। ऐसा दखल आपका भी कायम किया जाय ताकि सैट्स पम्पिग वगैरह जो खरीदे जाते हैं, वे इन्फीरियर क्वालिटी के न हों।

श्री हरिश्चन्द्र : हमने एक कमेटी बनाई है रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए। इसमें इन्डस्ट्रीज़ का आदमी है, हमारा इंजीनीयर भी हैं, पी० डब्ल्यू० डी० का प्रतिनिधि भी हैं। वह कमेटी हम आशा करते हैं कि इस मामले को भी देख ले लेकिन क्या पंचायत समिति इस चीज़ को पसंद करेगी, वह उन पर ही छोड़ना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति पिक्चर में नहीं आती।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जो फरमा रहे हैं, वह दूर का मामला है। सभी जगह यह काम पंचायत समिति करती है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति पम्पिग सैट्स सप्लाई नहीं करती।

श्री हरिश्चन्द्र : पंचायत समिति ठेकेदार को ठेका दे देती है।

श्री भैरोंसिंह : गलत हुआ है : वह उनके पॉवर्स के बियोंड हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वह काश्तकारों को बता देते हैं कि यह सबसे अच्छा है, आपको लेना है तो लो।

श्री भैरोंसिंह : यही तो गड़बड़ है।

श्री हरिश्चन्द्र : लोन तो आप लेंगे और पंचायत समिति कहेगी कि आपको यहां खरीदना है।

श्री भैरोंसिंह : यही हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति के कहने के अनुसार जिस पर्टीक्यूलर फर्म से नहीं खरीदा जाय तब तक लोन सेंक्शन नहीं होगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : पंचायत समिति गोविंदगढ़ ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मकसद केवल इतना है कि इलेक्ट्रिकसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा पंचायत समिति को यह राय ईजिली अवेलबल हो। उस विषय में मंत्री महोदय ने कहा है कि वह एग्ज़ामिन करवाएं, यह एक डिटेल का प्रश्न है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : पंचायत समिति जो पहले गोविंदगढ़ में थी उसने ऐसा प्रस्ताव पास किया है। लोन उसी को देंगे जो फलानी कंपनीसे पम्प खरीदेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : इस मैटर को यहीं छोड़ दिया जाय। इसके लिए क्या हो सकता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडवाइजरी कमेटी का इसके बारे में सजैस्शन था कि जिला स्तर पर यदि वे खरीदें तो समस्या का हल हो सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे आपत्ति नहीं। यह थोड़ा एडिमिनिस्ट्रेशन का मामला है। देख कर बतलाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि सदन के समय को बढ़ाया जाय ?

('हां' की ध्वनि)

सदन का समय जब तक मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त नहीं करें तब तक बढ़ाया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडवाइज़री कमेटीज़ कई जगहों पर फंक्शन नहीं करती हैं। गंगानगर में कमेटी बनाई है पॉवर की। मैं और माननीय श्री केदारनाथजी उसके सदस्य हैं। एक साल से ज्यादा हो गया कोई मीटिंग कन्वीन नहीं हुई।

श्री हरिश्चन्द्र : जो अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, उनको पकड़ कर हिलाओ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो दर्जन चिट्ठियां लिख दीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): वे तो इनसे हिलाये नहीं जाते, इसलिये आपको यहां हिला रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो दोनों को हिलाने की तमन्ना रखते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि चौथी पंच वर्षीय योजना में यह अनुमान किया जाता है कि राजस्थान की विद्युत् की डिमाण्ड ६५० मेगावाट के आस-पास होगी लेकिन जिस तरह से इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस चल रही है, इन्डस्ट्रियल डिमांण्ड आती जा रही है, उसको देखते, हुए मैं समझता हूं, यह फिगर भी कम पड़ेगा, यह

(श्री हरिश्चन्द्र)

फिगर भी सूट आउट हो सकता है। चौथी पंच वर्षीय योजना में जो प्रावधान रखा है, उसकी एक झलक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

जो कोटा डैम, सतपुड़ा डीजल और थर्मल स्टेशन्स राजस्थान लगायेगा, और राणा प्रतापसागर, इनका टोटल होगा ३३४ मैंगावाट। पलाना थर्मल स्टेशन के बारे में भी चौथी प्लान में रखा है और ५० मैंगावाट का सैट वहां लगाने के लिये प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १०० मैंगावाट से ५० हो गया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : पलाना के अन्दर कितना कोयला है और कितनी कैपेसिटी है, उसको देखते हुए पलाना का प्रोजेक्ट चलाया जायगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन लाख टन लिग्नाइट का सोर्स उपलब्ध हो गया है बीकानेर में....

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी आदत को किस तरह निकाला जाय, इस पर भी बहस हो जाय। पलाना के बारे में बड़ा इम्पोंटेन्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पलाना में ज्यादा कोल उपलब्ध होगा तो १०० मैंगावाट का सैट लगाना चाहते हैं। राजस्थान में हम महसूस करते हैं कि कोयले से चलने वाले थर्मल स्टेशन्स राजस्थान में होने चाहिये और पलाना इसके लिये उपयुक्त स्थान है, जहां कोल उपलब्ध है। जहां कोल उपलब्ध हो, वहां बड़े से बड़ा थर्मल स्टेशन लगाना चाहिये, इस बात को हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं। राजस्थान में जो थर्मल सैट्स लग रहे हैं, वे सतपुडा में लगा रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, पिट माउथ पर लगते हैं तो कोस्ट आफ जनरेशन कम आती है। भाखरा से राजस्थान फीड होता है पर हमारे पास इन्स्टालिंग कैपेसिटी नहीं है। कोस्ट काफी आती है इसलिये हमें पॉवर स्टेशन्स, थर्मल स्टेशन्स राजस्थान में ही डेवलप करने की आवश्यकता है।, इसके लिये पलाना उचित जगह है। इसलिये चौथी योजना में इसे पूरा करना है। यह भी राजस्थान का फर्ज है पर इसके बारे में योजना मंत्रीजी ने काफी इलेबोरेट तरीके से रखा है। मैं इलेबोरेट तरीके से नहीं कहना चाहता। हमने इस बात को कहा है और दिल्ली में जाकर भी कहेंगे कि हमारे यहां यह जरूर लगने चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बात सरकार द्वारा कही गई है कि ३ लाख लिग्नाइट का सोर्स बीकानेर में उपलब्ध हो गया है, फिर १०० से ५० मैंगावाट का क्यों किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में कोल मिलेगा तो १०० मैंगावाट का क्या, १५० मैंगावाट का लगा देंगे। मैं अभी १०० मैंगावाट का लगा दूं और २५ मैंगावाट के लायक ही कोल उपलब्ध हो तो। If there is sufficient quantity of the coal we will increase the capacity.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा है...

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा ५० फर्म पॉवर के लिये हैं, ५० मेगावाट से थोड़ा ज्यादा ही होगा, It is probably something more.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फर्म पॉवर का कहते हैं तो ठीक है, फिर तो १०० ही है।

श्री हरिश्चन्द्र : ज्यादा कोल निकलता है तो ७५ फर्म पावर का कर सकते हैं, हमने इससे फर्म कैपेसिटी के हिसाब से माना है।

न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में २०० मेगावाट रखा है और यह मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं आपको खुशी होगी कि इसका डबलिंग, २०० से ४०० होने के बारे में काफी हैवी लेवल पर डिस्कन्शस हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि राजस्थान के पॉवर और पड़ोसियों के पॉवर को देखते हुए २०० मेगावाट के न्यूक्लियर स्टेशन का डबलिंग होना आवश्यक है। हम संट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि जल्दी इस सम्बन्ध में अपना डिसिजन ले ले।

व्यास और सतलज लिंक है। वहां से १०३ मेगावाट मिलेगा, माही प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा के पास चल रहा है वहां काम भी शुरू हुआ है वहा से ५० मेगावाट एक्स्पेक्टेड है।

और यह सब मिला कर जो राजस्थान की ६५० मेगावाट की डिमाण्ड है, उसके आस पास आता है। अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को डबल करते है तब। यह मैंने इस वास्ते बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं।

इसके अलावा फाइनेन्शियल पोइन्ट्स यहां रखे गये वे यह हैं कि राजस्थान के अन्दर जब से बोर्ड बना था, ६१-६२ के पहले से चालू हैं, अगर इनको आप स्टडी करेंगे तो....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्टरप्शन के लिये क्षमा करें मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। आप जेनरेशन को वाइन्ड अप कर रहे थे तो पोइन्ट रेज किया था। आपकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है, उसमें और फर्म कैपेसिटी में गैप बढ़ता जा रहा है, इसका कारण बताये।

श्री हरिश्चन्द्र : कारण यह है कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी राजस्थान में जगह जगह स्कैटर्ड हैं, जोधपुर में हैं, अलवर में हैं, भरतपुर में हैं, इसलिये फर्म कैपेसिटी कम दीखती हैं। स्कैटर्ड ज्यादा है, अलग अलग स्टेन्ड बाई रखना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता था कि यह बात सही है कि सब जगह स्टेंड बाइ रखना पड़ता है। लेकिन स्टेंड बाइ का एक प्रपोर्शन होता है। जहां आपके पास पांच सैट हैं, चार चलते हैं और एक को बन्द रखते हैं जहां तीन हैं, एक को बन्द रखते हैं और दो चलते हैं। तो एट दी मोस्ट ३३ पर्सेन्ट या ४० पर्सेन्ट को स्टेन्ड बाई रख लीजिये लेकिन उससे ज्यादा स्टेन्ड बाई रखते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : कन्सोलिडेटेड हों तो ३० पर्सेन्ट रख सकते हैं। स्कैटर्ड हो तो ३०+३० मिला कर ६० हो गये। इसलिए गैप बढ़ गया है। यह मैथेमैटिकल कैल्कुलेशन है।

I have calculated it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस जगह सैंट्स हैं, दस स्टेन्ड बाई हो जावेंगे तो उसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी तो बढ़ जावेगी। हाइडल कैपेसिटी भी बढ़ जावेगी।

श्री हरिश्चन्द्र : The gap will be much more.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्यादा जगह डिस्बर्स होने से एक स्टेन्ड बाइ रखने के लिए बचने की गुन्जाइश रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब को जोड़ेंगे तो ६० पर्सेन्ट को भी जोड़ेंगे। सिर्फ ४० पर्सेन्ट फर्म कैपेसिटी रहती है।

श्री हरिश्चन्द्र : एक ही जगह हुआ तो उसका पर्सेन्टेज उतना नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि पर्टिकुलर पोइन्ट पर डिस्कशन न किया जाय। सारी चीज सामने आ जाने दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : सिम्पल चीज है। अभी समझ में आ जावेगी। जैसे एक अलवर में है और एक भरतपुर में है। दोनों जगह एक एक स्टेन्ड बाई है। दोनों को जोड़ देते हैं तो एक सैट स्पेयर हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Percentage will go more.

श्री हरिश्चन्द्र : It is bound to go more.

एक अलवर में है और एक भरतपुर में है। दोनों को मिला देते हैं तो डिफरेन्स बढ़ जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फर्म कैपेसिटी बढ़ गई डिफरेन्स कम हो गया। इन्स्टाल्ड कैपेसिटी चार की है। दो को चलाते हैं और दो को बन्द रखते हैं। ५० पर्सेन्ट फर्म कैपेसिटी है। तीन को चलाते हैं तो फर्म कैपेसिटी बढ़ जाती है, डिफरैन्स कम होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान में स्कैटर्ड है, इसलिए आपको डिफरैन्स ज्यादा दिख रहा है।

फाइनेन्शियल साइड पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत् मंडल बनने के बाद बोर्ड का नोमिनल खर्चा था उसको भी मीट नहीं कर पाते थे। १९६० से उस खर्चे के अन्दर प्लस साइड में चलने लग गये। इतना ही चल पाये कि न डैप्रिसियेशनके से लिए अलग रख सके और न इन्ट्रेस्ट दे सके। तीन-चार वर्ष में जो फिगर्स आई हैं उसको देखते हुए हम इतना पैसा बना लेते हैं जिसके जरिये जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के नीचे जो प्रावधान

(श्री हरिश्चन्द्र) -

करने पड़ते हैं, उसके द्वारा डैप्रिसियेशन और इन्ट्रैस्ट मीट कर लें। तो यह ट्रैन्ड फोर दी बेटर है।

यहां दो आर्ग्यूमेन्ट्स और डिफरैन्स ऑफ थिंकिंग चल रहे हैं। माननीय सदस्य कहते हैं पे नहीं होता है, रिटर्न होना चाहिए। दूसरी तरफ आपका जोर है रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की तरफ। पॉवर एक ऐसी चीज है, उसको कमशियली थिंक करना शुरू कर दिया तो वह घाटे का सौदा होगा। वह घाटे का सौदा यों होगा कि कमशियल थिंकिंग में आपको बिजली ऐसी रूरल सैन्टर्स में ले जानी पड़ेगी जहां आपके बड़े कारखाने लग गये या चल गये। औपरेशनल चार्जेज़ कुछ नहीं। गांधी सागर से डी. सी. एम. में आ जाय क्या ओपरेशनल चार्जेज़ हैं? चूंकि आप चाहते हैं कि नैट वर्क ऑफ लाइन्स राजस्थान में जाय तो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और रिटर्न कम मिलता है। इसलिए हम एक सरप्लस बजट बना कर बता दें तो बड़ा आसान है। कोटा में ही हम कन्सेन्ट्रेट करने लग जाय, सारी इन्डस्ट्री कोटा में लग जाय तो कल सरप्लस बजट बना कर बता सकते हैं। लेकिन बिजली का आइडिया यह है कि यह युटिलिटी की चीज़ है। राजस्थान की आर्थिक बैकबोन है। इस लिये इसका फैलाव करना चाहते हैं जिससे लौस न हो। जितनी आ रही है वह खर्च हो जाती है। लेकिन यह दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि इसमें बड़ा भारी प्रौफिट कमा जावेंगे। लेकिन जो डैप्रिसियेशन और इन्ट्रैस्ट हम देते हैं, वह वेज़ एन्ड मीन्स में काम आ रहे हैं। इस वर्ष विद्युत् मंडल ने राजस्थान को करीब ३ करोड़ रुपया दिया है वेज़ एन्ड मीन्स के लिये, काम चलाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ और ओब्लीगेशन्स हैं जो वेज़ एन्ड मीन्स में काम आते हैं। सरकार के पास पैसा जाता है तो रीइन्वेस्ट होता है। रिडम्पशन फन्ड आदि के प्रावधान हम नहीं कर पाये। पहले हम खर्चा ही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज इस स्थिति में आ गये कि डेप्रिसियेशन फन्ड कायम करने लग गये और इन्ट्रेस्ट भी देने लग गये।

माननीय सदस्य भीलवाड़ा से आते हैं, उन्होंने कहा कि लोन दिया गया, उसका चुकारा होना चाहिये। यह रोंग अर्थ शास्त्र है। जो युटिलिटी कन्सर्न्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उनमें रिटर्न्स आते हैं। और बड़ा मुश्किल है। यह कोई ऐसा कार्मशियल कन्सर्न नहीं है, जिसकी आप कैपिटल वापिस रिपे करवाने लग जायं। इसमें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जावेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जावेगा और इन्ट्रेस्ट आपको मिल रहा है या नहीं इसको सेफ गार्ड करने की जरूरत है। जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और कहा कि बोर्ड ने ४९.३४ का घाटा किया है यह सही है। पहले खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज हम इस स्थिति में हो गये कि डेप्रिसियेशन फंड हम बना लें और जो पैसा सरकार का लगा है उसका इन्ट्रेस्ट चुका दें।

मैं, इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो यहां मामले उठाये हैं, उनके बारे में कुछ

(श्री हरिश्चन्द्र)

अर्ज करना चाहूंगा । पांच-दस मिनट लगेंगे उसमें । यहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पंजाब में और जो प्रोजेक्ट्स, मध्य प्रदेश में बन रहे है उनके बारे में राजस्थान सरकार जागरूक नहीं है, और वहां पर पैसा पता नहीं कैसे खर्च हो रहा हैं । उन सब प्रोजेक्ट्स के पीछे एक बोर्ड बना हुआ है जिस बोर्ड में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारी अधिकारी गण मेम्बर हैं । और जो चीज भी उसमें होती है वह उस बोर्ड के द्वारा मंजूर होती है, और बोर्ड जो कि उसकी मंजूरी देकर उस काम को करवाता है; यानी प्लानिंग, डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ फाइनेन्शियल रिसोर्सेज उस बोर्ड के द्वारा होता है । इसी प्रकार सतपुड़ा, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड और भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन सा लेजिस्लेचर चैक करता है ?

श्री भैरोंसिंह : अकाउन्ट्स का एग्ज़ामिनेशन कहां होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे खयाल में अकाउन्टेन्ट जनरल के यहां होता होगा । उनकी रिपोर्ट्स में आता होगा । मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : ए० जी०, पंजाब और मध्य प्रदेश की ऑडिट रिपोर्ट में इन्कार्पोरेट करते हैं । मेरा निवेदन यह है कि जिस अकाउन्ट का कन्सर्न हमारी स्टेट से है वह तो हमारे सामने आना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : इस बात की जांच करके आपको बताऊंगा । यह वाजिब मांग है । अपने यहां से पैसा खर्च होता है तो अपने लेजिस्लेचर को मालूम होना चाहिये ।

हनुमानगढ़ के बारे में जनसंघ के नेता ने कहा और यह बताने की कोशिश की कि ट्रान्सफोर्मर जैसी चीजें तक बदली जाती है, लाई जाती हैं, ले जाई जाती हैं. जहां इलेक्शन्स होते हैं । उन्होंने यह सदस्यों के दिमाग में बैठाने की कोशिश की कि चुनाव जीतने के लिये यह किया गया । इस तरह से गलतफहमी पैदा करने का उनका काम है । इतना ही अर्ज कर सकता हूं और माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अंधेरा हो जाय तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दौराने चुनाव कुछ काम नहीं करे ? क्या उस पूरे एरिया को डार्कनेस में रखे ? क्या आपकी यह इच्छा है ?

श्री भैरोंसिंह : यह मंशा किसी की नहीं हो सकती, लेकिन वह ट्रान्सफॉर्मर काम भी नहीं आया ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह ट्रान्सफॉर्मर जल गया उसके जलने के बाद न्सफॉर्मर को रिपेयर करके केवल कांग्रेस के वोटर्स को ही बिजली दी हो और आपके वोटर्स को न दी हो यह बात होती तो मैं मान लेता । वहां ट्रान्सफॉर्मर जल जाय और उसके बाद विद्युत् मण्डल बैठा रहे और चुनाव के स्थान पर जावे ही नहीं, क्या आप इसको उपयुक्त मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मतलब यह कि ट्रान्सफॉर्मर जो भेजा गया वह उपयोग में भी नहीं आया ।

श्री हरिश्चन्द्र : उपयोग में आया। ट्रान्सफॉर्मर इन टाइम नहीं आया। इसको वहां बुलाया गया दूसरा ट्रान्सफॉर्मर लग गया उसको भेज दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा लग गया तो यहां से भेजने की क्या जरूरत थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक तरफ जब एफीशिएन्सी आने लगती है तो आप कहते हैं जल्दी क्यों भेजा गया ? इस तरह से चित्त भी मेरी और पुट भी मेरी। आप दोनों तरफ से हिट करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जो यह एफीशिएन्सी है वह पोलिटीकल एफीशियेन्सी है, राजनैतिक एफीशियेन्सी है। ट्रान्सफॉर्मर इसी कारण भेजा गया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता।

श्री हरिश्चन्द्र : शायद आपका यह ख्याल था कि यदि उस इलाके में डार्कनेस रहता तो आपको ज्यादा वोट मिल जाते। आप डार्कनेस रख कर वोट लेना चाहते थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मोहब्बत थी इसलिये जल गया।

श्री हरिश्चन्द्र : सब जगह उजाला पहुंच जाय यह हमारा ध्येय रहता है।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये। ट्रान्सफोर्मर कब जला और कब यहां से भेजा गया ? किस तारीख को जला और किस तारीख को भेजा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस समय डेट मेरे पास नहीं है। क्या आप यह बता सकते हैं कि आपने कल कितने बजे खाना खाया ?

श्री भैरोंसिंह : एक घन्टा पहले पूछते हैं तो मैं बता दूंगा। कल आठ बजे खाना खाया था।

श्री हरिश्चन्द्र : बिल्कुल गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कल तो उस समय हम सब कॉफी पी रहे थे।

(अश्रव्य-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय मन्त्री महोदय एक-एक पॉइन्ट पर उलझ कर बहस को चलायेंगे तो यह बहस बहुत लम्बी हो जायगी, इससे कोई फायदा नहीं। एक एक पॉइन्ट को थ्रेश आउट करके निकालना आवश्यक नहीं। जिसमें शंका का अवकाश हो, शंका को उठाया जाय उसका उत्तर दिया जाय। बारीक-बारीक बातों में उलझना उचित नहीं समझता।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं तो सरल तरीके से निकलना चाहता हूं, लेकिन जब सवाल होते हैं तो जवाब देने के लिये रुकना पड़ता है।

एक बात यह भी कही गई कि मावली में बिजली नहीं पहुंची। लेकिन उनसे निवेदन कर दूं, अब तो पहुंच गई है...

श्री भैरोंसिंह : एक बार आप वहां से खम्भे उठा कर ले आये, दुबारा भेजे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप चाहते क्या हैं ? उनको उखाड़ कर ले आया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : पहले उखाड़ कर ले क्यों गये ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप उठा कर लाये, ढलाई का खर्चा क्यों किया ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०) : आप कहते हैं राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता। मैं बताऊं, दौसा से लालसोट सन् ५२ में खम्भे गाड़े गये लेकिन बिजली नहीं। क्या इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भाषण न करें।

श्री हरिश्चन्द्र : वे खम्भे बेकार पड़े हुए हैं उनको उठवाने की सोचूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : जब मांगरोल में पंचायत का उद्घाटन करने मुख्य मन्त्री आये तो बिजली दे दी गई, उसके बाद बिजली बन्द। यह क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री अपना भाषण प्रारम्भ रखें, हरएक प्रश्न का जवाब देना आवश्यक नहीं।

श्री भैरोंसिंह : खम्भे उखाड़ रहे हैं, मुश्किल तो यह हो रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य ने कहा कि लालसोट में खम्भे गड़े हुए हैं, लेकिन पोलिटिकल रीजन्स से बिजली नहीं दी गई। मैं इस चार्ज को रिफ्यूट करता हूं। लालसोट में बिजली पहुंच गई है।

एक माननीय सदस्य : अब पहुंची है।

श्री हरिश्चन्द्र : पहुंच तो गई है। अब क्यों कूक रहे हो ? अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं वे खम्भे जैसे के तैसे खड़े हैं। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को नुकसान हो रहा है। हम यह सोच रहे हैं कि इनको कहां युटिलाइज किया जाय ताकि दूसरी जगह लाइन खड़ी हो जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मेरी कॉन्स्टीच्यूऐन्सी में भेज दिये जायं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मांगरोल के बारे में बता दें, जहां पर मुख्य मन्त्री महोदय ने उद्घाटन किया था।

श्री हरिश्चन्द्र : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मांगरोल के बारे में पूछा गया। मैं उसके बारे में कुछ अर्ज कर दूं। मांगरोल की पोजीशन यह है कि मांगरोल को हमने बारां से जोड़ा है। बारां के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बारां नगरपालिका के चैयरमैन के बीच में वार्तालाप हुआ। उसके जरिये से हम यह चाहते थे कि बारां के पॉवर हाउस को एक्वायर कर लिया जाय। उसमें उनके सामने दुविधा आई तो हमने यह डिसीजन लिया कि बारां को हम कोटा से जोड़ेंगे हाइडल से, ताकि बारां का मसला पर्मानेन्टली हल हो जावे और लाइन पर काम भी शुरू कर दिया है और अनकरीब ही हम बारां तक पहुंच जावेंगे।

(श्री हरिश्चन्द्र)

अब बारां में सब-स्टेशन रहने के बाद मांगरोल और सांगोद को लाइन गई है, पॉवर की लाइन गई है उसको हाइडल से जोड़ देंगे।

रह गया बारां का सवाल। अगर बारां की नगरपालिका चाहती हो कि पॉवर हाउस हमें दे दें तो वह हमसे नेगोशियेट कर ले। इसके बाद जो कायदे-कानून हैं उनके तहत उनको मुआवजा मिल जावेगा और हम उसको भी ले सकते हैं, पर जब तक म्यूनिसिपैलिटी राजी न हो जावे तब तक हम उसको नहीं ले सकते।

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु०) : पर उसका उद्घाटन तो हो गया। बिजली भी जल गई वोटों के एक दिन पहले और अब बन्द है। अब नई स्कीम बनेगी तो क्या वह भी इसी तरह पोलिटिकली बैक्ड बनेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक दिन दे दी। उन्होंने ले ली। इसलिए यह लाइन खींच रहे हैं।

श्री दयाचन्द सोन : वोट लेने के लिए इस तरह किया जाता है, इसको आपने मान लिया है न ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं माना है। पॉइन्ट बताया है। मानने न मानने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मान लिया, उसको फिर इन्कार क्यों करवा रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलवर के बारे में माननीय सदस्य ने और हमारे बहरोड़ से आने वाले सदस्य ने कहा। पुराने इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उसकी वाकफियत नहीं है। पर यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके इस बारे में डेलीगेशन आये जिसमें माननीय सदस्य भी थे और हमेशा यही कहा है कि हम आपको पॉवर राणा प्रतापसागर से दे देंगे। उस वक्त बातचीत में आपने जाहिर किया कि आप लोगों को शक है कि आपको इसके लिए हाई प्रॉयोरिटी मिलेगी कि नहीं। और पता नहीं आप दसवें नम्बर पर आ जावें। लाइन का पता नहीं; पैसा मिले या नहीं मिले। तो इस बात को कैबिनेट ने गहराई से सोचा और आपकी लाइन नम्बर दो प्रायोरिटी पर लेना तय हुआ। तो आपकी यह प्रायोरिटी कैबिनेट से तय करवाई गई है इसलिए कोई बदलने का सवाल नहीं है।

अब आपको यह शक है कि काम लाइन का नहीं हो रहा है। अब इसकी चिन्ता आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें कई काम होते हैं, लिखा पढ़ी के भी होते हैं। वे चल रहे हैं। राणा प्रतापसागर एनर्जाइज होगा उसके पहले लाइन हम खड़ी कर देंगे। एक लाइन नहीं है, १२ लाइनें हैं। उन पर काम चल रहा है। रिव्यू हम लोग बराबर करते रहते हैं कि कितना काम हुआ है। अब आप कहते हैं कि सर्वे हो रहा है। तो सर्वे नहीं करेंगे तो लाइन कैसे खड़ी करेंगे ? These are necessary corrolaries which follow. यह नहीं तो नहीं है, तो यह तो आर्गूमेंट नहीं हो सकता। आपका

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो सीधा एक ही मसला है, लाइन बन जानी चाहिये। इसका मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि लाइन बनेगी।

श्री भैरोंसिंह : अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में कौन से सेन्टर से बिजली जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : This is a particular question.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं थोड़ा हार्ड ऑफ हियरिंग हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह लाइन थर्ड फाइव ईयर के प्लान के अन्त तक डल जानी चाहिए। अब वह ट्रान्समिशन लाइन कब तक कम्प्लीट हो जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि देखिये आप तो उस वक्त सदस्य थे नहीं सदन के। १९५७ और ६२ के बीच में जो माननीय सदस्य थे वे जानते हैं कि हमारी कई लाइनें जो जयपुर और कोटा के बीच में थीं, अधूरी पड़ी थीं। आपको शुबहा यह है कि लाइन कन्स्ट्रक्ट न हो और पॉवर राणा प्रतापसागर से आ जावे तो मैं इस बात की सेफ–गार्ड करूंगा कि राणा प्रतापसागर के एनर्जाइज़ होने के साथ साइमल्टेनियसली आपको भी देंगे।

अब क्वेश्चन यह उठाया गया था कि डबल सर्किट होगा और अलवर के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके लिए यह कहना है मुझे, डबल इसलिए किया जा रहा है कि लाइन की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा पॉवर दे नहीं सकते, उस पर नेचरली अगर अलवर को फीड–अप करना है तो सैकण्ड सर्किट बनाना पड़ेगा। अगर आज नहीं बनावेंगे तो फिर रह जावेगा। इसलिए इसको जल्दी बनवा रहे हैं। सेकन्ड सर्किट जयपुर कोटा से आवेगा, that will feed up the additional load to Jaipur and also transmit power to Alwar. इसलिये दूसरा सर्किट जरूरी है बनाना। इसकी चिन्ता मत करिये।

बहरोड़ से आने वालों ने कहा, इधर लाइट पंजाब में तो बहुत जल रही है हर गांव में और हमारे यहां नहीं जल रही है। कोशिश हमने यह की है कि अलवर में जहां तक हो सके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जावे। पर मांग इतनी जबर्दस्त है कि उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। आप महसूस करते होंगे खुद। हम भी कोशिश में हैं, दिल्ली जाते हैं तो हर वक्त देखते हैं कि लाइन चल रही है या नहीं। तो हर वक्त हमें भी देखने को मिल रहा है कि एक लाइन खड़ी हो रही है, दो हो रही है। बोर्डर एरिया में अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। इसके विषय में विद्युत् मंडल से मैं भी निवेदन करूंगा, और मैं समझता हूं कि एक मीटिंग इस तरह की रख ली जावे तो ऐतराज नहीं जिसमें बोर्ड के सदस्य कर्मचारी भी आ जावें, बोर्डर के एम. एल. एज़. भी आ जावें और इस बात को देखें कि रोड का डेवलपमेंट हो। आदमी अपने अपने प्रधान के साथ चले जावें और वहां का सर्वे हो जावे। वह जगह पोटेन्शियल है या नहीं वह भी देख लें। मैं ऐसी मीटिंग आप समझिये middle or third week of May

(श्री हरिश्चन्द्र)

में बुला दूंगा जिसमें आपको भी आमन्त्रित कर दूंगा।

अब एक पॉइन्ट यह रखा गया कि सबोर्डिनेट स्टाफ को, जो है, प्रमोशन के चान्सेज़ नहीं दिये जाते-सबोर्डिनेट इन्जीनियर्स स्टाफ को। इसके लिए यह कहना है कि 427 new posts have been created for A. Es. उसमें से ८० % posts will be filled up from the subordinate staff by promotion.

इसके अलावा इस बात को कहूंगा यहां पर कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स की पोस्ट सारी क्रियेट हो गई हैं. जूनियर इन्जीनियर्स की और कोरेस्पोन्डिंगली जो सबोर्डिनेट स्टाफ है उसकी जो पोस्ट्स हैं वे क्रियेट नहीं हो रही हैं, ऐसा कहा गया है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो न्यू सेट-अप है उसके अन्दर जैसा मैंने कहा कि हमारी ४२७ ए० ई० एन० की पोस्ट्स क्रियेट हुई हैं तो as against 3683 posts, for subordinate staff, they have now been enhanced to 6543 permanent posts. तो ३६८३ से ६५४३ तक हम उनको ले आये हैं।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपने काम की वजह से स्टॉफ बढ़ाया है। लेकिन अजमेर-बीकानेर-कोटा के अन्दर सन् ६० से लोगों को कोई तरक्की नहीं मिली-उनके लिए क्या है? उनको पर्मानेन्ट करते ही नहीं है। आपने उनको टेम्पोरेरी बना रखा है और तीन हजार से ज्यादा स्टाफ है।

श्री हरिश्चन्द्र: टेम्पोरेरी और पर्मानेन्ट एक नोशनल चीज है। जो आदमी बोर्ड के अन्दर काम कर रहा है जैसा मैंने कहा कि अभी तक ३६८३ पोस्ट्स जो स्टॉफ सबोर्डिनेट था उसकी पर्मानेन्ट थी और अब हो गई ६५४३ तो यह जो काम कर रहे हैं इसमें यह सब के सब एब्ज़ॉर्ब हो जायेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सन् ६० से उनको ग्रेड नहीं मिली। उनको नुकसान हो रहा है और आपने उनसे वर्षों काम कराया है और उनको अस्थाई बना रखा है। उनको स्थाई करने का क्या कर रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र: वे स्थाई हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: नहीं हैं। आप ग्रेड नहीं देते हैं उनको।

श्री हरिश्चन्द्र: आपका मतलब फिक्सेशन से है। पोज़ीशन यह है, फिक्सेशन में टैकनीकल डिफिकल्टी आती है और वह यह है कि जब तक पोस्ट क्रियेट नहीं होती हैं तब तक फिक्सेशन नहीं कर सकते। तो इस बारे में विद्युत् मंडल में जो यार्डस्टिक की बात करते हैं वह इसीलिए थी कि एक फार्मूला बनाने का सोचा। उस फॉर्मूले के अन्दर जो स्टाफ जिसमें काम कर रहा है उसको वहां फिक्स कर दें। वह काम कम्पलीट हो चुका है और अब फ़िक्सेशन उनका हो जायेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: कब से हो जायेगा?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी दो तीन महीने के अन्दर हो जायेगा। बल्कि काम शुरू भी हो गया है। यह नहीं है कि काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है टाइम थोड़ा लगे क्योंकि आखिर कार तीन हजार आदमियों को फिक्स करना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ३ महीने में तो हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : फिक्सेशन करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स हैं उनको रिमूव करना है। उनके बारे में मैंने विद्युत्-मण्डल को कहा है और मैं समझता हूं कि वह जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को करेगा ताकि यह जो वर्कर्स के दिमाग में संतुलन नहीं है कि पता नहीं वह पर्मनेन्ट होगा या नहीं और उसका क्या फिक्सेशन हो रहा है इन चीजों को वह दिमाग से हटा दे।...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस प्रिन्सिपल से कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस और पर्टीकुलर पीरियड, नेचर ऑफ वर्क अगर पर्मानेन्ट नेचर का है-ऐसे लोगों को तमाम को पर्मानेन्ट डिक्लेयर क्यों नहीं करते ? लेबर लाज के अनुसार भी ऐसे आदमी पर्मानेन्ट होने चाहिए जिनका नेचर ऑफ वर्क पर्मानेन्ट है।

श्री हरिश्चन्द्र : For all practical purposes they are permanent. They are not to be thrown out now.

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन कंडीशन ऑफ सर्विस फौर गेटिंग इमोलुमेंट्स के अनुसार ग्रेड नहीं मिलती है।

श्री हरिश्चन्द्र : इस समय रूल्स यह हैं कि जब तक पोस्ट क्रियेट नहीं हो तब तक पोस्ट पर नहीं रख सकते। अब आप देखिये कि जिस तरह से बोर्ड एक्सपेन्ड हो रहा है, अब जैसे लाइन खड़ी की तो हमको आदमी चाहिए। अब आदमी टेम्पोरेरी आ जाते हैं।...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी बात है।

श्री हरिश्चन्द्र : I realise. इसलिए मैं सोचता था, कोई मशीनरी ऐसी सैट-अप हो जाये कि आदमी आते ही टेम्प्रेरी या पर्मानेन्ट जो भी हो वह सैटल हो जाये और पोस्ट भी क्रियेट साथ ही साथ हो जानी चाहिए। तो यह डिफिकल्टी किस तरह से साल्व हो सकती है। It is a matter which has to be discussed between the Government and the Electricity Board and probably the F. D. also. ए० जी० के दफ्तर वालों को भी बुलाना पड़ेगा कि यह किस तरह से हल हो। क्योंकि उनका कहना होता है कि पोस्ट नहीं थी तो कैसे आदमी रख लिया। तो साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है और गवर्नमेंट इसका किस तरह से हल करा सकती है इस पर सोच रहे हैं।....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यूनियन और गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ और जिन मुद्दों को लागू करने की बात है उसका क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। मेरे पास यह इतना बड़ा पोथा है, अगर टाइम हो तो आप पढ़ लें।

(श्री हरिश्चन्द्र)

भीलवाड़ा माइनिंग एरिया के बारे में पॉवर कट हो जाने से हमने लाइन नहीं डाली और वारिश खुदा-ना-ख्वास्ता अच्छी हो गई और फ्लो ठीक चल जायेगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माइनिंग एरिया के अन्दर हम लाइन खींचेंगे।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कितनी खींचेंगे? बरसात होने के बाद आप कनेक्शन देंगे तो लाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती अभी।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि काम अभी इसलिए स्थगित कर दिया गया है कि हमारा भीलवाड़ा का स्टाफ १५०० किलो वाट का सैट लगाने में लगा हैं।

This is more important for me. Everybody is working on that. इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आपकी जो लाइन है, आपकी जो मांग है वह वाजिब है। अब हम बोर्ड से यह निवेदन करेंगे कि भीलवाड़ा के अन्दर आपका वह काम खत्म हो जायेगा तो आपके माइनिंग एरिया के काम में लग जायें।....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आसींद के लिए क्या कहना है?

श्री हरिश्चन्द्र : आसीन्द के बारे में माननीय सदस्य ने कई बार प्रेस किया है उसमें सिर्फ डिफिकल्टी यह है कि बहुत लम्बी लाइन है। इसलिए मैं कोई आश्वासन के रूप में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उसका सब कराने के बाद में यदि रेम्युनरेटिव लगती है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार रेम्युनरेटिव नहीं है—आपका कहना है कि वहां पर एग्रीकल्चर लोड बहुत है और कुए भी बहुत हैं-तो इस बात को मैं विद्युत मण्डल से कह कर और आपकी पंचायत समिति के अन्दर एक ऑफिसर भेज कर इसकी जांच करा लूंगा कि लाइन रेम्युनरेटिव है या नहीं। अगर है तो इसको जरूर लगायेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने जमवा रामगढ़ का मसला उठाया, उसका क्या हुआ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने तो भाषण आज दिया ही नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक-आधी बात रह गई है। श्रमिकों के बारे में जरा सी बात उठाई है उसका जवाब नहीं दिया है क्योंकि काम तो श्रमिकों से ही चलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी करने का अवकाश तो दें।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक श्रमिकों का सवाल है...

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : मैंने जमवा रामगढ़ के बारे में कहा....

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह दूंगा, अभी श्रमिकों को डील कर रहा हूँ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जमवा रामगढ़ के बारे में तो जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप अपना प्रश्न बाद में पूछ लें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं श्रमिकों के बारे में यह बात अर्ज कर रहा था कि श्रमिकों को किस तरह से राहत मिले, किस तरह से उनका काम ठीक चले, इस बात के लिए सरकार निरन्तर जागरूक है और यह प्रयत्न कई स्थानों से किया जा रहा है; राज्य सरकार की ओर से और हमने भी मीटिंग्ज एक नहीं, अनेक बुलाई हैं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : OrderPlease ! पहले बात समाप्त हो जाने दें। आप (श्री हरिश्चन्द्र) प्रारम्भ रखिये।

श्री हरिश्चन्द्र : थोड़ा शांतिपूर्वक सुन लें। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बात का निरन्तर प्रयास किया गया है कि जो भी श्रमिकों की मांगें हैं उनमें से बहुत सारी मांगें तो एक पैटर्न की आती है उनको राउन्ड दी टेबल बैठ कर, जिसमें विद्युत मण्डल के अधिकारी भी हों और सरकार के भी हों, साल्व किया जाये और उस चीज ने अभी तक तो डिविडेन्ड पे किया है। यह माननीय सदस्यों को मानना पड़ेगा कि ३ साल के अन्दर जो सरकार ने काम किये हैं उसमें उनको राहत मिली है इसमें शक नहीं है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल यह है कि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये सरकारी नौकर थे और ८ साल से थे। कुछ रिटायर हो गए, आप उनकी पेन्शन का काम नहीं करते....

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा बोलने के लिए खड़े हुए)

अरे बैठ भी जा। जो सर्विस करते हैं उनको पेन्शन होती है, अगर उनका फिक्सेशन हो तो उनको तरक्की मिले, ग्रेड मिले, साइकल अलाउन्स है-ये सब चीजें-२० हजार का मामला है। आपको रहम नहीं। जो ड्यू है वह पैसा आप नहीं दे सकते। ऐसी हालत में आपको डिक्लेयर करना चाहिए जल्दी से जल्दी। जो आपने फैसला किया है यूनियन के साथ वे मनवायेंगे उनसे।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जल्दी ही किसी चीज पर पहुंच जाते हैं। मैं भूमिका बान्ध रहा था। कुछ कहूं तो सही। भूमिका बान्ध कर आगे कहूं। कुछ न कुछ डेवलप करके कहूं तो नतीजे पर पहुंचूगा कि वैसे ही कह दूं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रिहर्सल तो पार्टी मीटिंग में कर लिया करें कि कैसे कहना है।

श्री हरिश्चन्द्र : हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं जितना कि आप लोग करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो अलवर के बारे में यहां पूछ लें, सेठ साहब, और हमको कहें कि पार्टी में पूछें ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि पहली स्टेज तो—(कुछ माननीय सदस्यों के परस्पर बातें करने पर) माननीय सदस्य सुनें । यह थी कि डिमाण्ड्स आयें और डिमाण्ड्स आने के बाद डिमाण्ड को मन्जूर करना सबसे पहला काम होता है कि अगर डिमाण्ड्स मन्जूर हो जायं तो उनका इम्प्लीमेन्टेशन कहां से हो ? सबसे पहला काम तो यह है कि जैसे ही मजदूरों की मांग आती है तो वह दे सकते हैं या नहीं—इस चीज को पहले तय करना पड़ता है । अगर उसको तय कर लिया तो सबसे बढ़िया उपाय हम लोगों ने यह सोचा है कि सब बैठ कर इस बात को तय कर लें । तय हो गया । ५० डिमाण्ड्स में से कोई ३६ तो तय कर देते है, एक्सेप्टेड हो गई और ८ सब-जुडिस हैं और ७ ऐसी डिमाण्डस हैं जो कि Board did not accept. और बाकी के जो हैं ६-७ वे कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स में चल रही हैं । अब सवाल यह आता है कि आप जिसके लिए कहना चाहते हैं कि बोर्ड के मन्जूर होने पर भी वे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं । हमने उस इम्प्लीमेंट के प्रोसेस को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं कई मर्तबा ट्राई किया । डिफरेन्ट मेथड से । पहला मेथड तो यह है कि कर्मचारी बिजली की एक लेबर यूनियन या यूनिट में चला जाय और तय कर ले कि क्या हुआ, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला? They were associated in the implementation of these matters. इसके अलावा फिर हमने एक मैन कमेटी रखी जिसमें हमारे जो मैन मेम्बर्स हों उनको भेजें कि आप जाकर देखें कि युनिट के अन्दर यह इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं । उन्होंने भी जाकर देखा कि certain demands were not implemented. तो इसके बारे में मैं यही कर सकता हूं (श्री अब्दुलजब्बार के जल्दी करने पर) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि कई माननीय सदस्य इच्छा कर रहे हैं फुटबॉल खेलने की तो वे सदन में खेलने लग जायें उसके पहले ही मैं इसको समाप्त करके जाने का प्रबन्ध सोचूं तो ज्यादा अच्छा हो ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में जब भी मैं बोर्ड को मिलता हूं तो कहता हूं कि इसके लिए कोई पर्मानेन्ट साल्युशन क्या निकल सकता है । हम और वह बैठ कर तय करेंगे जिस पर लेबर की राय ले लेंगे । लेकिन एक बात जान कर आपको खुशी होनी चाहिए कि हमने इस बात को मान लिया हैं कि जनरल मैनेजमेंट कौन्सिल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो और उसकी मीटिंग भी रेग्युलर होती रहे ताकि कोई ऐसे मामले जो वर्क्स से डाइरेक्ट ताल्लुक रखते हैं उनको भी वहां तय कर लें और और भी एवेन्यूज़ हम सोचेंगे कि क्या होते हैं ? नीचे के लेवल पर जो डिमाण्ड आ गई हैं वे इम्प्लीमेंट हों । मेरी सिर्फ इतनी ही अर्ज यह है कि हमें भी दुःख होता है और सरकार को भी दुःख होता है कि वर्कर्स के दिमाग के अन्दर अगर कुछ बात ठीक नहीं चलती है तो सारे ऑर्गनाइजेशन के अन्दर वह काम ठीक नहीं हो सकता है । जो भी लाइनें खिंची उनका श्रेय वर्कर्स को मिले । उन्होंने हिम्मत करके इतना जल्दी वह काम किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पोन्सिबिलिटी क्या है कि उनकी उलझनों को कम करें, उनकी

(श्री हरिश्चन्द्र)

दिक्कतों को कम करें ताकि एक एटमोस्फियर ऐसा मिले कि बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी और उलझन के काम करने लगें! इस बात के लिए मैं आपका बडा आभारी हूँ कि आपने इसको यहां रखा। मैं समझता हूं कि जो विशेज हैं हाउस की उनको मैं विद्युत् मंडल के पास अवश्य भिजवाऊंगा।

मैं समझता हूं कि मैंने काफी चीजें कवर कर ली हैं। एकाध छूटी होंगी तो फर्मा दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि केन्द्रीय विद्युत् मंत्री श्री के० एल० राव ने अभी पार्लियामेंट में यह घोषणा की है कि दो-तीन स्टेट्स को जिनमें कुओं को बिजली दी जाती है उनको ६ पैसा पर-यूनिट से ऊपर बिजली नहीं दी जायेगी। उसमें राजस्थान को उन्होंने शामिल नहीं किया है? क्या राज्य सरकार की ऐसी इच्छा है कि इस सस्ती दर पर कुओं को बिजली दे दी जाय?

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने भी, जैसा कि माननीय सदस्य ने रेडियो पर सुना होगा, रेडियो पर सुना है और मुझे खुद को इस बात पर अचम्भा हुआ कि राजस्थान का नाम उन्होंने नहीं लिया है और जैसा कि आपने कहा है मैं खुद डा० राव से इस बारे में जल्दी से जल्दी सीधा सम्पर्क साध करके कहूंगा कि किस बेसिस पर उन्होंने ६ पैसे की बात कही? जहां तक मैंने रेडियो पर सुना था उसमें उन्होंने यह कहा था कि जिसमें कोस्ट ऑफ जेनरेशन हायर होगी वहां सबसिडाइज़ करेंगे और ६ पैसे तक रखेंगे। राजस्थान के अन्दर भी कोस्ट आफ जेनरेशन काफी ऊंचा है। उसके हिसाब से राजस्थान में भी क्या सुविधा मिल सकती है, यह मैं डॉक्टर राव से सम्पर्क साध कर आप लोगों के सामने कुछ पेश कर पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: (सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल एवं ज्वालाप्रसाद के एक साथ खड़े होने पर) First, Shri Ramanand Agarwal!

श्री रामानन्द अग्रवाल: एक प्रश्न यह है कि जिन लोगों से स्लेब बेसिस पर, फ्लेट रेट से २००), या ५००) रु० पर कनेक्शन के लिए जाते हैं उनसे दूसरे चार्जेज़ भी लिये जाते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र: अगर १० होर्स पॉवर का कनेक्शन लेते हैं तो उनसे २००) रु० लेते हैं और १० हार्स पॉवर से ज्यादा का कनेक्शन लेते हैं तो उनसे ३००) रु० लिये जाते हैं सबसे। मैं यह क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि २००) रु० हम लेते हैं और अभी तक प्रोसीजर यह था कि कहीं पर बिलजी मुफ्त चली जाती है और कहीं पर किसी किसान से कह दिया कि बहुत दूर लट्ठा है ५००) रु० दिये जायं, तो हमने सोचा कि कोई स्टेण्डर्ड मुकर्रर कर दिया जाय कि २००) रु० से ज्यादा नहीं लेंगे। अब एक कुए के ऊपर बिजली ले जाने के लिए करीब साढ़े तीन या चार हजार रु०

(श्री हरिश्चन्द्र)

खर्च होते हैं। हम लट्ठे से कुए तक पहुंचा देते हैं। हम इतना ही कहते हैं कि न तो ज्यादा दें, न कम दें; किसी को छोड़ें नहीं। फ्लेट रेट २००)रु, दे दें और बिजली कुए पर पहुंचा देते हैं। इससे यह हो गया कि कई जगह बड़ा फायदा हो गया है और कई जगह जहां मुफ्त में लगती है वहां थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि वे अभी तक फी लेते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २००) रु० तो लेते ही हैं लेकिन जो एक्चुअल चार्जेज़ लगते हैं वे अलग लेते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जो आपने बात उठाई है तो उनको २००) रु० से अधिक कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एक बात।

विद्युत् मंडल से मैं यह कह दूंगा कि जिस दिन से उनका ऑर्डर निकला है उसके बाद जो एक्स्ट्रा वसूल किया है, २००) रु० से ज्यादा वसूल हुआ है, तो उनको वापिस दिया जाना चाहिए।

(६ म. प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने दो प्रश्न और उठाये थे उनके बारे में रोशनी डालते तो अच्छा होता। एक तो यह कि ढाई करोड़ रु० ५०० विलेजेज को इलेक्ट्रिफाइ करने के लिये प्लान से एक्स्ट्रा मिलने की बात थी। वह रुपया सरकार नहीं ला सकी और उन ५०० विलेजेज़ के लिये आपने प्रावधान नहीं रखा है उसके लिये क्या इन्तजाम करेंगे? दूसरा प्रश्न आपकी जानकारी में अखबारों से आया होगा कि अमेरिका खेतड़ी कोपर प्लान्ट के लिये डोलर देने के लिये तैयार नहीं है ऐसी हालत में वहां पर कोपर स्मेल्टर नहीं लगने वाला है। इसलिये जो बिजली की लाइन खेतड़ी जा रही थी वह आपने रोक दी। यह जानकारी....

श्री भैरोंसिंह : जानकारी मिली हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या मिली हुई है?

श्री हरिश्चन्द्र : आप इनके बहकावे में नहीं आवें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जानकारी चाहता हूं कि खेतड़ी स्मेल्टर प्लान्ट है उसके लिये डोलर नहीं मिलेंगे और यह इन्डस्ट्री वहां नहीं लगेगी लेकिन आप वहां पर बिजली ले जा रहे है या नहीं? और ५०० विलेजेज के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये क्या किया?

श्री हरिश्चन्द्र : पहली रिप्लाई तो मैं यह देना चाहता हूं कि जो २२० के० वी० की लाइन आ रही है वह वाया खेतड़ी आ रही है और वही कोपर स्मेल्टर को मेनली फीड करेगी। There will be a sub-station at Khetri. पहले यह था कि कोपर का एक्सकेवेशन खेतड़ी में होने वाला था और कोपर स्मेल्टर कोटा में लगने वाला था लेकिन अब लेटेस्ट यह है कि एक्सकेवेशन और स्मेल्टर दोनों ही खेतड़ी में होने वाले हैं। आप डोलर नहीं देने की सूचना पता

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं कहां से लेकर आये हैं लेकिन मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। मैं चार दिन पहले ही मिनिस्टर से मिल कर आया था और उन्होंने कहा था कि एक्सकेवेशन और स्मेल्टर दोनों ही खेतड़ी में होने वाले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में यह न्यूज़ छपी थी कि यू० एस० ए० ने डीलर देना मना कर दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अखबार में खबर निकली थी। ५०० विलेजेज़ के बारे में क्या फर्मा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Shri Surana to ask.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं ज्वालाजी का जवाब दे रहा हूं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम रखा है उसका बजट में प्रावधान रखा है। इसी आधार पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट २ करोड़ रु० देगी। हम कोशिश यह भी कर रहे है कि इन एडीशन टू डेट एल. आई. सी. और पब्लिक लोन्स और लें ताकि हमारे फोर्थ प्लान में सिस्टेमेटिक ढंग से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हम करना चाहते हैं उसकी भूमिका शुरू करें। यदि २ करोड़ रुपये मिल जाते है तो काफी इलेक्ट्रिफिकेशन कर पायेंगे। मुझे आशा है सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में टैरिफ लागू होने से बीकानेर में उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है। टैरिफ रेट्स की जो कडीशन्स हैं उसका नतीजा यह है कि बीकानेर में इन्डस्ट्रीज़ को किसी को ६० पैसा पर यूनिट, किसी को ८० पैसा पर यूनिट, किसी को एक रुपया पर यूनिट और किसी को २ रु० पर-यूनिट पर बिजली मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है क्योंकि एक तरफ १२ पैसा पर-यूनिट पर बिजली दी जाती है और दूसरी तरफ २) पर-यूनिट पर बिजली दी जाती है। इस बारे में स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री हरिश्चन्द्र : इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि पोजीशन माननीय सदस्य ने मुझ से डिस्कस भी की थी। पोशजीन यह है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ पहले रिजर्व कराती है उस हिसाब से मिनिमम चार्ज देते है क्योंकि उन्होंने दो दो होर्स पॉवर्स की ५ मशीनें लगा दीं तो पांचों को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं और उसका मिनिमम चार्ज देते है। वे कहते हैं कि जो होर्स पॉवर्स की मशीनें हमने लगाई हैं उनको हम युटिलाइज़ करते नहीं हैं। २ होर्स पॉवर की मोटर चलाते हैं उस पर चार्ज ले लें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इस बारे मे चर्चा हुई थी। इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रजेन्टेटिव्ज़ आये थे, बीकानेर वाले भी आये थे। यदि उनकी डिमान्ड १० होर्स पॉवर के लिये है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड १० होर्स पॉवर के लिये सेंक्शन करके रिजर्व कर देता है और जब रिजर्व हो जाता है तो १० होर्स पॉवर के मिनिमम चार्ज लेते हैं। आपका कहना है कि दो होर्स पॉवर की मोटर चलती है तो दो होर्स पॉवर के ही चार्जेज़ लें। यही डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन

(श्री हरिश्चन्द्र)

हमारा और उनका है। मैं इस पर अभी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। आपकी मंशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक पहुंचेगी और उनकी क्या ओपीनियन है यह देखना होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जमुवा रामगढ़ के लिये कहा था, २ साल पहले बिजली लगाने की योजना थी; मैं कहता हूं इस साल में कर दिया जायगा या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस एरिया के लिये हम जयपुर से दौसा तक लाइन खींच रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह लाइन जमुवा रामगढ़-जयपुर दूसरी है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो जा रही है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसके आस-पास के गांवों की डिमान्ड है सारे एरिया की।

श्री हरिश्चन्द्र : I shall get it examined.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ६ बजकर ७ मिनट पर गुरुवार दि० ८ अप्रैल, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७७ का उत्तर देखिये)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति अन्ता द्वारा उद्योग प्रसार अधिकारी को सन् ६२ में सामान खरीदने हेतु दी गई अग्रिम राशि की सूची :—

दिनांक	रकम	सामान जिसके खरीदने के लिए रकम दी गई	सामान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये जाने की तारीख
१७–७–६२	१०००) रु०	स्टेशनरी	२८–७–६२
१९–१०–६२	२००) रु०	परिवार नियोजन का सामान	२१–१०–६२
२२–१०–६२	२००) रु०	,, ,, ,,	२२–१०–६२
६–१२–६२	२००) रु०	,, ,, ,,	२२–१०–६३

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ का उत्तर देखिये)

मैं लालचन्द पुत्र श्री गंगा सहाय खजांची बल्लुपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० बयान करता हूं कि गिरधारीलाल नामक किसी व्यक्ति ने समिति में कार्य नहीं किया है। उसे १००) रु० अंके सौ रुपया ही वेतन देना रोकड़ में दर्ज है। वह इन्द्राज मेरे द्वारा न किया गया है व न करवाया गया है। एक दिन श्री रामनिवास व श्री तारासिंह इन्सपेक्टर मोटर में बैठकर मेरे पास आये थे, उनके साथ श्री हीरासिंह ग्राम सेवक भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी समिति में हमने चार महीने से एक क्लर्क २५) रु० अंके पच्चीस रुपया माहवार पर रख छोड़ा है उसे जो हमने आपको अनुदान दिया था उसमें से १००) रु० अंके सौ रुपया वेतन देना है। मैंने रुपया दोनों इन्सपेक्टरों के सामने श्री हीरासिंह ग्राम सेवक के हाथ में दिये थे जिस दिन वे आए उसकी निश्चित तिथि मुझे याद नहीं है। उनके द्वारा ही रोकड़ में १००) रु० अंके सौ रुपये गिरधारीलाल को वेतन देना दिखाया गया है। व उन्हीं के द्वारा ही गिरधारीलाल नामक व्यक्ति की रसीद लगाई है। यह रसीद श्री हीरासिंह द्वारा मुझे दी गई थी। उन्होंने कहा कि हम आपकी समिति का रिकॉर्ड तैयार कर देंगे। मैंने १००) रु० उनको दे दिये और फिर वे मोटर में बैठकर चले गये।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-बुधवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७८८३	६	महावल	महारावल
,,	१६	जावे उस, पर	जावे, उस पर
७८८४	अन्तिम से ७	सार्वजनिक	सार्वजनिक
७८९३	४	म दय	महोदय
७८९४	३	गड्डे	गड्ढे
७८९९	१६	मुआबजा	मुआवजा
,,	अन्तिम से ४	रफ्रेश्र	रिफ्रेशर्स
७९१७	२	अवेलेवल	अवेलेबल
७९२०,			
७९३६,			
८००६,			
८०२८,			
८०३२	शीर्षक	७ अप्रल; ६५	-७ अप्रेल, ६५-
७९२०	शीर्ष	(श्री मथु ादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
७९२१	४	इसहकारी	सहकारी
७९२५	३	सर्टिफिकेट कर दिया इश्यू	सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया
,,	अन्तिम से ४	की रावतराम	श्री रावतराम
७९३३	१	श्री हरि‍चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
७९३५	१४	सदस्यों	सदस्यों
७९३६	अन्तिम से ३	(बैर)	(बैंर)
७९३८	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
७९४१	अन्तिम से ४	वोर्ड	बोर्ड
७९४५	८	काय-संचालन	कार्य-संचालन
७९४६	शीर्षक	प्राम में	ग्राम में
७९४९	,,	ध्यानाकार्षण	ध्यानाकर्षण
७९५३	शीर्षक	ध्यान	ध्यान
७९५४	अन्तिम से ८	३, रुपये	३ रुपये

१	२	३	४
७६५६	शीर्षक	मंडल के	मंडल का
,,	२-३ के मध्य	—	पंचायत समितियों के चुनाव सम्बन्धी वाद-विवाद
,,	१३	नहीं	नहीं
,,	अन्तिम से ४	(आबूरोड)	(आबू)
७६५७	शीर्षक	१९६५-६६ पर वाद विवाद	पंचायतों के चुनाव विषयक
७६५८ से ७६६३	,,	विद्युत मंडल के आय-व्ययक —७ अप्रेल, ६५— १९६५-६६ पर वाद-विवाद	पंचायत समितियों के —७ अप्रेल, ६५— चुनाव विषयक
७६६४	शीर्षक	विद्युत मंडल के आय-व्ययक —७ अप्रेल, ६५— १९६५-६६ पर वाद-विवाद	पंचायतों के चुनाव विषयक —७ अप्रेल, ६५— विद्युत मण्डल का आय-व्ययक
,,	१३-१४ के मध्य	—	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक, १९६५-६६ पर वाद-विवाद
७६६६	१८	ह	है
७६७४	अन्तिम से ४	इन्वाटइ	इन्वाइट
७६८१	,, ,, ३	सहूलियतें	सहूलियतें
७६८६	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
७६९०	८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
८००३	अन्तिम से ४	इजीनियर	इंजीनियर
८००४	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
८००६	५	इन्डम्ट्री	इन्डस्ट्री
८००९	अन्तिम से ८	ि जली	बिजली
८०११	८	इन्टस्ट्री	इन्डस्ट्री
८०२०	शीर्षक	विद्यत	विद्युत
८०२९	७	है की यहां की	है कि यहां की
८०३६	शीर्षक	प्राक्कलत	प्राक्कलन
८०४१	,,	१९६५ जु ६६	१९६५-६६

१	२	३	४
८०४२	२	दोनों चीजें जावश्यक	दोनों चीजें आवश्यक
८०४३	११	विजली	बिजली
८०५०	शीर्षक	–७ तप्रेल, ६५	७ अप्रेल, ६५–
८०५१	,,	यांद-विवाद	वाद-विवाद
८०५८	शीर्ष	श्री जयनारायन सालोदिया)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
८०५६	१०	दुसरी	दूसरी
८०६१	१०	दर्ख्वाते	दरख्वास्तें
८०६४	२०	मे	में
८०६६	शीर्ष	(श्री दलपतसिंह)	(श्री दलपतसिंह)
८०७३	अन्तिम से ६	वच	वेच
८०७४	३	पैसों में	पैसों में।
८०७७	अन्तिम से २	expcnditure	expenditure
८०८२	१	हुय	हम
,,	अन्तिम	सउ का	उसका
८०८३	१	करेंगे।	करेंगे ?
८०६३	२२	फाइनेन्भिय	फाइनेन्शियल
८०६७	अन्तिम से ८	कन्ज्युमर	कन्ज्यूमर
८१००	शीर्ष	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)	(श्री हरिश्चन्द्र)
८११३	१	सैट्स पम्पिग	पम्पिग सैट्स
८१२२	४	आ ग्यूमेन्टस	आग्यूमेन्ट्स
८१२४	शीर्षक	७ अप्रल ६५	७ अप्रेल, ६५
८१२६	स्कम्भ	१८२६	८१२६
८१३१	अन्तिम	आर्ग्यूमेन्ट	आग्र्यूमेन्ट
८१३६	११	डिस यूट्स	डिस्प्यूट्स
८१३६	२	सव	सर्वे
८१४१	६	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
८१४४	१२	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
८१५०	शीर्षक	७ अप्रेल, ६५	–७ अप्रेल, ६५–